

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च 2018—फाल्गुन 11, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्र. एफ-6-34-2015-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री भास्कर चौबे, सदस्य, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

को अनुच्छेद 316(1) के अन्तर्गत अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, अपने कार्यों के साथ-साथ मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने हेतु कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-1(बी)35-17-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा, राज्य सेवा परीक्षा-2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 6642-59-2016-चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम-6 में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है:—

स. क्र. (1)	मैरिट क्र./अनुक्रमांक (2)	नाम (3)	सीट (4)	श्रेणी (5)	नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण (6)
1.	10/124027	सुश्री शशि मिश्रा	UNRF	GEN	राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयनित होने के कारण राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने एवं नियुक्ति का दावा समाप्त करने हेतु प्रस्तुत लिखित आवेदन पत्र दिनांक 11-12-2017 के आधार पर.
2.	21/265122	सुश्री रेशम द्विवेदी	UNR	GEN	संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2016 में भारतीय राजस्व सेवा में चयनोपरान्त लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षणरत होने के फलस्वरूप राज्य सेवा परीक्षा 2015 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त कार्यभार ग्रहण नहीं करने की लिखित सूचना पत्र दिनांक 4-12-2017 के आधार पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्र. एफ-1(ए)-83-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा, श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, 2006 सेनानी, 10वीं वाहिनी सागर को परिवार सहित केरल जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 15 से 24 फरवरी 2018 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्डवर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भ्रमण की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्री आर. आर. एस. परिहार — स्वयं
2. श्रीमती अंजना सिंह — पत्नी
3. करनवीर सिंह — पुत्र

(2) श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य उप सेनानी, 10वीं वाहिनी सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सेनानी, 10वीं वाहिनी सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्र. एफ-1(बी)111-2016-बी-4-दो,—राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600—39100+ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	07	श्री संदीप मालवीय, म. नं. 20, बृजपुरा, ग्राम व पोस्ट भैरवगढ़, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन म. प्र.-456006.	होशंगाबाद

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

— (4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के पत्र क्र. 8943/16/2016/चयन दिनांक 1 सितम्बर 2016 द्वारा सूचित किये गये अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2013 में चयनित आवेदकों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्र. 5587/2016 दायर की गई है. मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 19 अगस्त 2016 अनुसार चयनित आवेदकों की नियुक्ति उक्त याचिका में मान. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधधीन रहेगी.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्र. एफ 1(ए)169-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 फरवरी से 3 मार्च 2018 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 17-18 फरवरी 2018 एवं 4 मार्च 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, का चालू कार्य श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कल्याण पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस

महानिदेशक, विसबल पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-448-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 29, 34, 59, 84, एवं 100 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“29.	धार	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार.	सिविल जिला धार का समस्त विद्युत् क्षेत्र के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 30, 31 एवं 32 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	खण्डवा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.	सिविल जिला खण्डवा का संपूर्ण विद्युत् क्षेत्र.
59.	मंदसौर भानपुरा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भानपुरा	भानपुरा का विद्युत् क्षेत्र
84.	सतना	अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	सिविल जिला सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 84-ए, 85 एवं 85-ए में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
100	शिवपुरी, पिछोर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.	पिछोर एवं खनियाधाना का विद्युत् क्षेत्र

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1)-448-18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 29, 34, 59, 84 and 100 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
29.	Dhar	IInd Additional Sessions Judge, Dhar.	All Electricity area of Civil District Dhar (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 30, 31 & 32),
34.	Khandwa	IInd Additional Sessions Judge, Khandwa.	All electricity area of Civil District Khandwa.
59.	Mandsaur, Bhanpura.	Additional Sessions Judge, Bhanpura.	Electricity area of Bhanpura.
84.	Satna	VIIIth Additional Sessions Judge, Satna.	All Electricity area of Satna Rural of Civil District Satna (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 84-A, 85 & 85-A).
100	Shivpuri, Pichore.	Additional Sessions Judge to Ist Additional Sessions Judge, Pichore.	Electricity area of Pichore & Khaniyadhana.

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-448-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 14, 18, 21, 22, 29, 34, 36, 44-ए, 59, 84 एवं 100 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
14	भिण्ड गोहद	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद	श्री सतीश कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद
18	छतरपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.	श्री संजय कुमार जैन (जून-2), द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.
21	छिन्दवाड़ा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.
22	छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा	श्री शशिकांत वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा.
29	धार	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार.	श्रीमती शुभ्रा सिंह, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार.
34	खण्डवा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.	श्री तपेश कुमार दुबे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.
44-ए.	होशंगाबाद इटारसी.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी.	श्री दीपक बंसल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी.
59	मंदसौर, भानपुरा.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भानपुरा	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भानपुरा.
84	सतना	अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	श्री आदेश कुमार मालवीय, अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
100	शिवपुरी, पिछोर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, के अतिरिक्त न्यायाधीश, पिछोर.	श्री संजय गोयल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, पिछोर.

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-448-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 14, 18, 21, 22, 29, 34, 36, 44-A, 59, 84 and 100 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Bhind, Gohad	Ist Additional Sessions Judge, Gohad.	Shri Satish Kumar Gupta, 1st Additional Sessions Judge, Gohad.
18.	Chhatarpur	IInd Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	Shri Sanjay Kumar Jain (Jr.-11) IInd Additional Sessions Judge, Chhatarpur.
21.	Chhindwara	IInd Additional Sessions Judge, Chhindwara.	Shri Mahendra Kumar Tripathi, IInd Additional Sessions Judge, Chhindwara.
22.	Chhindwara Amarwara.	Additional Sessions Judge, Amarwara.	Shri Shashikant Verma, Additional Sessions Judge, Amarwara.
29.	Dhar	IInd Additional Sessions Judge, Dhar.	Smt. Subhra Singh, IInd Additional Sessions Judge, Dhar.
34.	Khandwa	IInd Additional Sessions Judge, Khandwa.	Shri Tapesh Kumar Dubey, IInd Additional Sessions Judge, Khandwa.
44-A.	Hoshangabad Itarsi.	Ist Additional Sessions Judge, Itarsi.	Shri Deepak Bansal, 1st Additional Sessions Judge, Itarsi.
59.	Mandsaur Bhanpura.	Additional Sessions Judge, Bhanpura.	Shri Hitendra Kumar Mishra, Additional Sessions Judge, Bhanpura.
84.	Satna	VIIIth Additional Sessions Judge, Satna.	Shri Adesh Kumar Malviya, VIIIth Additional Sessions Judge, Satna.
100.	Shivpuri Pichore.	Additional Judge to 1st Additional Sessions Judge, Pichore.	Shri Sanjay Goyal, Additional Judge to Ist Additional Sessions Judge Pichore.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2018

फा. क्र. 749-इक्कीस-ब (दो)-2018.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करता है:—

1. श्री वैभव मंडलोई ADJ, अम्बाह.
2. श्री आशुतोष मिश्रा, V ADJ रीवा.
3. श्री शरद भामकर, I ADJ, कोतमा, जिला अनूपपुर.
4. श्री शिवकान्त, III ADJ, गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर.

5. श्री सुनील कुमार जैन (वरिष्ठ), ASJ, विशेष न्यायालय क्र. 10 विद्युत् अधिनियम सागर.
 6. श्री पमदेश शाह, सचिव मंदसौर न्यायिक जांच आयोग इन्दौर.
 7. श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, III ADJ, जबलपुर.
 8. डॉ. कुलदीप जैन, II ADJ, भिण्ड
 9. श्री विवेक कुमार गुप्ता VIII ADJ ग्वालियर,
 10. श्री रामप्रसाद सोनकर, ADJ, निवारी जिला टीकमगढ़
 11. श्री विष्णु कुमार सोनी, VI ADJ, धार
 12. श्री विजय सिंह कवाछा, ADJ, चाचोड़ा जिला गुना
 13. श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, II ADJ, शिवपुरी
 14. श्री शमरोज खान, I ADJ, ब्यावरा जिला राजगढ़
 15. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, VIII ADJ, भोपाल
 16. श्री शैलेन्द्र नगोत्रा, ADJ, नौगांव जिला छतरपुर
 17. श्री मनोज कुमार मंडलोई, ADJ, लखनादौन, जिला सिवनी
 18. श्री भूरैलाल प्रजापति, XV ADJ, इन्दौर
 19. श्री हेमन्त जोशी, III ADJ, डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इन्दौर.
 20. श्री कृपा शंकर शाक्या, I ADJ, सोहागपुर जिला होशंगाबाद.
 21. श्री प्रमोद कुमार, ADJ, बीना जिला सागर
 22. श्री अखलेश कुमार मिश्रा, AJ to I ADJ, सिंगरौली हेडक्वार्टर, बैदैन.
 23. श्री प्रशांत कुमार निगम, I ADJ, वारासिवनी जिला बालाघाट.
 24. श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, XV ADJ, भोपाल
 25. श्री जगदीश चन्द्र राठौर, V ADJ, मंदसौर
 26. श्री धर्मपाल सिंह सिवाच, ASJ, विशेष न्यायालय क्र. 09 विद्युत् अधिनियम, जबलपुर.
 27. श्री संजय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त प्रमुख जज परिवार न्यायालय, ग्वालियर.
 28. श्री संजय कुमार कस्तवार III ADJ, रीवा.
 29. श्री माखनलाल जोध, II ADJ, बालाघाट
 30. श्री विवेक सिंह रघुवंशी, I ADJ, मण्डलेश्वर
 31. श्री धीरेन्द्र सिंह, XIV ADJ, इन्दौर
 32. श्री प्रियदर्शन शर्मा, IV ADJ, रतलाम
 33. श्री गोपाल सिंह नेताम, ADJ, देवसर सिंगरौली, हेडक्वार्टर, बैदैन.
 34. श्री किशना अतूलकर, ASJ, विशेष न्यायालय क्र. 02 विद्युत् अधिनियम, भोपाल.
 35. श्री राजदीप सिंह ठाकुर, ADJ, ब्यौहारी जिला शहडोल.
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्र. एफ-5-10-2011-उन्तीस-2.—राज्य शासन एतद्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1क) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वतर हो, तक के लिए सदस्य के पद पर नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	पद की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री नागेन्द्र चौरसिया पुत्र स्व. श्री लल्लू लाल चौरसिया वार्ड क्रमांक 8, गांधी चौक डिण्डोरी (म. प्र.).	डिण्डोरी	अनारक्षित
2	श्रीमती ममता पांडेय पत्नी श्री परमेश्वर कुमार पांडेय एच-06, कलेक्ट्रेट कॉलोनी डिण्डोरी (म. प्र.).	डिण्डोरी	आरक्षित (महिला)

(2) उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:—

- 2.1 कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.
- 2.2 बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.
- 2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
- 2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.
- 2.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

(3) सदस्य संबंधित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

क्र. एफ-5-10-2011-उन्तीस-2.—राज्य शासन एतद्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1क) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वतर हो, तक के लिए सदस्य के पद पर नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	पद की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अतुल जैन पिता कैलाशचन्द्र जैन, 19 नयापुरा, गौतम मार्ग, उज्जैन (म. प्र.).	उज्जैन	अनारक्षित
2	श्रीमती विनिता बंसल पत्नी स्व. श्री प्रहलाद दास बंसल, 301 लक्ष्मीनगर, उज्जैन (म. प्र.).	उज्जैन	आरक्षित (महिला)
3	श्री अजय श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव, डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड गर्ग कॉलोनी, बैतूल.	बैतूल	अनारक्षित

(2) उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:—

- 2.1 कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.
- 2.2 बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.
- 2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
- 2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.
- 2.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

(3) सदस्य संबंधित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

क्र. एफ-5-10-2011-उन्तीस-2.—राज्य शासन एतद्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1क) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वतर हो, तक के लिए सदस्य के पद पर नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	पद की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती राजेश्वरी औझा, श्री अविनाशचन्द्र औझा शिवप्रताप नगर, बायपास रोड, राजगढ़ (म. प्र.).	राजगढ़	अनारक्षित

(2) उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:—

- 2.1 कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.
- 2.2 बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.
- 2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
- 2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.
- 2.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

(3) सदस्य संबंधित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्र. एफ-11-05-2006-उन्तीस-2.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अगस्त 2017 के अनुसार श्री श्रीकांत बनोठ, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत किया गया था. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-346-2017-5-एक, दिनांक 27 सितम्बर 2017 के अनुसार श्री श्रीकांत बनोठ, संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन का कलेक्टर, शाजापुर के पद पर स्थानांतरण आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्वारा श्री श्रीकांत बनोठ को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन, भोपाल के संचालक मंडल के संचालक पद से मुक्त करता है.

क्र. एफ-11-05-2006-उन्तीस-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2017 द्वारा श्री मनोज कुमार जैन, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. भोपाल के संचालक मंडल में संचालक के पद पर मनोनीत किया गया था.

(2) क्र. एफ-11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए)(सी)(डी) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में श्री मनोज कुमार जैन, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को संचालक मंडल में संचालक के पद से विमुक्त किया जाकर श्री शक्तिशरण, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को संचालक के पद पर मनोनीत करता है.

क्र. एफ-11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए)(सी)(डी) के अन्तर्गत श्री राजीव चन्द्र दुबे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र सिंह रावत, उपचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2018

क्र. 128-135-2018-ए-सोलह.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (1983 का 36) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 के अनुपालन में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1111-19-2014-ए-16, दिनांक 29 जुलाई 2016 जिसके तहत मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल के अध्यक्ष पद का प्रभार श्री ओमप्रकाश धुर्वे, माननीय श्रम मंत्रीजी को सौंपा गया था, को अधिक्रमित करते हुए श्री बालकृष्ण पाटीदार, माननीय राज्य मंत्रीजी (स्वतंत्र प्रभार), श्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपता है.

क्र. 130-143-2018-ए-सोलह.—राज्य शासन, एतद्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 के अनुपालन में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1014-1015-19-2014-ए-16, दिनांक 15 जुलाई 2016 जिसके तहत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल के अध्यक्ष पद का प्रभार श्री ओमप्रकाश धुर्वे, माननीय श्रम मंत्रीजी को सौंपा गया था, को अधिक्रमित करते हुए श्री बालकृष्ण पाटीदार, माननीय राज्य मंत्रीजी (स्वतंत्र प्रभार), श्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपता है.

क्र. 132-142-2018-ए-सोलह.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 13 सन् 1983) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 के अनुपालन में मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर के अध्यक्ष पद का प्रभार श्री बालकृष्ण पाटीदार, माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), श्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्र. एफ-13-4-2017-बी-ग्यारह.—भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का सं. 9) की धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भागीदारी (फर्मों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1951 में, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक, में दिनांक 16 जून 2017 को पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 19 में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(एक) अधिकतम फीस-अधिकतम फीस निम्नानुसार उद्गृहीत की जाएगी:—

दस्तावेज या कृत्य जिसके विषय में फीस देय है (1)	अधिकतम फीस (2)
धारा 58 के अधीन कथन	छः सौ पांच रुपए
धारा 60 के अधीन कथन	एक सौ बीस रुपए
धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	एक सौ बीस रुपए
धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	साठ रुपए
धारा 63 के अधीन सूचना	एक सौ बीस रुपए
धारा 64 के अधीन आवेदन	साठ रुपए
धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्म्स के रजिस्टर का निरीक्षण	उन्तीस रुपए
धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्म्स के संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण.	उन्तीस रुपए
धारा 67 के अधीन प्रतिलिपियां	चौदह रुपए (प्रत्येक सौ शब्द या उसके भाग के लिए)”.

No. F-13-4-2017-B-11.—In exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of Section 71 of the Indian Partnership Act, 1932, (No. 9 of 1932), the State Government hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Partnership (Registration of Firm) Rules, 1951, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, Dated 16th June 2017, as required by Sub-Section (3) of Section 71 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules for rule 19, for clause (i) the following clause shall be substituted namely:—

“(i) Maximum Fees-The Maximum fees shall be levied as under:—

Document or act in respect of which The fee in payable (1)	Maximum Fee (2)
Statement under section 58	Rupees Six hundred five
Statement under section 60	Rupees One hundred Twenty
Intimation under section 61	Rupees One hundred Twenty
Intimation under section 62	Rupees Sixty
Notice under section 63	Rupees One hundred Twenty
Application under section 64	Rupees Sixty
Inspection of the Register of Firms under sub-section (1) of section 66.	Rupees Twenty Nine
Inspection of documents relating to a firm under sub-section (2) of Section 66.	Rupees Twenty Nine
Copies under section 67	Rupees Fourteen (For each hundred words or part thereof)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के बरोनिया, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्र. 399-2018-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मंदसौर	मंदसौर	श्रीमती शबनम कादिर मंसूरी, JMFC

No. 399-2018-50-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mandsaur	Mandsaur	Smt. Shabnam Kadir Mansoori, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्र. एफ-31-1-2011-दस-3.—मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 22-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2016 की पुष्टि करता है कि सालबीज सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में “विनिर्दिष्ट वनोपज” नहीं रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

एफ-31-1-2011-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-31-1-2011-दस-3, दिनांक 16 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal the 16th February 2018

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

No. F-31-1-2011-X-3—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22-A of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1969, the State Government hereby, confirms that vide even numbered order dated 25th October 2016, Sal seed shall not be "specified forest produce" in whole of Madhya Pradesh State.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,

CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

क्र. एफ-7-2-2018-अठारह-6.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्र. 3 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1)(च) तथा धारा-6 एवं 7 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती मीना राजेन्द्र पटेल, रेहटी जिला सीहोर को मध्यप्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मण्डल का अशासकीय सदस्य मनोनीत करता है. मनोनीत सदस्य की पदावधि उक्त अधिनियम की धारा 6 सहपठित धारा 10 में निहित प्रावधानों के अध्यधीन अधिकतम 03 वर्ष की कालावधि के लिए रहेगी.

(2) मनोनीत सदस्य की पदावधि आदेश जारी होने के दिनांक से प्रारंभ होगी.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2018

क्र. एफ-3-81-2017-18-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 6273-01-उपां-टी सी-भोपाल, 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	ग्राम (2)	खसरा क्र. (3)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)
1	ग्राम अचारपुरा	खसरा क्रमांक 259/2, 261 267/2/1	7.850 0.640 1.627	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
			कुल रकबा 10.117 हेक्टे.		

- (1) विद्यमान मार्ग को बाउन्ड्रीवाल/गेट के द्वारा अवरुद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा.
- (2) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2018

क्र. एफ-3-32-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-

3-32-2017-अठारह-5, दिनांक 11 मई 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है:—

उपांतरण का विवरण
विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया जाना है एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण

अध्याय 6

कंडिका 6.8.5 (4).—वाणिज्यिक मार्ग चिन्हित किये जाने के फलस्वरूप यातायात और पार्किंग के अतिरिक्त भार को ध्यान में रखते हुए ऐसे मार्गों पर सामूहिक पार्किंग क्षेत्र निर्धारण किये जायेंगे. यदि कोई पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं है तो यथासंभव उक्त मार्ग पर भूमि/प्लॉट ट्रेडर्स एसोसियेशन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा अथवा पार्किंग सुविधाओं (बहुतलीय पार्किंग को प्राथमिकता) के निर्माण के लिये अधिगृहित किया जा सकेगा. इस प्रकार की पार्किंग सुविधाओं का विकास या तो ट्रेडर्स एसोसियेशन द्वारा अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा और कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक साझेदारी (पी.पी.पी.) पद्धति अपनाई जा सकती है. इस प्रकार सुविधा निर्मित होने के पश्चात् ही मार्ग पर वाणिज्यिक उपयोग स्वीकार्य होगा.

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:—

कंडिका 6.8.5 (4).—वाणिज्यिक मार्ग चिन्हित किये जाने के फलस्वरूप पार्किंग के अतिरिक्त भार को देखते हुए अतिरिक्त पार्किंग प्रावधान प्रत्येक भूखण्ड से किया जाना आवश्यक होगा. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में वाणिज्यिक उपयोग हेतु 50 वर्गमीटर पर एक पार्किंग हेतु क्षेत्र आरक्षित करने का प्रावधान है तथा विकास योजना की कंडिका-6.16.8 (2) के अनुसार पूर्णतः वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 84 के अनुसार ही पार्किंग हेतु क्षेत्र आरक्षित करना आवश्यक होगा. पूर्णतः वाणिज्यिक उपयोग हेतु पार्किंग क्षेत्र के 50 प्रतिशत अतिरिक्त पार्किंग का भी प्रावधान भूखण्ड में ही किया जाये.

वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग पर अतिरिक्त पार्किंग हेतु 25 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया जाये.

उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्र. एफ-11-02-2018-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शियन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन

द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	स्मारक की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	जनपद कार्यालय के पास, पन्ना.	मिर्जा राजा का मकबरा पन्ना.	ख. नं. 2439 जु.1	0.044 हे.	शासन	नहीं	80×60 फुट.

क्र. एफ-11-03-2018-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शियेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है:

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	स्मारक की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	सर्किट हाउस के नीचे पन्ना.	महाराजा हृदय शाह का मकबरा, पन्ना.	ख. नं. 3175	0.210 हे.	शासन	नहीं	175×131
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	सर्किट हाउस के नीचे पन्ना.	महाराजा हृदय शाह की रानी का मकबरा पन्ना.	ख. नं. 3175	0.102 हे.	शासन	नहीं	121×92

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2018

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा पुरानी जेल परिसर एवं टी. टी. नगर, दशहरा मैदान, भोपाल को विधान सभा बैठक दिनांक 26 फरवरी 2018 से दिनांक 28 मार्च 2018 के दौरान अस्थायी जेल घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

क्र. 1621-1261-2017-ए-16.—चूंकि, अध्यक्ष/महासचिव, सिनकॉम फॉर्मास्यूटिकल मजदूर कर्मचारी यूनियन एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक, सिनकॉम फॉर्मूलेशन इंडिया लिमिटेड पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है।

अतएव मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त विवाद को नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है :—

अनुसूची

1. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के मूल वेतन में प्रतिमाह बढ़ोत्तरी किया जाना औचित्य पूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

2. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को सर्विस अलाउन्स दिया जाना औचित्य पूर्ण है? यदि हां तो कितना? इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

3. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के मकान भत्ते में प्रतिमाह वृद्धि किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

4. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के वाशिंग अलाउन्स में वृद्धि किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

5. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को प्रतिवर्ष 15 दिन का अतिरिक्त संवैतनिक अवकाश के साथ एल. टी. ए. के रूप में रुपये 7000/- दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

6. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों का बोनस एवं अतिरिक्त एक्सप्रेसिया के रूप में अतिरिक्त बोनस दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

7. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को जो श्रमिक ईएसआयसी की रेंज से बाहर हो चुके हैं तथा भविष्य में होते हैं तो उनके परिवार के सदस्यों के लिये सर्वसुविधा युक्त हॉस्पिटल इंदौर, महू एवं पीथमपुर में एक-एक हॉस्पिटल में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना जिसमें ओ. पी. डी. की सुविधा भी सम्मिलित हो तथा जिसके बिल का भुगतान कंपनी द्वारा वहन करना अधिकृत हॉस्पिटल के अलावा किसी अन्य हॉस्पिटल में किसी बीमारी का ईलाज होता है तो संबंधित पेपर दिखाकर बिल का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

8. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों की दुर्घटना की स्थिति में कंपनी में या ईलाज का खर्च एवं श्रमिक के परिवार को रुपये 6,00,000/- की राशि कंपनी द्वारा दी जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

9. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को समस्त लोन जैसे जनरल, मैरिज लोन, हाउसिंग, व्हीकल, एज्यूकेशन, त्यौहार एवं ग्रेन लोन दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

10. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के लिये चलाये जा रहे कैंटिन से खाने एवं नाश्ते में 90 प्रतिशत कंपनी की भागीदारी एवं श्रमिक की 10 प्रतिशत की मान से किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

11. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को जहां वह निवास करते हैं वहां से कंपनी तक बस की सुविधा श्रमिकों के बच्चों के लिये स्कूल व कॉलेज हेतु बस सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

12. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना की सुविधा, श्रमिकों के बच्चों शिक्षा, खेलकूद व अन्य क्षेत्रों में स्कूल, तहसील, जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर उपलब्धि हासिल करने पर कंपनी द्वारा शील्ड एवं प्रोत्साहन राशि देने एवं श्रमिकों के बच्चों को 8वीं के बाद कम्प्यूटर/लैपटॉप दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

13. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को प्राप्त हो रहे अवकाश जैसे केजुअल लीव (सी. एल.) प्रति वर्ष 15 सी. एल. एवं वर्ष में बची सी. एल. को ई. एल. में परिवर्तन, स्पेशल सिक लीव (एस.

एस. एल.) सर्विस लीव होलीडेज संवैतनिक अवकाश में वृद्धि करते 14 दिन जिन श्रमिकों ने शार्ट लिव नहीं लिया उन्हें एक अतिरिक्त अवकाश निर्धारित किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

14. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को गर्मी में ठंडा एवं ठंड के समय कॉफी व्यवस्था ठेका श्रमिकों के लिये अलग से केन्टिन व्यवस्था जहां बैठकर खाना खाया जा सके, खाने की गुणवत्ता अच्छी किस्म की हो? दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

15. क्या कार्यरत श्रमिकों को कार्य हेतु अन्य विभागों में स्थानांतरित किये जाना है उन्हें यूनियन से चर्चा करने के पश्चात् ही ट्रांसफर लेटर सहित मूलवेतन में बढ़ोत्तरी के साथ स्थानांतरण किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए?

16. क्या कार्यरत श्रमिकों में यदि मेडिकल अनफिट होने या स्थाई रूप से विकलांग होने पर पारिवारिक सदस्य को योग्यतानुसार नियुक्ति दी जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

17. क्या कार्यरत श्रमिकों की कन्याओं के विवाह के समय कंपनी की ओर से कन्यादान स्वरूप राशि प्रदाय की जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए?

18. क्या कार्यरत श्रमिकों को प्रति वर्ष 2 जोड़ी यूनियनफार्म जिसमें दो पेन्ट, दो टीशर्ट, दो कैप, दो जोड़ी मोजे दिये जाना एवं महिला श्रमिकों को दो साड़ी, दो ब्लाऊज पीस, दो पेटीकोट, ब्लाऊज सिलाई शुल्क प्रदाय किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए?

19. क्या कार्यरत श्रमिकों को दो जोड़ी जूते लिबर्टी कंपनी के प्रदाय किये जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए?

20. क्या कार्यरत श्रमिकों को प्रतिवर्ष बरसाती रेनकोट एक पीस उच्च क्वालिटी का एवं एक वर्ष में एक स्वेटर या एक जैकेट, एवं प्रतिवर्ष ठंड में दो इनर प्रदाय किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए?

21. क्या कार्यरत श्रमिकों को दीपावली पर गिफ्ट व दो किलो मिठाई उच्च क्वालिटी की दी जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए?

22. क्या कार्यरत श्रमिकों को उक्त समझौता दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितम्बर, 2019 तक तीन वर्ष के लिये प्रभावशील किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए?

23. क्या कार्यरत श्रमिकों को जो सुविधा वर्तमान में चालू है वे पूर्ववत् चालू रखना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए?

24. क्या कार्यरत श्रमिकों के लिये 2 लाख की दुर्घटना पॉलीसी शुरू किये जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होनी चाहिए?

25. क्या कार्यरत श्रमिकों की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में परिवार के किसी एक सदस्य को उसकी योग्यतानुसार अनुकंपा नौकरी दी जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होनी चाहिए?

एवं उक्त के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए.

क्र. 1625-1262-2017-ए-16.—चूंकि, राष्ट्रीय रूचि सोया इण्डस्ट्रीज कर्मचारी संघ इंदौर के एवं सेवानियोजक प्रबंधक/संचालक रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मांगलिया जिला इन्दौर के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतएव मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त विवाद को नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है :—

अनुसूची

1. क्या संस्थान संघ प्रबंधक/संचालक, रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मांगलिया जिला इंदौर में उक्त संघ राष्ट्रीय रूचि सोया इण्डस्ट्रीज कर्मचारी संघ इंदौर अधिनियम 1976 के अंतर्गत 10 प्रतिशत की सदस्यता है.

और क्या प्रबंधक/संचालक, रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मांगलिया जिला इंदौर को संस्थान राष्ट्रीय रूचि सोया इण्डस्ट्रीज कर्मचारी संघ इंदौर में मांग प्रस्तुत करने की पात्रता है. यदि हां तो अधिकारिता है यदि हां तो.—

(1) क्या राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 के अनुसार/संस्थान के सभी श्रमिकों को उनकी श्रेणी के अनुसार मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता, एरियर्स सहित भुगतान किया जाना वैध है एवं उचित है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

(2) क्या संस्थान में बोनस कानून (संशोधन) 2014 का अक्षरशः पालन किया जा रहा है? यदि नहीं तो इसे प्रभावशील किये जाने की क्या योजना होना चाहिए?

- (3) क्या संस्थान में जनरल शिफ्ट में कार्यवधि प्रातः 8.00 से सायं 4.00 बजे की मांग किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?
- (4) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को नियुक्ति पत्र एवं परिचय पत्र पोशाक नहीं दिया जा रहा है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को उपरोक्त मांग के संबंध में क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

क्र. 1630-1260-2017-16.—चूंकि, अध्यक्ष/महासचिव, मजदूर एकता श्रमिक कर्मचारी संघ राउ के एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक, सिनकॉम फॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतएव मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त विवाद को नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है :-

अनुसूची

1. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के मूल वेतन में प्रतिमाह बढ़ोत्तरी किया जाना औचित्य पूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?
2. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को सर्विस अलाउन्स दिया जाना औचित्य पूर्ण है? यदि हां तो कितना? इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?
3. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के मकान भत्ते में प्रतिमाह वृद्धि किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए.
4. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के वाशिंग अलाउन्स में वृद्धि किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?
5. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को प्रतिवर्ष 10 दिन का अतिरिक्त संवैतनिक अवकाश के साथ एल. टी. ए. के रूप में रुपये 5000/- दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?
6. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों का बोनस एवं अतिरिक्त एक्सग्रेसिया के रूप में अतिरिक्त बोनस दिया जाना औचित्यपूर्ण है?

यदि हां तो कितना एवं इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

7. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को जो श्रमिक ईएसआयसी की रेंज से बाहर हो चुके हैं या भविष्य में वहां होते हैं तो उनके एवं परिवार के सदस्यों के लिये सर्वसुविधा युक्त हॉस्पिटल इंदौर, महु एवं पीथमपुर में एक-एक हॉस्पिटल में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना जिसमें ओ. पी. डी. की सुविधा भी सम्मिलित हो तथा जिसके बिल का भुगतान कंपनी द्वारा वहन अधिकृत हॉस्पिटल के अलावा किसी अन्य हॉस्पिटल में किसी बीमारी का इलाज होता है तो संबंधित पेपर दिखाकर बिल का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

8. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों की दुर्घटना की स्थिति में कंपनी में या इलाज का खर्च एवं श्रमिक के परिवार को रुपये 5,00,000/- की राशि कंपनी द्वारा दी जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

9. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को समस्त लोन जैसे जनरल, मैरिज लोन, हाउसिंग, व्हीकल, एज्यूकेशन, त्यौहार एवं ग्रेन लोन दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

10. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के लिये चलाये जा रहे कैंटिन से खाने एवं नाश्ते में 90 प्रतिशत कंपनी की भागीदारी एवं श्रमिक की 10 प्रतिशत की मान से किया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

11. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को जहां वह निवास करते हैं वहां से कंपनी तक बस की सुविधा श्रमिकों के बच्चों के लिये स्कूल व कॉलेज हेतु बस सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

12. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना की सुविधा, श्रमिकों के बच्चों शिक्षा, खेलकूद व अन्य क्षेत्रों में स्कूल, तहसील, जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर उपलब्धि हासिल करने पर कंपनी द्वारा शील्ड एवं प्रोत्साहन राशि देने एवं श्रमिकों के बच्चों को 8वीं के बाद कम्प्यूटर/लैपटॉप दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

एवं उक्त के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमरपाल सिंह, उपसचिव.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल
ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2018

बुरहानपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 861-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बुरहानपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर
2. कलेक्टर, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खण्डवा
4. आयुक्त, नगरपालिक निगम, बुरहानपुर.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुरहानपुर विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि	4	कंडिका क्रं 4.14	पैरा प्रशासनिक/संस्थायें (पी. एस. 1 एवं 2)	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
			4	कंडिका क्रं 4.14	पैरा ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित)	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होंगे.

व्याख्या—

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

इटारसी विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 866-वि.यो. 496-2018.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इटारसी विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद
2. कलेक्टर, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद
3. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, होशंगाबाद
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका इटारसी.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	इटारसी विकास योजना 2031	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	4	4-सा-18	4	गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	4	4-सा-18	8	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थानें.
- **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

सीहोर विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 871-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सीहोर विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल,
2. कलेक्टर, सीहोर, जिला सीहोर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका सीहोर

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सीहोर विकास योजना 2031	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	4	4-सा-11	4	गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	4	4-सा-11	9	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

साँची विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 876-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि साँची विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
2. कलेक्टर, रायसेन, जिला रायसेन
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद् साँची.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्तावित उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	साँची विकास योजना 2011.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	6	6-सा-14	6-सा-14	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	कंडिका क्रमांक 6.58	पैरा(क) जी-1	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) अनुसार.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

बैतूल विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 881-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैतूल विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, होशंगाबाद संभाग, नर्मदापुरम,
2. कलेक्टर, बैतूल, जिला बैतूल
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बैतूल
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, बैतूल.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बैतूल विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.	4	4-सा-17	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	4	4-सा-17	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थानों.
- **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2018

दमोह विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 918-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि दमोह विकास योजना, 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर
2. कलेक्टर, दमोह, जिला दमोह
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका दमोह.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरुल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दमोह विकास योजना 2031.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	4	4-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	4	4-सा-14	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थानें.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) अनुसार.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2018

फा. क्र. ईपी-31-2014-चार-2823.—माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या 31-2014-चार (सुरेशचन्द्र भण्डारी विरुद्ध श्रीमती नीना विक्रम वर्मा एवं अन्य) के संबंध में पारित निर्णय बावत् भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 82-एमपी-एलए-(31-2014)2017, दिनांक 19 फरवरी 2018 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली —110001

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2018—30 माघ, 1939 (शक)

अधिसूचना

सं. 82-म.प्र.-वि.स.-(31-2014)2017.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, श्री सुरेशचन्द्र भण्डारी द्वारा दायर निर्वाचन याचिका 2014 की संख्या 31 (सुरेशचन्द्र भण्डारी विरुद्ध श्रीमती नीना विक्रम वर्मा एवं अन्य) में मध्यप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ के दिनांक 21 नवम्बर 2017 के निर्णय/आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,

हस्ता./-

अनुज जयपुरियार

प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110001

New Delhi, Dated 19th February, 2018—30 Magha, 1939 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 82-MP-LA-(31-2014)2017.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order dated 20th November 2017 of the Indore Bench of Hon'ble High Court of Madhya Pradesh in Election Petition No. 31 of 2014 (Sureshchandra Bhandari Vs. Smt. Neena Vikram Verma & Ors.) filed by Shri Sureshchandra Bhandari.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE.**SINGLE BENCH : HON'BLE SHRI JUSTICE ALOK VERMA.****Election Petition No.31/2014****-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-**

1. Case No. - E.P. No.31/2014
2. Parties Name - Sureshchandra Bhandari vs.
Smt.Neena Vikram Verma & Ors.
3. Date of Order - 20.11.2017
4. Bench constituted of Hon'ble Justice - Hon'ble Mr. Justice
Alok Verma
5. Order delivered by Hon'ble Justice - Hon'ble Shri Justice Alok Verma
6. Whether approved for reporting - Yes
7. Name of counsels for parties - Petitioner- Suresh Chandra
Bhandari in person alongwith Shri Ajay Gangwal, Shri C.L. Yadav, Shri Ajay
Lonkar, Ms. Kirti Patwardhan.
8. Law laid down - 1. Acceptance of nomination paper supported
by an affidavit, where columns are left blank may result in declaring
the election of the return candidate void.
2. In case of return candidate, absence of pleading that improper
acceptance of nomination paper had resulted in the election
was not necessary.
9. Significant paragraphs numbers - 12 to 33

(ALOK VERMA)
JUDGE

ANNEXURE - C
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

CASE NO.....OF 20.....

ORDER SHEET (CONTINUATION)

DATE & S. NO. OF THE ORDER	ORDER
	<p style="text-align: center;"><u>E.P. No.31/2014</u></p> <p>Indore, Dated : 20.11.2017</p> <p>Petitioner- Suresh Chandra Bhandari present in person alongwith Shri Ajay Gangwal, learned counsel for the petitioner.</p> <p>Shri C.L. Yadav, learned senior counsel with Shri Ajay Lonkar, learned counsel for respondent No.1.</p> <p>Ms. Kirti Patwardhan, learned counsel for respondent No.5.</p> <p>Order delivered separately, signed and dated.</p> <p style="text-align: right;">(Alok Verma) Judge</p> <p><u>Later on :-</u></p> <p>Counsel for respondent No.1 filed an application, I.A. No.16571/2017 under Section 116-B of the Representation of People Act, 1951 for suspension of operation of the order passed by this Court today.</p> <p>Copy was supplied to counsel for the petitioner.</p> <p>Heard.</p> <p>After due consideration, the application is allowed. The operation of order is stayed for 45 days from today. I.A. No.16571/2017 stands disposed of.</p> <p>The Registry is directed to send an authenticated copy of order passed on I.A. No.16571/2017 today to the Election Commission of India and Speaker of Madhya Pradesh Legislative Assembly, at the earliest.</p> <p style="text-align: right;">(Alok Verma) Judge</p>

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDOR**SINGLE BENCH : HON'BLE SHRI JUSTICE ALOK VERMA****Election Petition No.31/2014****Sureshchandra Bhandari****Versus****Smt. Neena Vikram Verma & Ors.****ORDER****(Alok Verma)
Judge****□ /11/2017****Post For 20/11/2017****(Alok Verma)
Judge**

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE.
SINGLE BENCH : HON'BLE SHRI JUSTICE ALOK VERMA
Election Petition No.31/2014

Sureshchandra Bhandari ... Petitioner

Versus

Smt. Neena Vikram Verma & Ors. ... Respondents

CORAM

Hon'ble Shri Justice Alok Verma.

Whether approved for reporting? Yes

Petitioner- Suresh Chandra Bhandari in person alongwith Shri
Ajay Gangwal, learned counsel for the petitioner.

Shri C.L. Yadav, learned senior counsel with Shri Ajay
Lonkar, learned counsel for respondent No.1.

Ms. Kirti Patwardhan, learned counsel for respondent No.5.

ORDER

20.11.2017

This Election Petition is filed under Section 81 read with Sections 80, 80-A and 100(1)(d)(i)(iv) of the Representation of the Peoples Act, 1951 (hereinafter referred to as "the RP Act") challenging the election of respondent No.1 for Madhya Pradesh Legislative Assembly held in November 2013.

2. It is not in dispute that the Election Commission of India and

lun

Governor of Madhya Pradesh issued a notification dated 01.11.2013 and released the schedule of Vidhan Sabha Election to be held in the month of November, 2013. According to the schedule, a date 09.11.2013 was fixed for scrutiny of nomination papers and on that day at 10:00 a.m. in the morning, the Election Officer started scrutiny of nominations. It is also not disputed that the petitioner is a voter and resident of Constituency No.201, Dhar (General) of Madhya Pradesh Vidhan Sabha and his name appears at Sr. No.464 in the voter list. It is also not in dispute that respondent No.1 namely Neena Vikram Verma was a candidate of Bhartiya Janta Party and contested an election and was declared as the Return Candidate.

3. According to the petitioner, in compliance of directions issued by Hon'ble Apex Court in case of Resurgence India vs. Election Commission of India; AIR 2014 SC 344 dated 13.09.2013, directions were issued vide letter bearing No.576/3/2013 SDR dated 30.09.2013. According to the directions issued, it was specifically mentioned that all the columns of affidavit should be filled and no column should be left blank, however, in the affidavit submitted by respondent No.1, 24 columns were left blank and such an affidavit should not have been accepted by the Election Officer and, as such, her affidavit was wrongly accepted. The Election Officer wrote a letter on

18.11.2013 to the Observer of the Election, bearing No.5064 in which he admitted that respondent No.1 left many columns blank and according to the petitioner, by accepting such nomination papers, the election officer acted in a partisan manner and he did not follow the directions and instructions issued by Election Commission of India.

4. The petitioner pointed out the columns in which entries were either left blank or in which wrong entries were made and in this respect his relevant portion of the pleadings may be reproduced here :-

“(h)(I) यह कि अभ्यर्थी श्रीमती नीना विक्रम वर्मा के द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र जो कि प्रथम दृष्ट्या अधूरा शपथपत्र प्रतीत होता है, जैसे कि प्रारूप 26 के भाग क के बिन्दु क्रमांक 4 के 1 में नाम शीर्षक के अंतर्गत स्वयं शब्द अंकित किया जाना, किन्तु अभ्यर्थी का नाम अर्थात् श्रीमती नीना विक्रम वर्मा को अंकित नहीं किया जाना, जबकि बिन्दु क्रमांक किया जाना, जबकि बिन्दु क्रमांक 7अ में टिप्पणी के बाद बनी हुयी सारणी में स्वयं के नीचे अभ्यर्थी के द्वारा अपना नाम श्रीमती नीना विक्रम वर्मा अंकित किया गया है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि नाम शीर्षक के आगे स्वयं लिखा जाना ही पर्याप्त है। स्पष्ट है कि अभ्यर्थी के द्वारा नाम शीर्षक वाले स्तम्भ/खाने को खाली (Blank) छोड़ा गया है। इसी प्रकार भाग क के बिन्दु क्रमांक 3, 4 एवं 5 से सम्बन्धित सभी कॉलम को खाली (Blank) छोड़ा गया है। भाग क के बिन्दु क्रमांक 7 (ख) (2) के शीर्षक विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर विनिर्धान के सामने अंकित दोनों कॉलम को रिक्त (Blank) छोड़ा गया है। (सुविधा के लिये रिट याचिका के साथ संलग्न शपथपत्र की प्रमाणित प्रति में खाली स्तम्भ/खाने (Blank Column) को पीले मार्कर (Yellow marker) के द्वारा चिन्हित किया गया है।)

(II) इसी प्रकार भाग क के बिन्दु क्रमांक 7 (ख) (3) में सम्पत्ति की स्थिति निरंक दर्शायी गयी है किन्तु बिन्दु क्रमांक 7 (ख) (3) अन्तिम शीर्षक अनुमानित चालू बाजार मूल्य के सामने रु 5,00,000/- अंकित किये गये है। इस कॉलम में बिन्दु क्रमांक 7(ख) (3) में दर्शायी गयी कुल सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो कि निरंक है, को दर्शाया जाना था, किन्तु निरंक के स्थान पर रु 5,00,000/- दर्शाये गये, जो कि भ्रामक जानकारी के अन्तर्गत आते है।

(III) भाग क के बिन्दु क्रमांक 7 (ख) (5) के शीर्षक पूर्वोक्त (1) से (5) का कुल चालू बाजार मूल्य में सह शीर्षक स्वयं के अन्तर्गत रु. 20,40,000/- अंकित किया गया है, जबकि कुल योग 25,40,000/- होना चाहिये, इसी प्रकार भाग क के बिन्दु क्रमांक 7 (ख)

(5) के शीर्षक पूर्वोक्त (1) से (6) का कुल चालू बाजार मूल्य में सह शीर्षक पति या पत्नी के अन्तर्गत रु. 59,55,000/- अंकित किया गया है, जबकि कुल योग 77,10,000/- होना चाहिये।

(IV) भाग क के बिन्दु क्रमांक 8 की सारिणी में क्रम संख्या 1 के शीर्षक बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति के सामने सह शीर्षक पति या पत्नी के अन्तर्गत कार ऋण बकाया रु. 4,96,557/- अंकित किया गया है, किन्तु ऋण प्रदाता बैंक या संस्था का नाम नहीं है। ऋण प्रदाता बैंक की जानकारी को छिपाया जाना मतदाता के मौलिक अधिकारों का हनन है।

(V) भाग क के बिन्दु क्रमांक 8 की सारिणी में क्रम संख्या 1 में सबसे अन्तिम शीर्षक वायित्तों का कुल योग के सामने सभी पाँच कॉलम रिक्त (Blank) है। इसी प्रकार भाग क के बिन्दु क्रमांक 8 की सारिणी में क्रम संख्या 2 में सबसे अन्तिम शीर्षक कोई अन्य शोध्य के सामने अंकित सभी पाँच कॉलम रिक्त (Blank) है। (सुविधा के लिये रिट याचिका के साथ संलग्न शपथपत्र की प्रमाणित प्रति में खाली स्तम्भ / खाने (Blank column) को पीले मार्कर (Yellow marker) के द्वारा चिन्हित किया गया है।)

(VI) भाग ख जो कि भाग - क के (1) से (10) तक के दिए गए ब्यौरों का उद्धरण (सार) abstract of the details given in (1) to 10 of Part - A से सम्बन्धित है, के बिन्दु क्रमांक 8 क के शीर्षक जंगम आस्तियां (कुल मूल्य) के आगे सह शीर्षक स्वयं के अन्तर्गत रु. 72,000/- अंकित किया गया है, जबकि इस स्थान पर रु. 59,72,000/- होना चाहिये। इसी प्रकार भाग ख के बिन्दु क्रमांक 8 ख के शीर्षक स्थावर आस्तियां में स्वअर्जित स्थावर सम्पत्ति की कय कीमत रु. 72,000/- अंकित की गयी है, जबकी रु. 7,60,000/- होना चाहिए।

(VII) इसी प्रकार भाग ख के बिन्दु क्रमांक 8 ख (2) के शीर्षक कय के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास/सन्निर्माण लागत (यदि लागू हो) के सामने के आगे सह शीर्षक स्वयं में निरंक दर्शाया गया है, जबकि रु. 40,000/- होना चाहिए।

(VIII) इसी प्रकार भाग ख के बिन्दु क्रमांक 8 ख (3) ख के शीर्षक विरासती आस्तियां (कुल मूल्य) आगे सह शीर्षक स्वयं में स्थित कॉलम को रिक्त (Blank) छोड़ा गया है। (सुविधा के लिये रिट याचिका के साथ संलग्न शपथपत्र की प्रमाणित प्रति में खाली स्तम्भ / खाने (Blank Column) को पीले मार्कर (Yellow marker) के द्वारा चिन्हित किया गया है।)

(IX) ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शपथपत्र निरर्थक (Affidavit nugatory/incomplete affidavit) है, जिससे नाम निर्देशनपत्र स्वतः निरस्त किया जाना चाहिये था।

(X) इसी प्रकार भाग ख के बिन्दु क्रमांक 9 (1) के शीर्षक सरकारी शोध्य (कुल) निरंक दर्शाया गया है, जबकि रु. 68,747/- होना चाहिये। इसी प्रकार भाग ख के बिन्दु क्रमांक 9 (2) के शीर्षक बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) 5,00,000/- दर्शाया गया है, जबकी रु. 4,96,557/- होना चाहिए।

(XI) प्रस्तुत जानकारी भ्रामक होने के कारण प्रस्तुत शपथपत्र निरर्थक (Affidavit nugatory/incomplete affidavit) है, जिससे

नाम निर्देशनपत्र स्वतः निरस्त किया जाना चाहिये था।

(XII) इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन अधिकारी 201 धार सामान्य के द्वारा याचिकाकार के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किये जाने एवं विधि के प्रावधानों के निर्वाचन अधिकारी 201 धार सामान्य के द्वारा स्व प्रेरणा से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र को स्वीकार किये जाने में त्रुटि की जाकर विधि के द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन किया गया है।

(XIII) इस प्रकार विधि विरुद्ध रूप से प्रत्यर्था कमांक एक श्रीमती नीना वर्मा जो कि विधानसभा निर्वाचन 2013 में विजयी रही है, के नामांकन पत्र स्वीकार किये जाने से अवैधित अभ्यर्था के निर्वाचन में भाग लेने की परिस्थितियों निर्मित हो गयीं। निर्वाचन परिणाम प्रभावित हो गये।

(XIV) अतः प्रस्तुत निर्वाचन याचिका निर्वाचन अधिकारी 201 धार सामान्य के द्वारा अभ्यर्था श्रीमती नीना विक्रम वर्मा के द्वारा नाम निर्देशन पत्र को अनुचित एवं विधि विरुद्ध स्वीकार किये जाने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 (1) (D) (i) एवं 100 (1) (D) (iv), के अन्तर्गत इस निर्वाचन याचिका के द्वारा चुनौती दी गयी है।”

5. According to the petitioner, since her nomination papers were wrongly accepted, election of respondent No.1 is liable to be declared void under Section 100(1)(d)(i)(iv) of the RP Act.

6. Out of the respondents, respondent Nos.1 and 5 appeared in response to the notices issued to them. Other respondents remained ex-parte. Only respondent Nos.1 and 5 filed written statements in this matter. As such, the case proceeded ex-parte against all the respondents except respondent Nos.1 and 5.

7. Contentions of respondent No.1 was that though there was a pleading that nomination papers of respondent No.1 was wrongly accepted, there was no pleading of the fact that election of respondent No.1 or the election in general, held in the year 2013 was materially affected by wrong acceptance of the affidavit. This apart, she denied that there was any intention to file a wrong

affidavit or incomplete affidavit. According to respondent No.1, she was not given any intimation by the returning officer regarding incomplete affidavit and affidavit was accepted as such, and therefore, she should not be penalized, if her affidavit was accepted by the Election Officer.

8. Respondent No.5 in his reply raised contentions, inter-alia, that the affidavit as prescribed under Rule 1994 of Conduct of Election Rules 1961 and Section 83 of the RP Act was not filed by the petitioner, and therefore, his petition is liable to be dismissed.

9. On the basis of pleadings of the parties, before this Court, the Court framed following issues which are described in column 2 of the table below. The detailed discussion on these issues may be found in paragraphs that follow and inferences against each issues are recorded in column 3 of table below:-

S. No.	Issues	Findings
1	Whether, in the affidavit submitted alongwith nomination papers by respondent No.1 for her nomination as candidate in Vidhan Sabha Election 2013, many columns and entries were left blank by respondent No.1?	Yes
2	If yes, whether, the affidavit was an incomplete affidavit?	Yes

3	If yes, whether, acceptance of such in incomplete affidavit was improper and amounts to non-compliance of any provision of the Constitution of India or of the Representation of the People Act, 1951, or any rules or orders made under the Act?	Yes
4	Whether, due to acceptance of such incomplete affidavit by the election officer, result of the election in so far as it concerns the respondent No.1, has been materially affected?	Yes
5	Relief and costs ?	Petition is allowed. Election of respondent No.1 is declared void. Costs of the petitioner shall be borne by respondent No.1 and remaining respondents shall bear their own costs. Counsel fee is quantified at Rs.10,000/-, if certified.
Additional Issue		
6 (a)	Whether, the petitioner has not filed affidavit under section 83 of the Act read with Rule 94-A of the Conduct of Elections Rules, 1961?	Said provisions are not applicable on this petition as commission of corrupt practices not alleged.
6 (b)	If yes, the effect thereof?	None

10. Before proceedings to decide every issues in detail, we

may first take into account, the order passed by the Hon'ble Apex Court in SLP No.19197 to 19198 of 2015 where SLP was filed against the order passed by this Court dated 24.11.2014 on I.A. No.6801/2014 order passed on 21.04.2015 in I.A. No.777/2015 and order passed on 31.08.2015 on I.A. No.4171/2015 the SLP was disposed of on 04.11.2015 and Hon'ble Apex Court made the following observations :-

"Though we do not see any reason to interfere with the impugned order of the High Court, however, it is brought to our notice by learned counsel for the petitioner that there are certain observations made in the impugned order regarding the content of certain documents without the content having being actually proved in accordance with law.

In the circumstances, the High Court will try the Election Petition uninfluenced by such observations made in the impugned order.

The special leave petition stands disposed of accordingly."

11. At the juncture, I would like to make it clear that the Court is proceeded further without taking into consideration and without being influenced by such observations made in the impugned orders as stated above regarding contents of any documents filed before this Court in this petition.

Issue Nos.1, 2 and 3

12. These issues are related to each other, and therefore, they are being dealt with together. The petitioner avers that the affidavit submitted by respondent No.1 was an incomplete affidavit as

many columns were left blank by respondent No.1, and therefore, acceptance of incomplete nomination papers accompanied by such affidavit was also improper and it amounted to non compliance of provisions of Constitution of India and provisions of the RP Act. According to the petitioner, he raised an objection regarding incomplete affidavit, however, it was dismissed by the returning officer on the ground that it was not mentioned in the objection as to against which nomination, the objection was being raised. Immediately, thereafter, he filed another objection, but the same was dismissed on the ground that after due consideration his first objection was dismissed, and therefore, second objection was not tenable. Acceptance of the incomplete nomination papers, according to the directions issued by Hon'ble Apex Court in the case of **Resurgence India (supra)**, and therefore, under the provisions of Section 100(1)(d)(i)(iv) of the RP Act, the election of respondent No.1 is liable to be declared void.

13. The statutory provisions in respect of giving necessary details in the affidavit is incorporated in Section 33A of the RP Act, which is as under :-

"33A. Right to information.— (1) A candidate shall, apart from any information which he is required to furnish, under this Act or the rules made thereunder, in his nomination paper delivered under sub-section (1) of section 33, also furnish the information as to whether—

(i) he is accused of any offence punishable with ~~imprisonment for~~ two years or more in a pending case in which a charge has been framed by the court of

Wavy

competent jurisdiction;

(ii) he has been convicted of an offence [other than any offence referred to in sub-section (1) or sub-section (2), or covered in sub-section (3), of section 8] and sentenced to imprisonment for one year or more.

(2) The candidate or his proposer, as the case may be, shall, at the time of delivering to the returning officer the nomination paper under sub-section (1) of section 33, also deliver to him an affidavit sworn by the candidate in a prescribed form verifying the information specified in sub-section (1).

(3) The returning officer shall, as soon as may be after the furnishing of information to him under sub-section (1), display the aforesaid information by affixing a copy of the affidavit, delivered under sub-section (2), at a conspicuous place at his office for the information of the electors relating to a constituency for which the nomination paper is delivered."

14. The procedure for scrutiny of nomination form is given in Section 36 of the Act which is as under :-

"36. Scrutiny of nomination.—

(1) On the date fixed for the scrutiny of nominations under section 30, the candidates, their election agents, one proposer of each candidate, and one other person duly authorised in writing by each candidate, but no other person, may attend at such time and place as the returning officer may appoint; and the returning officer shall give them all reasonable facilities for examining the nomination papers of all candidates which have been delivered within the time and in the manner laid down in section 33.

(2) The returning officer shall then examine the nomination papers and shall decide all objections which may be made to any nomination and may, either on such objection or on his own motion, after such summary inquiry, if any, as he thinks necessary, any nomination on any of the following grounds:—

(a) [that on the date fixed for the scrutiny of nominations the candidate] either is not qualified or is disqualified for being chosen to fill the seat under any of the following provisions that may be applicable, namely:

— Articles 84, 102, 173 and 191,
[Part II of this Act, and sections 4 and 14 of the
Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963)];
or

(b) that there has been a failure to comply with
any of the provisions of section 33 or section 34; or

(c) that the signature of the candidate or the
proposer on the nomination paper is not genuine.]

(3) Nothing contained in [clause (b) or clause (c)]
of sub-section (2) shall be deemed to authorise the
[rejection] of the nomination of any candidate on the
ground of any irregularity in respect of a nomination
paper, if the candidate has been duly nominated by
means of another nomination paper in respect of which
no irregularity has been committed.

(4) The returning officer shall not reject any
nomination paper on the ground of any defect which is
not of a substantial character.

(5) The returning officer shall hold the scrutiny on
the date appointed in this behalf under clause (b) of
section 30 and shall not allow any adjournment of the
proceedings except when such proceedings are
interrupted or obstructed by riot or open violence or by
causes beyond his control:

Provided that in case [an objection is raised by the
returning officer or is made by any other person] the
candidate concerned may be allowed time to rebut it not
later than the next day but one following the date fixed
for scrutiny, and the returning officer shall record his
decision on the date to which the proceedings have been
adjourned.

(6) The returning officer shall endorse on each
nomination paper his decision accepting or rejecting the
same and, if the nomination paper is rejected, shall
record in writing a brief statement of his reasons for such
rejection.

(7) For the purposes of this section, a certified
copy of an entry in the electoral roll for the time being in
force of a constituency shall be conclusive evidence of the
fact that the person referred to in that entry is an elector
for that constituency, unless it is proved that he is subject
to a disqualification mentioned in section 16 of the
Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

(8) Immediately after all the nomination papers

have been scrutinized and decisions accepting or rejecting the same have been recorded, the returning officer shall prepare a list of validly nominated candidates, that is to say, candidates whose nominations have been found valid, and affix it to his notice board."

15. In light of above provisions, the Hon'ble Apex Court in case of **Resurgence India (supra)** issued certain directions. The relevant facts which form the background of issuing such directions may be briefly stated. Initially certain directions were issued in case of **Union of India vs. Association for Democratic Reforms and another; (2002) 5 SCC 294**. In light of the directions issued by Hon'ble Apex Court in this case, the Election Commission of India issued directions on 28.06.2002 and directed that all the candidates contesting election of Legislative Assembly and Parliament to furnish full and complete information in form of an affidavit duly sworn before the Judicial Magistrate First Class. It was also directed that non furnishing of affidavit by any candidate or furnishing of any wrong and incomplete information or suppression of material information will result in rejection of nomination papers. Apart from inviting penal consequences under Indian Penal Code, it was also directed that such information shall be considered to be wrong or incomplete or suppression of material information, which is found to be a defect of substantial character by the Returning Officer in a summary enquiry conducted by him at the time of scrutiny of

the nomination. Subsequent to this, the matter again came before the Hon'ble Apex Court in case of People Union for Civil Liberties (PUCL) and another vs. Union of India and another; where the Hon'ble Apex Court reaffirmed the aforesaid decision passed in case of Association for Democratic Reform (supra) but held that directions to reject the nomination papers for furnishing wrong information or concealing material information and verification of assets and liabilities by means of his summary enquiry at the time of scrutiny of nomination cannot be justified. Fresh directions were issued in pursuant of this judgment in PUCL case (supra) on 27.03.2003.

16. Resurgence India (supra) was a Non Governmental Organizers (NGO) registered under Societies Registration Act. It took a massive exercise under the banner "Punjab Election Watch" and affidavits pertaining to the candidates of six major political parties in the State were analyzed in order to verify their completeness. During such campaign, large scale irregularities were found in most of the affidavits filed by the candidates. After examining the case law, the Hon'ble Apex Court in paras 26 and 27 of the judgment reads as under :-

"26. In succinct, if the Election Commission accepts the nomination papers in spite of blank particulars in the affidavits, it will directly violate the fundamental right of the citizen to know the criminal antecedents, assets and liabilities and educational qualification of the candidate. Therefore, accepting

affidavit with blank particulars from the candidate will rescind the verdict in Association for Democratic Reforms (supra). Further, the subsequent act of prosecuting the candidate Under Section 125A(i) will bear no significance as far as the breach of fundamental right of the citizen is concerned. For the aforesaid reasons, we are unable to accept the contention of the Union of India.

27. What emerges from the above discussion can be summarized in the form of following directions:

(i) The voter has the elementary right to know full particulars of a candidate who is to represent him in the Parliament/Assemblies and such right to get information is universally recognized. Thus, it is held that right to know about the candidate is a natural right flowing from the concept of democracy and is an integral part of Article 19(1)(a) of the Constitution.

(ii) The ultimate purpose of filing of affidavit along with the nomination paper is to effectuate the fundamental right of the citizens under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. The citizens are supposed to have the necessary information at the time of filing of nomination paper and for that purpose, the Returning Officer can very well compel a candidate to furnish the relevant information.

(iii) Filing of affidavit with blank particulars will render the affidavit nugatory.

(iv) It is the duty of the Returning Officer to check whether the information required is fully furnished at the time of filing of affidavit with the nomination paper since such information is very vital for giving effect to the 'right to know' of the citizens. If a candidate fails to fill the blanks even after the reminder by the Returning Officer, the nomination paper is fit to be rejected. We do comprehend that the power of Returning Officer to reject the nomination paper must be exercised very sparingly but the bar should not be laid so high that the justice itself is prejudiced.

(v) We clarify to the extent that Para 73 of People's Union for Civil Liberties case (supra) will not come in the way of the Returning Officer to reject the

nomination paper when affidavit is filed with blank particulars.

(vi) The candidate must take the minimum effort to explicitly remark as 'NIL' or 'Not Applicable' or 'Not known' in the columns and not to leave the particulars blank.

(vii) Filing of affidavit with blanks will be directly hit by Section 125A(i) of the RP Act. However, as the nomination paper itself is rejected by the Returning Officer, we find no reason why the candidate must be again penalized for the same act by prosecuting him/her."

17. It is apparent from aforesaid directions issued by the Hon'ble Apex Court that blank column should not be left and it should be filled with either 'Nil', 'Not Applicable' or 'Not known'. In light of the aforesaid directions, we may now proceed to see whether the affidavit filed by respondent No.1 was incomplete, as the columns were left blank in the affidavit. The certified copy of the affidavit is Ex.P-2. The original affidavit was brought by Sudhir Kare (P.W.-3). He was an Election Officer in District Dhar when election of Legislative Assembly were held in the year 2013. In para 5 of his statement, it was mentioned that the original affidavit was brought by one Rajendra Ujjainkar, who accompanied the witness alongwith official record. When statement of this witness was recorded, the original affidavit was shown to him. He admitted that on page 1 column 4 of the affidavit Ex.P-2, there were lines drawn in the column relating to dependents. Similarly, in part B of column 2 against development

and construction, a line was drawn. Also in column 8, the columns were left blank for showing total liabilities. Similarly, in the extract of information in part B (b) in column 3 a line was drawn.

18. The petitioner in his statement has stated that apart from this, there were mathematical errors of adding the figures in many portions. Respondent No.1- Neena Vikram Verma was confronted with such defects and blank columns, in cross-examination in para 13 to 16 and her replies, most of the questions were answered evasively and she merely said that whatever information is given in the affidavit was correct.

19. In light of the above oral evidence adduced by both the parties, it is apparent that there were many columns which were left blank in the affidavit. Apart from that, there were mathematical errors which were apparent from face of the documents. As such, in accordance with instructions issued by Election Commission of India in pursuance of directions issued by the Hon'ble Apex Court in case of **Resurgence India (supra)**, it was a duty of the Returning Officer to intimate Neena Vikram Verma about these deficiencies in the affidavit. The directions issued by the Election Commission have been filed by Jitendra Singh Chouhan (P.W.-4). Copy of these directions are Ex.P-14/C & 15/C. There is a checklist appended to the directions, according

to which, the returning officer was under an obligation to intimate the deficiencies to the candidates and also the date by which such deficiencies should be removed. However, from the documents produced by the petitioner, it appears that according to Ex.P-5, while dismissing the objection raised by the petitioner, the nomination papers of respondent No.1 were accepted, and subsequently, by way of afterthought, it was mentioned on Ex.P-5 that his objection was dismissed, as it was not clear from his objection, as to against which nomination it was filed. However, it was clearly mentioned by the same returning officer while accepting nomination papers of respondent No.1 from which it is apparent that he deliberately ignored the deficiencies that were found in the nomination papers.

20. Apart from these objections, the petitioner also mentioned that there were more persons than permitted while nomination papers of respondent No.1 was being accepted and this was against the provisions of Section 36 of the RP Act. He produced the CD which was a photograph of the proceeding when nomination paper of respondent No.1 was being accepted. The contents of the CD was shown which is marked as Article A and respondent No.1 admitted that only 5 minutes were given to the petitioner for raising his objection, and therefore, it is also proved that a certification Ex. P. 10 under Section 65 D is also produced with the C.D

21. Apparently, when only 5 minutes were granted to the petitioner, it was only for namesake that he was granted an opportunity to raise an objection and such an opportunity to raise an objection cannot be called as a proper opportunity, and therefore, it was apparent that the returning officer wrongly accepted incomplete affidavit filed by respondent No.1 inspite of such deficiencies which were apparent on face of the documents, and as such, the affidavit was not in line with the directions issued by the Hon'ble Apex Court in case of **Resurgence India (supra)**, and therefore, regarding these issues, it was proved that the affidavit was incomplete, many columns were left blank, and therefore, it amounts to accepting the nomination paper improperly. These issues are decided accordingly.

Issue No.4

22. From the very beginning, contention of respondent No.1 has been that there is no pleading in the petition to the effect that election of respondent No.1 was materially affected, as her nomination papers were improperly accepted by the Returning Officer.

23. Going through the pleading of the petitioner, it appears that the only indication in this regard could be found in para h (XIII) of the plaint, which had already been quoted above in para 4 of

this order, however, the exact language used in Section 100(1)(d)(i)(iv) of the RP Act was not used in the pleading, and therefore, if we accept contention of the counsel for respondent No.1 that there is no pleading in accordance with provisions of Section 100(1)(d)(i)(iv), we have to consider the question whether absence of such pleading is fatal to the petition.

24. In this regard, a distinction may be made between Section 83(1)(a) which provides that an election petition which contained concise statement of material facts on which the petitioner relies, this is analogous to order 6 Rule 2 of CPC. The Section provides that all the material facts should be concisely stated.

25. In this case, the allegation is that the affidavit supporting the nomination papers is incomplete, columns were left blank and also there are some mathematical errors and wrong entries of figures. In this regard, all the material facts can be found in the plaint. Section 83(1)(b) provides that full particulars should be given of any corrupt practice when the petitioner alleges such corrupt practice. However, this part of the section does not apply in the present petition, as there is no allegation of any corrupt practice in this case. On this aspect, the judgment of Hon'ble Apex Court in case of Udhav Singh vs. Madhav Rao Scindia; AIR 1976 SC 744 may be seen. In paras 38, 39 and 40 of the judgment, the Hon'ble Apex Court observed that :-

"38. All the primary facts which must be

proved at the trial by a party to establish the existence of a cause of action or his defence, are "material facts". In the context of a charge of corrupt practice, "material facts" would mean all the basic facts constituting the ingredients of the particular corrupt practice alleged, which the petitioner is bound to substantiate before he can succeed on that charge. Whether in an election-petition, a particular fact is material or not, and as such required to be pleaded is a question which depends on the nature of the charge levelled, the ground relied upon and the special circumstances of the case. In short, all those facts which are essential to clothe the petitioner with a complete cause of action, are "material facts" which must be pleaded and failure to plead even a single material fact amounts to disobedience of the mandate of sec. 83(1) (a).

39. "Particulars", on the other hand, are "the details of the case set up by the party". "Material particulars" within the contemplation of clause (b) of S.83(i) would therefore mean all the details which are necessary to amplify, refine and embellish the material facts already pleaded in the petition in compliance with the requirements of clause (a). 'Particulars' serve the purpose of finishing touches to the basic contours of a picture already drawn, to make it full, more detailed and more informative.

40. The distinction between 'material facts' and 'material particulars' was pointed out by this Court in several cases, three of which have been cited at the bar. It is not necessary to refer to all of them. It will be sufficient to close the discussion by extracting what A. N. Ray J. (as he then was) said on this point in Hardwari Lal's case (supra):

"It is therefore vital that the corrupt practice charged against the respondent should be a full and complete statement of material facts to clothe the petitioner with a complete cause of action and to give an equal and full opportunity to the respondent to meet the case and to defend the charges. Merely, alleging that the respondent obtained or procured or attempted to obtain or procure assistance are extracting words from the statute which will have no

meaning unless and until facts are stated to show what that assistance is and how the prospect of election is furthered by such assistance. In the present case, it was not even alleged that the assistance obtained or procured was other than the giving of vote. It was said by counsel for the respondent that because the statute did not render the giving of vote a corrupt practice the words "any assistance" were full statement of material fact. The submission is fallacious for the simple reason that the manner of assistance, the measure of assistance are all various aspects of fact to clothe the petition with a cause of action which will call for an answer. Material facts are facts which if established would give the petitioner the relief asked for. If the respondent had not appeared, could the court have given a verdict in favour of the election petitioner. The answer is in the negative because the allegations in the petition did not disclose any cause of action."

26. Keeping this distinction in mind, it is apparent that when material facts are concisely stated in the petition and it discloses cause of action, such a petition is a triable petition. On this aspect, the judgment of Hon'ble Apex Court in case of Ashraf Kokkur vs. K.V. Abdul Khader; AIR 2015 SC 147 may be referred. It is apparent that the petitioner has given all the material facts to show that the affidavit was incomplete and in what manner the affidavit is incomplete was also pleaded in detail. Now, the question arises as to whether without any pleading that such improper acceptance of nomination papers affected the election of respondent No.1 materially, this petition is maintainable and

election of respondent No.1 is liable to be declared void.

27. In this aspect, the Hon'ble Apex Court's decision in the case of Chhed Ram vs. Jhilmit Ram; AIR 1984 SC 146 can be referred to with some benefit, the following situation emerged :-

(i) Where the candidate whose nomination was improperly accepted had obtained 6,710 votes, that is almost 20 times the difference between the number of votes secured by the successful candidate and the candidate securing the next highest number of votes and the number of votes secured by the candidates whose nomination was improperly accepted bore a fairly high proportion to the number of votes secured by the successful candidate, it was a little over one third, the result of the election might safely be said to have been affected.

(ii) The burden of establishing that the result of the election has been materially affected as a result of the improper acceptance of a nomination is on the person impeaching the election.

(iii) The burden is readily discharged if the nomination which has been improperly accepted was that of the successful candidate himself. On the other hand, the burden is wholly incapable of being discharged if the candidate whose nomination was improperly accepted obtained a less number of votes than the difference between the number of votes secured by the successful candidate and the number of votes secured by the candidate who got the ticket highest number of votes.

(iv) In both these situations, the answers are obvious.

(v) The complication arises only in cases where the candidate, whose nomination was improperly accepted, has secured a larger number of votes than the difference between the number of votes secured by the successful candidate and the number of votes got by the candidate securing the next highest number of votes.

(vi) If the number of votes secured by the candidate whose nomination was improperly accepted is not disproportionately large as compared with the

www

difference between the number of votes secured by the successful candidate and the candidate securing the next higher number of votes, it would be next to impossible to conclude that the result of the election has been materially affected."

28. Finally, the Hon'ble Apex Court considered the issue in detail in case of Mairembarm Prithviraj Alias Prithviraj Singh vs. Pukhrem Sharatchandra Singh: (2017) 2 SCC 487. In para

21 onward, the Hon'ble Apex Court observed as under :-

"21. There is no dispute that an election cannot be set aside on the ground of improper acceptance of any nomination without a pleading and proof that the result of the returned candidate was materially affected. The point to be considered is whether the law as laid down by this Court relating to the pleading and proof of the fact of the result of the returned candidate being materially affected applies to a case where the nomination of the returned candidate is declared to have been improperly accepted. A situation similar to the facts of this case arose for consideration of this Court in Durai Muthuswami's case. It is necessary to deal with this case in detail as the Counsel for the Appellant submitted that the said judgment is not applicable to the facts of the present case and that finding in the said case have to be treated as obiter.

The facts, in brief, of Durai Muthuswami are that the Petitioner in the election petition contested in the election to the Tamil Nadu Legislative Assembly from Sankarapuram constituency. He challenged the election of the First Respondent on the grounds of improper acceptance of nomination of the returned candidate, rejection of 101 postal ballot papers, ineligible persons permitted to vote, voting in the name of dead persons and double voting. The High Court dismissed the election petition by holding that the Petitioner failed to allege and prove that the result of the election was materially affected by the improper acceptance of the nomination of the First Respondent as required by Section 100 (1) (d) of the Act. The Civil Appeal filed by the Petitioner therein was allowed by

this Court in *Durai Muthuswami (supra)* in which it was held as follows:

"3. Before dealing with the question whether the learned Judge was right in holding that he could not go into the question whether the 1st respondent's nomination has been improperly accepted because there was no allegation in the election petition that the election had been materially affected as a result of such improper acceptance, we may look into the relevant provisions of law. Under Section 81 of the Representation of the People Act, 1951 an election petition calling in question any election may be presented on one or more of the grounds specified in sub-section (1) of Section 100 and Section 101. It is not necessary to refer to the rest of the section. Under Section 83(1) (a), insofar as it is necessary for the purpose of this case, an election petition shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies. Under Section 100(1) if the High Court is of opinion—

(a) that on the date of his election a returned candidate was not qualified, or was disqualified, to be chosen to fill the seat under the Constitution or this Act....

(b)-(c)

(d) that the result of the election, insofar as it concerns a returned candidate, has been materially affected—

(i) by the improper acceptance of any nomination, or

(ii)-(iii) the High Court shall declare the election of the returned candidate to be void. Therefore, what Section 100 requires is that the High Court before it declares the election of a returned candidate is void should be of opinion that the result of the election insofar as it concerns a returned candidate has been materially affected by the improper acceptance of any nomination. Under Section 83 all that was necessary was a

concise statement of the material facts on which the petitioner relies. That the appellant in this case has done. He has also stated that the election is void because of the improper acceptance of the 1st respondent's nomination and the facts given showed that the 1st respondent was suffering from a disqualification which will fall under Section 9-A. That was why it was called improper acceptance. We do not consider that in the circumstances of this case it was necessary for the petitioner to have also further alleged that the result of the election insofar as it concerns the returned candidate has been materially affected by the improper acceptance of the 1st respondent's nomination. That is the obvious conclusion to be drawn from the circumstances of this case. There was only one seat to be filled and there were only two contesting candidates. If the allegation that the 1st respondent's nomination has been improperly accepted is accepted the conclusion that would follow is that the appellant would have been elected as he was the only candidate validly nominated. There can be, therefore, no dispute that the result of the election insofar as it concerns the returned candidate has been materially affected by the improper acceptance of his nomination because but for such improper acceptance he would not have been able to stand for the election or be declared to be elected. The petitioner had also alleged that the election was void because of the improper acceptance of the 1st respondent's nomination. In the case of election to a single-member constituency if there are more than two candidates and the nomination of one of the defeated candidates had been improperly accepted the question might arise as to whether the result of the election of the returned candidate had been materially affected by such improper reception. In such a case the question would arise as to what would have happened to the votes which had been cast in favour of the defeated candidate whose nomination had been improperly accepted if it had not been accepted.

In that case it would be necessary for the person challenging the election not merely to allege but also to prove that the result of the election had been materially affected by the improper acceptance of the nomination of the other defeated candidate. Unless he succeeds in proving that if the votes cast in favour of the candidate whose nomination had been improperly accepted would have gone in the petitioner's favour and he would have got a majority he cannot succeed in his election petition. Section 100(1)(d)(i) deals with such a contingency. It is not intended to provide a convenient technical plea in a case like this where there can be no dispute at all about the election being materially affected by the acceptance of the improper nomination. "Materially affected" is not a formula that has got to be specified but it is an essential requirement that is contemplated in this section. Law does not contemplate a mere repetition of a formula. The learned Judge has failed to notice the distinction between a ground on which an election can be declared to be void and the allegations that are necessary in an election petition in respect of such a ground. The petitioner had stated the ground on which the 1st respondent's election should be declared to be void. He had also given the material facts as required under Section 83(1)(a). We are, therefore, of opinion that the learned Judge erred in holding that it was not competent for him to go into the question whether the 1st respondent's nomination had been improperly accepted."

23. It is clear from the above judgment that there is a difference between the improper acceptance of a nomination of a returned candidate and the improper acceptance of nomination of any other candidate. There is also a difference between cases where there are only two candidates in the fray and a situation where there are more than two candidates contesting the election. If the nomination of a candidate other than the returned candidate is found to have been improperly accepted, it is essential that the election Petitioner has to plead and prove that the votes polled in favour of such candidate would have been polled in his favour. On the other hand, if the improper acceptance of nomination is of the returned candidate, there is no necessity of proof that the election has been materially affected as the returned

candidate would not have been able to contest the election if his nomination was not accepted. It is not necessary for the Respondent to prove that result of the election in so far as it concerns the returned candidate has been materially affected by the improper acceptance of his nomination as there were only two candidates contesting the election and if the Appellant's nomination is declared to have been improperly accepted, his election would have to be set aside without any further enquiry and the only candidate left in the fray is entitled to be declared elected.

24. The judgment of this Court in Durai Muthuswami (supra) was referred to in Jagjit Singh v. Dharam Pal Singh, 1995 Supp (1) SCC 422 page 429 in which it was held as follows:

"21. The trial Judge has held that since there is no averment in the petition that the result of the election was materially affected by improper rejection or acceptance of votes, it is devoid of cause of action. We are unable to agree that the absence of such an averment in the facts of this case is fatal. As pointed out by this Court, there may be cases where the obvious conclusion to be drawn from the circumstances is that the result of the election has been materially affected and that Section 100(1)(d) of the Act is not intended to provide a convenient technical plea in a case where there can be no dispute at all about the result of the election being materially affected by the alleged infirmity. (See: Durai Muthuswami vs. N. Nachiappan). In the present case, the appellant in the election petition has stated that he has lost by a margin of 80 votes only. From the various averments in the election petition it was evident that the number of valid votes of the appellant which are alleged to have been improperly rejected is much more than 80. From the averments contained in the election petition it is thus obvious if the appellant succeeds in establishing his case as set out in the election petition the result of this election, insofar as it concerns the returned candidate, would be materially affected."

25. It was held by this Court in Vashist Narain Sharma v. Dev Chandra, reported in 1955 (1) SCR 509 as under:

"9. The learned counsel for the respondents concedes that the burden of proving that the improper acceptance of a nomination has materially affected the result of

the election lies upon the petitioner but he argues that the question can arise in one of three ways:

(1) where the candidate whose nomination was improperly accepted had secured less votes than the difference between the returned candidate and the candidate securing the next highest number of votes, (2) where the person referred to above secured more votes, and (3) where the person whose nomination has been improperly accepted is the returned candidate himself.

It is agreed that in the first case the result of the election is not materially affected because if all the wasted votes are added to the votes of the candidate securing the highest votes, it will make no difference to the result and the returned candidate will retain the seat. In the other two cases it is contended that the result is materially affected. So far as the third case is concerned it may be readily conceded that such would be the conclusion. But we are not prepared to hold that the mere fact that the wasted votes are greater than the margin of votes between the returned candidate and the candidate securing the next highest number of votes must lead to the necessary inference that the result of the election has been materially affected. That is a matter which has to be proved and the onus of proving it lies upon the petitioner. It will not do merely to say that all or a majority of the wasted votes might have gone to the next highest candidate. The casting of votes at an election depends upon a variety of factors and it is not possible for any one to predicate how many or which proportion of the votes will go to one or the other of the candidates. While it must be recognised that the petitioner in such a case is confronted with a difficult situation, it is not possible to relieve him of the duty imposed upon him by Section 100(1)(c) and hold without evidence that the duty has been discharged. Should the petitioner fail to adduce satisfactory evidence to enable the Court to find in his favour on this point, the inevitable result would be that the Tribunal would not interfere in his favour and would allow the election to stand."

This Court in Kisan Shankar Kathore v. Arun Dattatray Sawant dealt with a situation similar to that of this case. In that case, the election of the returned candidate was successfully challenged on the ground of non-disclosure of material information. The appeal filed by the returned candidate was dismissed by this Court by observing as follows:

"43.... Once it is found that it was a case of improper acceptance, as there was misinformation or suppression of material information, one can state that question of rejection in such a case was only deferred to a later date. When the Court gives such a finding, which would have resulted in rejection, the effect would be same, namely, such a candidate was not entitled to contest and the election is void."

26. Mere finding that there has been an improper acceptance of the nomination is not sufficient for a declaration that the election is void under Section 100 (1) (d). There has to be further pleading and proof that the result of the election of the returned candidate was materially affected. But, there would be no necessity of any proof in the event of the nomination of a returned candidate being declared as having been improperly accepted, especially in a case where there are only two candidates in the fray. If the returned candidate's nomination is declared to have been improperly accepted it would mean that he could not have contested the election and that the result of the election of the returned candidate was materially affected need not be proved further. We do not find substance in the submission of Mr. Giri that the judgment in Durai Muthuswami (supra) is not applicable to the facts of this case. The submission that Durai Muthuswami is a case of disqualification under Section 9-A of the Act and, so, it is not applicable to the facts of this case is also not correct. As stated supra, the election petition in that case was rejected on the ground of non-compliance of Section 100 (1) (d). The said judgment squarely applies to this case on all fours. We also do not find force in the submission that the Act has to be strictly construed and that the election cannot be declared to be void under Section 100 (1) (d) without pleading and proof that the result of the election was materially affected. There is no requirement to prove that the result of the election of the returned candidate is materially affected once his nomination is declared to have been improperly accepted.

27. For the aforementioned reasons, the Civil Appeal is dismissed. No costs.

Civil Appeal No. 2829 of 2016

28. This appeal is filed by the Petitioner in the election petition challenging that part of the judgment dated 29.02.2016 of the High Court Manipur at Imphal, by which the relief that he should be declared to be elected was rejected. The Appellant contested the election as a candidate of the Nationalist Congress Party (NCP). Respondent No.1 was declared to have been elected on 28.01.2012. The election of the First Respondent was set aside by the High Court in the election petition filed by the Appellant. The Appellant also sought for a relief that he should be declared to have been elected. Such relief was rejected by the High Court. Hence, this appeal.

29. After the result of the election was declared on 28.01.2012, the Appellant resigned from NCP and joined Bhartiya Janta Party (BJP). To a question posed by the Court during the recording of his evidence, the Appellant stated that he tendered resignation from NCP in the latter part of 2013, that he joined BJP and he continued to be a member of the BJP. In January, 2016, the Appellant filed an application for amendment to the election petition. He intended to insert additional submissions relating to his expulsion from NCP on 23.12.2013 and the representation made by him to the President NCP Manipur. to cancel the expulsion order. He also wanted to bring on record the fact that his enrolment to the membership of BJP was rejected on 18.01.2016. He further stated in the application that the order of expulsion by the NCP was revoked by an order dated 21.01.2016.

30. The arguments in the election petition filed by the Appellant were concluded on 25.02.2016. The High Court recorded a finding in the impugned judgment that all the pending miscellaneous applications were disposed of with the consent of both sides and the election petition was to be adjudicated on the basis of existing material on record. As the miscellaneous application filed by the Appellant was not considered, the High Court decided the matter on the basis of the material on record which clearly showed that the Appellant resigned from NCP and joined BJP. After a careful consideration of the material on record,

the High Court refused to grant the declaration as sought by the Appellant. The High Court held that having joined BJP, the Appellant was not entitled for a declaration as he contested the election in 2012 on behalf of NCP. The High Court highlighted the fact that the Appellant will be an MLA belonging to BJP, if declared elected after having contested the election on behalf of the NCP. Taking into account the spirit of law as expressed in paragraph no. 2 of the 10th Schedule of the Constitution of India the High Court did not grant the relief sought by the Appellant that he should be declared elected.

31. Ms. Meenakshi Arora, learned Senior Counsel appearing for the Appellant submitted that the 10th Schedule to the Constitution is not applicable to adjudication of an election petition. She relied upon Section 53 (2) of the Act to contend that the Appellant should be declared as duly elected as he was the only person remaining in the fray after the election of respondent/returned candidate was declared void. Section 101 of the Act provides for declaration of the Petitioner to have been duly elected if the High Court is of the opinion that the Petitioner received majority of the valid votes.

32. According to Section 80 (A) of the Act, the High Court will have the jurisdiction to try an election petition. It is well settled law that the High Court hearing an election petition is not an 'authority' and that it remains the High Court while trying an election petition under the Act. (See *T. Deen Dayal v. High Court of A.P.*, 1997 (7) SCC 535 at page 540. This Court in *Hari Shanker Jain v. Sonia Gandhi*, 2001 (8) SCC 233 at page 244 upheld the decision of a Full Bench of the Rajasthan High Court wherein it was decided that the jurisdiction of the High Court to try an election petition is not by way of constituting a special jurisdiction and conferring it upon the High Court. It is an extension of the original jurisdiction of the High Court to hear and decide the election disputes. It is clear from the above judgments of this Court that the inherent power of the High Court is not taken away when the election disputes are adjudicated. Section 53 (2) is a power conferred on the Returning Officer to declare a candidate elected when the number of candidates is equal to the number of seats to be filled. The power of the High Court is not fettered by Section 53 (2). The High Court has taken into consideration an anomalous situation that would

arise by a candidate belonging to one party being declared elected after having crossed the floor. We are in agreement with the High Court and we do not intend to interfere with the discretion exercised by the High Court.

33. For the aforesaid reasons, the Civil Appeal is dismissed. No order as to costs."

29. Reverting back to the present petition, it is apparent that respondent No.1 was the return candidate. As already held while deciding the Issue Nos.1 to 3, the nomination papers were wrongly accepted, and as such, relying on the principles laid down by Hon'ble Apex Court in case of **Mairembarm Prithviraj**

33

(supra), it is apparent that even when there is no pleading in the petition that the election of respondent No.1 was materially affected, this lapse is not fatal and election can be declared void under Section 100(1)(d)(i)(iv). This issue is accordingly decided in affirmative.

Issue No.6(a) and 6(b)

30. This issue was framed on the basis of pleadings made in return filed by respondent No.5. According to the pleadings, the affidavit filed in support of the petition is not in accordance with provisions of Section 83 of the RP Act 94A of Conduct of Election Rules, 1961.

31. Proviso appended to Section 83 of the Act provides that where the petitioner alleges any corrupt practice, the petition shall also be accompanied by an affidavit in the prescribed form in support of allegations of such corrupt practice and the particulars

therein. Such form of affidavit is prescribed in Rule 1994 and Form 25 of Conduct of Election Rules, 1961.

32. However, it may be seen that in this petition, corrupt practice is not pleaded, and therefore, the proviso appended to the section does not apply, and as such, the objection raised by respondent No.5 has no force, liable to be rejected. This issue is decided accordingly.

33. Accordingly, this petition is allowed. The election of Respondent No.1 is declared void.

Costs of the petitioner shall be borne by respondent No.1 and remaining respondents shall bear their own costs.

Counsel fee is quantified at Rs.10,000/-, if certified.

The Registry is directed to send an authenticated copy of this order to the Election Commission of India and Speaker of Madhya Pradesh Legislative Assembly as provided for by Section 103 of the Representation of People Act, 1951, at the earliest.

Certified copy as per rules.

ALOK VERMA
Judge.

By Order,
Sd./-
(ANUJ JAIPURIAR)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 24 जनवरी 2018

प्र.क्र. 583-अ-82-2017-18

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बड़वेली तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम - बड़वेली

तहसील - सरदारपुर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	7.986	2.817	10.803
	योग:-	7.986	2.817	10.803

अनुसूची (2)

दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बड़वेली की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - बड़वेली

तहसील - सरदारपुर

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बुदिया पिता भेरा जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1054/1/3	0.000	0.500	0.500	0.000	0.370	0.370

2	गणपत पिता फेन्या जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1054/1/5	0.500	0.000	0.500	0.354	0	0.354
3	अम्बाराम पिता लक्ष्मण जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1054/1/11	0.000	0.105	0.105	0.000	0.084	0.084
4	रामा, भेरु, झालु, किशन पिता थाउ नंदुडीबाई बैवा थाउ जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1054/1/10	0.000	0.105	0.105	0.000	0.084	0.084
5	सुखलीबाई पति स्व. सकरु, सोहन, मोहन, राजाराम, मन्नु पिता सकरु जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1054/1/9	0.000	0.105	0.105	0.000	0.045	0.045
6	गंगाराम पिता कोदर जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1044/4	0.000	0.206	0.206	0.000	0.084	0.084
7	शम्भु पिता कोदर जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1044/3	0.000	0.203	0.203	0.000	0.077	0.077
8	नानुराम पिता कोदर जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1044/2	0.000	0.203	0.203	0.000	0.059	0.059
9	नन्दराम, कालु, रमेश पिता मांग्या व हंजाबाई बैवा मांग्या जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1044/1	0.000	0.203	0.203	0.000	0.021	0.021
10	अमरसिंह चम्पू पिता सोम, शम्भु, कमलेश पिता जवरिया जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1034	0.000	0.627	0.627	0.000	0.575	0.575
11	रमेश पिता अम्बाराम जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1039	0.000	0.230	0.230	0.000	0.053	0.053
12	जीवन पिता सुक्या जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1035	0.000	0.209	0.209	0.000	0.202	0.202
13	सोहन, मोहन, राजाराम, मन्नु पिता सकरु सुकलीबाई बैवा सकरु अम्बाराम, रतन पिता लक्ष्मण जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1036	0.000	0.261	0.261	0.000	0.105	0.105
14	शम्भु पिता छीतु कमलेश पिता जवरिया जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1038/3	0.000	0.520	0.520	0.000	0.125	0.125
15	सावित्रीबाई पति रामचंद्र जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	1038/4	0.000	0.525	0.525	0.000	0.418	0.418
16	भेरुलाल पिता रणछोड जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	993	0.000	0.575	0.575	0.000	0.115	0.115
17	शम्भा पिता सकरु जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	982/1	0.213	0	0.213	0.030	0	0.030
18	भागीरथ पिता मयाराम जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	985	0.000	0.136	0.136	0.000	0.075	0.075
19	रामा पिता नाथु जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	955/2	1.196	0.000	1.196	0.490	0.000	0.490

20	किशन पिता मयाराम जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	955/3/2	0.598	0.000	0.598	0.177	0.000	0.177
21	रामेश्वर पिता मयाराम जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	955/3/1	0.599	0.000	0.599	0.170	0.000	0.170
22	राजू पिता सुन्दरलाल जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	955/4/2	0.000	0.300	0.300	0.000	0.105	0.105
23	रामचंद्र पिता दयाराम जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	955/4/3	0.000	0.299	0.299	0.000	0.220	0.220
24	भागीरथ पिता रामचंद्र जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	957/1	0.574	0.000	0.574	0.200	0.000	0.200
25	सुरेश पिता भागीरथ जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	957/2	0.564	0.000	0.564	0.152	0.000	0.152
26	फुन्दीबाई पति स्व. परसराम जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	957/3	0.565	0.000	0.565	0.152	0.000	0.152
27	सत्यनारायण पिता हरचंद्र जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	956/2	0.931	0.000	0.931	0.083	0.000	0.083
28	कन्हैयालाल पिता हरचंद्र जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	956/1	2.194	0.000	2.194	0.468	0.000	0.468
29	रामसिंग पिता गट्टू जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	934/4	0.240	0.000	0.240	0.110	0.000	0.110
30	नरसिंह पिता गट्टू जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	934/7	0.241	0.000	0.241	0.041	0.000	0.041
31	नन्दराम, कालु, रमेश पिता मांग्या व हंजाबाई पति स्व. मांग्या जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	934/5	0.180	0.000	0.180	0.090	0.000	0.090
32	शम्भु पिता कोदर जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	934/6	0.181	0.000	0.181	0.050	0.000	0.050
33	मोहन पिता रामचन्द्र जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	372/2	1.259	0.000	1.259	0.438	0.000	0.438
34	मोहन पिता नाथू जाति पटल्या निवासी ग्राम बड़वेली	371/1	1.150	0.000	1.150	0.277	0.000	0.277
35	नाथु पिता काशीराम जाति पटल्या निवासी ग्राम बड़वेली	371/2/2	0.836	0.000	0.836	0.262	0.000	0.262
36	मुकेश पिता नाथु जाति पटल्या निवासी ग्राम बड़वेली	371/2/1	0.313	0.000	0.313	0.190	0.000	0.190
37	सीताबाई पति जगदीश जाति मारु निवासी ग्राम बड़वेली	361/1	1.174	0.000	1.174	0.261	0.000	0.261
38	रमेशचन्द्र, कैलाश पिता रामचंद्र जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	377/1	1.427	0.000	1.427	0.684	0.000	0.684
39	मोहनलाल पिता कन्हैयालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	379/2/1/1	0.525	0.000	0.525	0.015	0.000	0.015

40	रामनारायण पिता परथी जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	325/2	1.066	0.000	1.066	0.365	0.000	0.365
41	रामगोपाल पिता परथी जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	325/1/1 /1/1/1	0.752	0.000	0.752	0.191	0.000	0.191
42	सुखदेव पिता चम्पालाल व धापुबाई बैवा चम्पालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	326	0.418	0.000	0.418	0.219	0.000	0.219
43	लीलाबाई पिता रामचन्द्र पति कैलाशचन्द्र जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	328/1	1.813	0.000	1.813	0.373	0.000	0.373
44	महेशचंद्र पिता रामचंद्र जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	331	1.682	0.000	1.682	0.366	0.000	0.366
45	शान्तिलाल पिता शंकरलाल जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	321/2	1.196	0.000	1.196	0.261	0.000	0.261
46	दिनेश पिता रामचंद्र जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	321/1	1.197	0.000	1.197	0.366		0.366
47	मिश्रीया, रमेश पिता जंगल्या जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली	310	1.254	0.000	1.254	0.678	0.000	0.678
48	मोहनलाल पिता पुना जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली	318	1.066	0.000	1.066	0.063	0.000	0.063
49	धुलीबाई बवा काश्या व सरजुबाई बुदीबाई, धापुबाई, गिताबाई, नीम्बूबाई पिता काश्या 50 पैसे भाग भूमि स्वामी कालु अमृत पिता नूरा व नन्दीबाई बैव नूरा जाति भील 50 पैसे भाग निवासी ग्राम बड़वेली	315	1.463	0.000	1.463	0.327	0.000	0.327
50	मयाराम पिता किशन जाति मारु	273/1	0.258	0.000	0.258	0.010	0.000	0.010
		272/1	1.358	0.000	1.358	0.050	0.000	0.050
		271/1	0.174	0.000	0.174	0.023	0.000	0.023
योग :-			29.157	5.312	34.469	7.986	2.817	10.803

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

आगर-मालवा, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्र. भू-अर्जन-2018-42

भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं 30 सन 2013) अंतर्गत चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिल राजगढ़ की ग्राम गडिया के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि का जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रायोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

क्रं.	ग्राम - गडिया विवरण	तहसील - नलखेड़ा	
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	256.358	216.903
	योग	256.358	216.903

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
1	2	3	4	5
1	चंदसिंह पिता कन्हैयालाल जाति राजपुत पता नि. ग्राम देवला बिहारी भूमि स्वामी	2/2	0.084	0.084
		14/3	0.073	0.073
		287/5/2	0.500	0.500
		286/2	0.920	0.050
	योग	286/3	0.105	0.500
2	भुरीबाई पति अजबसिंह जाति गुर्जर	2/4/1	1.682	1.207
			0.229	0.229

	पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	38/2	0.428	0.428
		7/2/1	0.261	0.261
	योग		0.918	0.918
3	लीलाबाई पति रामप्रसाद जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/4/2	0.225	0.225
		45/1	0.105	0.105
		39/2 40	0.628	0.628
	योग		0.958	0.958
4	मयाराम पिता बल्देव जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/4/3	0.225	0.225
		45 min 2	0.721	0.721
		46	0.491	0.491
		47	0.167	0.167
		84/3	0.239	0.239
	योग		1.843	1.843
5	शान्तिबाई पति प्रभुलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/4/4	0.229	0.229
		49/1 50	0.245	0.245
	योग		0.474	0.474
6	धीरप सिंह ना.बा. पिता रमेश सर पिता स्वयं जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/4/5	0.224	0.224
		5/1/1	0.627	0.627
	योग		0.851	0.851
7	नारायण पिता चन्द्रसिंह ईश्वरसिंह पिता कानजी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/5/1	1.019	1.019
		योग		1.019
8	इंदरसिंह पिता भैरुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/5/2	0.437	0.437
		योग		0.437
9	रामसिंह पिता भैरुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/5/3	0.467	0.467
		योग		0.467
10	रामसिंह पिता गोकुलसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/8 14/1	1.651	1.651
		योग		1.651
11	मांगु अमरसिंह पिता रायसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/13	1.285	1.285
		2/14	0.627	0.627

	पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	38/2	0.428	0.428
		7/2/1	0.261	0.261
	योग		0.918	0.918
3	लीलाबाई पति रामप्रसाद जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/4/2	0.225	0.225
		45/1	0.105	0.105
		39/2 40	0.628	0.628
	योग		0.958	0.958
4	मयाराम पिता बल्देव जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/4/3	0.225	0.225
		45 min 2	0.721	0.721
		46	0.491	0.491
		47	0.167	0.167
		84/3	0.239	0.239
	योग		1.843	1.843
5	शान्तिबाई पति प्रभुलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/4/4	0.229	0.229
		49/1 50	0.245	0.245
	योग		0.474	0.474
6	धीरप सिंह ना.बा. पिता रमेश सर पिता स्वयं जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/4/5	0.224	0.224
		5/1/1	0.627	0.627
	योग		0.851	0.851
7	नारायण पिता चन्द्रसिंह ईश्वरसिंह पिता कानजी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/5/1	1.019	1.019
		योग		1.019
8	इंदरसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/5/2	0.437	0.437
		योग		0.437
9	रामसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/5/3	0.467	0.467
		योग		0.467
10	रामसिंह पिता गोकुलसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/8 14/1	1.651	1.651
		योग		1.651
11	मांगु अमरसिंह पिता रायसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2/13	1.285	1.285
		2/14	0.627	0.627
	योग		1.912	1.912

12	गोकुलसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/1	0.152	0.152
		4/1	0.063	0.063
		3/3	0.428	0.428
	योग		0.643	0.643
13	अमरसिंह पिता देवा जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/2/1/1 7/1	0.78	0.78
		269/2	0.606	0.606
		48/2	0.622	0.622
	योग		2.008	2.008
14	तेजसिंह पिता देवा जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/2/1/2 7/1/2	0.079	0.079
		48/1	0.622	0.622
		5/2	0.010	0.010
		4/3 7/3	0.052	0.052
		5/3	0.867	0.867
	योग		1.630	1.630
15	बब्लुसिंह पिता अमरसिंह जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/2/2/1 4/2	0.544	0.544
		193/1	0.084	0.084
		162/1	0.078	0.078
	योग		0.706	0.706
16	पप्पुसिंह अमरसिंह जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/2/2/2	0.543	0.543
		186	0.084	0.084
		162/2	0.078	0.078
	योग		0.705	0.705
17	हरलाल पिता अमरा राजुबाई पुत्री अमरा करणासिंह शिवलाल मानसिंह नारायण दुर्गाप्रसाद कन्हैयालाल पिता प्यारा जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	5/1/2	0.627	0.627
		5/4	0.01	0.01
		6/2 , 7/2/9902	0.91	0.91
		11/1	0.115	0.115
		7/4	0.052	0.052
		237/2	0.042	0.042
		196	0.084	0.084
	योग		1.840	1.840
18	सीताराम पिता बलदेव जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	5/1/3	0.348	0.348
			0.115	0.115
	योग		0.463	0.463

19	सीमाबाई पत्नि तुफानसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम महेंद्री	8	0.502	0.502
		9/1/2	0.563	0.563
	योग		1.065	1.065
20	शिवसिंह पिता देव जी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9/1/1	0.106	0.106
		9/2	0.042	0.042
		155	0.146	0.146
		31/2	0.444	0.444
	योग		0.738	0.738
21	कमलाबाई पति सीताराम जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	13	0.700	0.700
		149/1	0.199	0.199
		36	0.585	0.585
		37	0.773	0.773
	योग		2.257	2.257
22	चंदरसिंह पिता कन्हैयालाल रामकुंवरबाई तेजूबाई भंवर कुंवरबाई पिता कन्हैयालाल जाति भाटी (राजपूत) पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	14/2	0.188	0.188
		17/1	0.167	0.167
		18/1	1.401	1.401
		68/2/2	0.099	0.099
		64/6	0.167	0.167
		64/7	0.052	0.052
		29/1	0.23	0.23
		28/2	0.157	0.157
		21/2 22	0.360	0.360
		23/1 24/1 25/2	0.439	0.439
		19	0.188	0.188
		30/2	0.324	0.324
		32/2	0.376	0.376
	20 21/9901	1.145	1.145	
योग		5.293	5.293	
23	गोकलसिंह पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम सम भाग भाग भूमि स्वामी	15/2 16	0.418	0.418
		218/2	0.031	0.031
		32/3 34/2	0.481	0.481
		153/3	0.152	0.152
	योग		1.082	1.082

24	बहादुरसिंह पिता गोकुलसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	18/6/1	0.121	0.121
		180/1	0.125	0.125
		18/9/3	0.436	0.436
		88/2	0.163	0.030
	योग		0.845	0.712
25	बनेसिंह पिता गोकलसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	18/6/2	0.121	0.121
		159	0.094	0.094
		18/9/2	0.436	0.436
		78/1	0.613	0.613
		88/3	0.165	0.050
	योग		1.429	1.314
26	शिवलाल पिता हरिसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	18/6/3	0.183	0.183
		18/9/7	0.236	0.236
	योग		0.419	0.419
27	भगवानसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	18/6/4	0.183	0.183
		166	0.031	0.031
		150/1 151/1	0.063	0.063
		18/9/4	0.235	0.235
	योग		0.512	0.512
28	जीवनसिंह पिता गोकलसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	18/6/5	0.121	0.121
		180/2	0.126	0.126
		18/9/1	0.068	0.068
		18/7/2	0.368	0.368
			0.163	0.163
	योग		0.846	0.846
29	रामलाल पिता हरिसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	18/6/6	0.183	0.183
		18/9/6	0.235	0.235
	योग		0.418	0.418
30	दिलीपसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	18/6/7	0.091	0.091
		18/7/1	0.092	0.092
		190/1	0.038	0.038
		18/9/5	0.235	0.235
	योग		0.456	0.456

31	बालूसिंह पिता परबतसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	18/8 65 67 66 25 26	2.466	2.466
		68/9	2.09	2.09
		68/7 69/12	0.972	0.972
		68/8 69/13	1.787	1.787
		67/2	0.136	0.136
		157/3	0.073	0.073
		58/2	0.92	0.92
	योग	8.444	8.444	
32	दुलेसिंह पिता पुरालाल गीताबाई कंचनबाई धापूबाई सीताबाई भागवंतीबाई पु. पुरालाल जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	18/12	1.514	1.514
		योग	1.514	1.514
33	प्रेमसिंह पिता मोतीसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	18/13	1.500	1.500
		योग	1.500	1.500
34	गोपाल सिंह रामलाल लक्ष्मण सिंह पिता उमरावसिंह चतरबाई वि. उमरावसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	27/1	1.599	1.599
		27/2	0.199	0.199
		योग	1.798	1.798
35	गोकलसिंह पिता बापूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	28/1/1	0.533	0.533
		33/1	1.338	1.338
		योग	1.871	1.871
36	हरिसिंह पिता बापूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	28/1/2	0.261	0.261
		57	0.564	0.564
		योग	0.825	0.825
37	रामलाल पिता उमरावसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	29/2	0.272	0.272
		219/3 220	0.031	0.031

		212/1/3	0.035	0.035
		212/2/MIN 2	0.209	0.209
		71/2	1.382	1.382
	योग		1.929	1.929
38	रुकमाबाई पति धीरपसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	31/1	0.444	0.444
		189	0.084	0.084
		49/2	0.247	0.247
		42	0.105	0.105
		योग		0.880
39	गंगाराम पिता देवीसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	33/2	0.575	0.575
		54/1	0.538	0.538
		योग		1.113
40	रमेशचंद पिता बलदेव जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	38/1	0.209	0.209
		41/2	0.731	0.731
		39/1/2	0.105	0.105
		योग		1.045
41	सीताराम मायाराम रामप्रसाद रमेश पिता बलदेव जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	39/1/1	0.104	0.104
		41/1	0.157	0.157
		योग		0.261
42	भगवानसिंह पिता इंदरसिंह कमलाबाई वि इंदरसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	43/1	0.762	0.762
		218/1	0.031	0.031
		117/5	0.303	0.303
		118/6	0.021	0.021
		118/3,116/3/1	0.407	0.407
		118/7	0.021	0.021

		118/9 131 139/1 137/4 138 141/1 153/1	0.794	0.794
		116/6 118/8	2.445	2.445
	योग		4.784	4.784
43	दरियावसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	44/1	0.199	0.199
		116/16/2	0.099	0.099
		116/8/2	0.134	0.134
		116/3/2	0.021	0.021
		87/6/2/2	0.062	0.062
		87/3/2/1	0.013	0.013
		69/16/1	0.222	0.222
		69/6/2/2	0.018	0.018
		256/1/10 258/2/10 286/5/10	0.328	0.328
		69/7/2/1	0.026	0.026
		69/5/2	0.056	0.056
		69/6/2/4	0.041	0.041
		85/2/2 86/2/2	0.074	0.074
	योग		1.293	1.293
44	नारायण पिता गगाराम जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	44/2	0.198	0.198
		116/4/2	0.146	0.146
		87/3/2	0.129	0.129
		69/6/1/1	0.062	0.062
		69/6/1/3	0.356	0.356
		116/5	0.073	0.073
	योग		0.964	0.964
45	देवीसिंह पिता परवतसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	44/3	0.199	0.199

		117/3/2	0.010	0.010
		116/9/3 116/12/3	0.083	0.083
		116/2/1	0.126	0.126
		91/6/2	0.159	0.159
		83/1/4 84/2/4	0.040	0.040
		256/1/15 258/2/15 286/2/15	0.246	0.246
		69/7/2/6	0.037	0.037
		69/6/1/4	0.209	0.209
		85/2/6 86/2/6	0.223	0.223
	योग		1.332	1.332
46	मायाराम पिता बल्देव जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	45/2	0.721	0.721
		59/1	0.428	0.428
		46	0.491	0.491
		47	0.167	0.167
	योग		1.807	1.807
47	गोकुल सिंह पिता बापुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	51	0.324	0.324
	योग		0.324	0.324
48	बापु पिता पन्नालाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	53	1.338	1.338
		111/6/1	0.157	0.157
	योग		1.495	1.495
49	बापूसिंह पिता पन्नालाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	53/2 min	1.338	1.338
	योग		1.338	1.338
50	ईश्वर पिता पन्नालाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	54/2/1	0.538	0.538
		54/2	0.538	0.538
		282/2	0.721	0.721
		281/4/2	0.418	0.418

		272/2/2273/3284/3280/3281/1	0.836	0.836
		106/2 106/3	0.458	0.085
		106/2/2 106/3 107/2	0.458	0.085
	योग		3.967	3.221
51	भगवानसिंह पिता भीमसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	55	0.47	0.47
		272/1 273/1	0.794	0.794
		211/2	0.042	0.042
		212/3	0.105	0.105
		149/3	0.199	0.199
		145/1	0.021	0.021
		148/1	0.136	0.136
		112/5	0.523	0.523
		71/4	1.382	1.382
		73/1	0.543	0.543
		273/6	0.407	0.407
		91/10	0.446	0.002
	योग		5.068	4.624
52	गोपालसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपुत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	56	0.418	0.418
		219/1 220	0.032	0.032
		212/1	0.035	0.035
		195/1/1	0.084	0.084
		130/1/1	0.345	0.345
	योग		0.914	0.914
53	लालसिंह पिता चंदरसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	58/1/1	0.481	0.481
	योग		0.481	0.481
54	गजराबाई पति घीसुलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	58/1/2	0.480	0.480
	योग		0.480	0.480
		50/2 60		

55	गोपालसिंह रामलाल लक्ष्मणसिंह पिता उमरावसिंह चतरबाई वि. उमराव जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	59/2 60	0.428	0.428
		181/2	0.073	0.073
		182	0.01	0.01
		121/1	0.251	0.251
		118/6119/3	0.168	0.168
		123	0.094	0.094
		113/4 120/1118/5 119/2 124/1	0.753	0.325
		113/3 113/5 116/1 119/1 120/2 121/2	1.913	0.728
	113/10 242/7	0.104	0.050	
	योग	3.794	2.127	
56	कालाजी महाराज का चबुतरा स्थित ग्राम भूमि स्वामी व्यवस्थापक श्री कलेक्टर महोदय शाजापुर पता नि. ग्राम देवस्थान	61	0.261	0.261
		योग	0.261	0.261
57	उमरावसिंह भगवानसिंह पिता भीमसिंह होकमसिंह पिता रामसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम सम भाग भाग भूमि स्वामी	62/1 74/1	1.965	1.965
		217	0.073	0.073
		योग	2.038	2.038
58	उमरावसिंह भगवानसिंह पिता भीमसिंह होकमसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	62/2/2	1.035	1.035
		योग	1.035	1.035
59	कमलसिंह पिता शिवसिंह जाति राजपुत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	62/2/1 74/3	1.045	1.045
		263/1/1	1.000	1.000
		241/1	0.021	0.021
		194	0.094	0.094

		71/1/3	0.461	0.461
		263/2/1	0.554	0.554
	योग		3.175	3.175
60	प्रेमनारायण रामगोपाल पिता रामचंद्र जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भण्डावद	63	0.460	0.460
	योग		0.460	0.460
61	लालसिंह द.पु. अर्जुनसिंह जाति. सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	64/1	1.181	1.181
		105/1	1.045	1.045
		106/5	0.209	0.209
		87/7	0.376	0.376
		171	2.811	2.811
	योग		2.811	2.811
62	संतोषबाई वि. दिनेश जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	64/2	0.115	0.115
		64/3	1.285	1.285
		154/1	0.152	0.152
		118/10	0.094	0.094
		135/1	1.646	1.646
	योग		1.646	1.646
63	दुर्गाप्रसाद पिता रामलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	64/4/1	1.029	1.029
		87/8	0.334	0.025
		179/1	0.115	0.115
			1.478	1.169
	योग		1.478	1.169
64	लाखनसिंह पिता रामलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	64/4/2	1.030	1.030
			1.030	1.030
	योग		1.030	1.030
65	मोहनबाई पति गोपालसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	64/5	2.184	2.184
		209	0.167	0.167
		165	0.063	0.063
		152	0.156	0.156
		156	0.136	0.136
		85/1	0.136	0.136
			2.706	2.706
	योग		2.706	2.706
66	तुफानसिंह पिता रामलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/1/1	0.01	0.01
		130/4/1	0.021	0.021
		68/12/1	0.836	0.836
			0.867	0.867
	योग		0.867	0.867
67	सुरेश चंदरसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/1/2 min	0.732	0.732
			0.732	0.732
	योग		0.732	0.732


68	रुकमाबाई पति दुलेसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/2/1	1.500	1.500
	योग		1.500	1.500
69	रुगनाथ सिंह पिता धनजी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/3	0.131	0.131
		69/24	0.509	0.509
		69/2 70/7 116/11	0.33	0.33
		70/9	0.339	0.339
	योग		1.309	1.309
70	रतनलाल पिता घीसुलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/4	0.366	0.366
	योग		0.366	0.366
71	बालु पिता मोती जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/10	1.835	1.835
		265/6	0.376	0.376
	योग		2.211	2.211
72	रामलाल पिता भुवानसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/11	0.314	0.314
		68/12/2	1.254	1.254
		130/4/2	0.031	0.031
	योग		1.599	1.599
73	नारायण पिता रामा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/13	2.000	2.000
		265/11/1	0.313	0.313
		259/3	0.178	0.178
	योग		2.491	2.491
74	शिवसिंह पिता धनजी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/14	0.657	0.657
		70/11	0.339	0.339
		69/17 70/13 116/19	0.33	0.33
	योग		1.326	1.326
75	भगवानसिंह पिता धनसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/15	0.656	0.656
		70/10	0.339	0.339
		69/18 70/14 116/20	0.33	0.33
	योग		1.325	1.325
76	ईश्वरसिंह पिता धनजी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68/16 117/2	0.625	0.625

		69/19 70/15 116/21	0.332	0.332
		70/5 70/12	0.339	0.339
	योग		1.296	1.296
77	रामसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/3/1	0.679	0.679
	योग		0.679	0.679
78	एल्कारसिंह पिता परबतसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/3/2	0.021	0.021
		256/1/17 258/2/17 286/5/17	0.245	0.245
		256/1/8 258/2/8 286/5/8	0.045	0.045
		116/13/8	0.020	0.020
		116/15	0.132	0.132
		116/8/7	0.033	0.033
		116/2/3	0.031	0.031
		91/6/4	0.250	0.250
		69/6/1/6	0.147	0.147
		69/7/2/8	0.037	0.037
		69/8/2	0.062	0.062
	योग		1.023	1.023
79	पन्नालाल पिता धनजी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/4	0.669	0.669
		84/5	0.125	0.125
		70/2	0.338	0.338
		69/20 70/16 116/22	0.33	0.33
		योग		1.462
80	कालूसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/5/1	0.278	0.278
		256/1/9 258/2/9 286/5/9	0.328	0.328
		87/3/1	0.271	0.271

		87/6/2/1	0.062	0.062
		69/16	0.489	0.489
		116/8/1	0.135	0.135
		256/1/1 258/2/1 286/5/1	0.061	0.061
		116/13/1	0.020	0.020
		116/13/3	0.053	0.053
		116/16/4	0.044	0.044
		117/3/1	0.021	0.021
		85/2/1 86/2/1	0.074	0.074
	योग		1.836	1.836
81	रोडसिंह पिता परवतसिंह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/6/1/2	0.209	0.209
		256/1/14 258/2/14 286/5/17	0.246	0.246
		256/1/5 258/2/5 286/5/5	0.045	0.045
		116/9/2 116/12	0.209	0.209
		91/6/1	0.250	0.250
		83/1/3 84/2/3	0.200	0.200
		69/7/2/5	0.037	0.037
		योग		1.196
82	कमलसिंह पिता परवतसिंह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/6/1/5	0.209	0.209
		256/1/16 258/2/16 286/5/16	0.245	0.245
		256/1/7 258/2/7 286/5/7	0.045	0.045
		116/8/6	0.033	0.033
		116/2/2	0.209	0.209
		91/6/3	0.250	0.250
		69/7/2/7	0.037	0.037
		116/13/7	0.021	0.021
योग		1.049	1.049	
83	प्रेमसिंह पिता रामसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/7/1/1	0.011	0.011
		69/7/2/2	0.048	0.048
		69/8/1	0.095	0.095

		83/1/1 84/2/1	0.240	0.240
		69/16/2	0.267	0.267
	योग		0.661	0.661
84	गोपालसिंह पिता गगाराम जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/7/2/3	0.418	0.418
		69/7/2/4	0.143	0.143
		116/4/1	0.168	0.168
		87/3/4	0.130	0.130
		83/1/2 84/2/2	0.241	0.241
	85/2/4 86/2/4	0.111	0.111	
	योग		1.211	1.211
85	गोपालसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	87/1 82/3	0.167	0.167
	योग		0.167	0.167
86	प्रभुलाल पिता बालूसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/9	0.455	0.455
	योग		0.455	0.455
87	भेरूसिंह पिता बालूसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/11/1	0.403	0.403
	योग		0.403	0.403
88	दरबारसिंह पिता बालूसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/11/2	0.403	0.403
		116/10/2	0.138	0.138
	योग		0.541	0.541
89	गंगाराम पिता धनजी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/21	0.454	0.454
		69/22	0.805	0.805
		126/1	0.100	0.100
		116/17	0.411	0.411
	योग		1.770	1.770
90	दुलेसिंह पिता धन जी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/23 242/8	0.733	0.733
	योग		0.733	0.733
91	चंदरसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	70/1/1	0.314	0.314
		70/4/1	0.105	0.105
		70/3/1	0.408	0.408
	योग		0.827	0.827
92	काना जी पिता भेरूसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	70/1/2	0.314	0.314
		70/3/1	0.408	0.408

		70/4/2	0.105	0.105
	योग		0.827	0.827
93	रायसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	70/1/3	0.626	0.626
		70/3/3	1.117	1.117
		70/4/3	0.292	0.292
	योग		2.035	2.035
94	रुगनाथ सिंह पिता शिवसिंह जी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	71/1/1	0.461	0.461
		240/2	0.115	0.115
		212/2	0.094	0.094
		192	0.052	0.052
		105/2	0.184	0.184
	106/4	0.184	0.184	
योग		0.906	0.906	
95	नरवरसिंह पिता शिवसिंह जी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	71/1/2	0.46	0.46
		195/4	0.104	0.104
		195/2/2	0.104	0.104
	149/1/1	0.199	0.199	
योग		0.867	0.867	
96	होकमसिंह पिता रामसिंह सरदारबाई वि रामसिंह सम भाग जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	71/3	1.383	1.383
		238	0.063	0.063
	239	0.209	0.209	
योग		1.655	1.655	
97	होकमसिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर पिता सरदारबाई वि रामसिंह स भाग जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	72	0.063	0.063
	योग		0.063	0.063
98	घीसूसिंह पिता धूला जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	73/2	0.010	0.010
		74/2/1 75/1 76/1 77/2 92/3	1.484	1.484
	95	0.345	0.345	
योग		1.839	1.839	
99	धुला पिता भैरु जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	75/2	0.146	0.088
		75/3	0.052	0.052
		167	0.021	0.021
		92/2	0.042	0.042
	91/1	0.406	0.013	
योग		0.667	0.216	



100	बालूसिंह पिता परबतसिंह जतनबाई वि. परबत सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	77/1	2.000	0.500
		77/4	0.811	0.300
	योग		2.811	0.800
101	जीवनसिंह पिता गोकलसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	78/2	0.613	0.525
	योग		0.613	0.525
102	बहादुरसिंह पिता गोकलसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	78/3	0.613	0.255
	योग		0.613	0.255
103	अनारिया पिता अमरा जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	81 87/2	0.167	0.167
	योग		0.167	0.167
104	गोपाल सिंह पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	82/1/1	0.251	0.045
		232/4	0.052	0.040
		154/3	0.073	0.073
		118/10 137/1	0.444	0.444
		82/1/2	0.209	0.044
		83/2/2 89/1	0.042	0.022
		153/2	0.021	0.021
		157/2	0.136	0.136
		योग		1.228
105	बद्रीलाल पिता अनारिया जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	82/2	0.846	0.046
	योग		0.846	0.046
106	गोकल सिंह पिता हरिसिंह सौधिया कुवा रकबा हि 13 व गोपाल सिंह पिता हरिसिंह कुआ रकबा हि 2/3 जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	83/2/1	0.021	0.021
	योग		0.021	0.021
107	पारीबाई पति बिहारीलाल जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	84/1 87/4	0.238	0.238
	योग		0.238	0.238

108	पारीबाई पति बिहारीलाल प्रभुबाई पति हरलाल समान भाग जाति बंजारा पता नि. ग्राम महेद्री भूमि स्वामी	84/8	0.136	0.136
		84/9	0.165	0.165
	योग		0.301	0.301
109	भावसिंह पिता देवा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	84/4	0.239	0.239
		योग	0.239	0.239
110	सोरमबाई पति रामसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम महेद्री भूमि स्वामी	84/6	0.154	0.154
		84/7	0.136	0.136
	योग		0.290	0.290
111	ईश्वरसिंह अन्तरसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	87/3/3	0.272	0.272
		87/6/2/3	0.062	0.062
		256/1/11 258/2/11 286/5/11	0.327	0.327
		256/1/3 258/2/3 286/5/3	0.060	0.060
		85/2/3 86/2/3	0.075	0.075
		योग		0.796
112	सतौषबाई पति गोपालसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	87/6/1/1	0.015	0.015
		87/6/3/1	0.290	0.290
		87/6/4	0.211	0.211
		256/1/12 258/2/12 286/5/12	0.491	0.491
		256/1/4 258/2/4 286/4	0.181	0.181
		योग		1.188
113	राजूबाई पति नारायणसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	87/6/1/2	0.380	0.380
		87/6/3/2	0.105	0.105
	योग		0.485	0.485
114	अलादीनबी वि. खुदाबक्ष मासूम बी	91/2	0.042	0.005

	वि. खुदाबक्ष जाति पिंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	91/9	0.356	0.003
	योग		0.398	0.008
115	लक्ष्मणसिंह पिता उमराव सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	91/3	0.084	0.008
		91/7	0.449	0.003
		256/2 258/1 286/4	0.080	0.080
		212/1/2	0.035	0.035
		219/2 220	0.031	0.031
		195/1/2	0.041	0.041
		112/2/1	0.314	0.314
		योग		1.034
116	होकम सिंह पिता रामसिंह सरदारबाई वि. रामसिंह सम भाग जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	91/4 92/1	0.689	0.689
		91/11	0.446	0.446
		92/3	0.031	0.031
		योग		1.166
117	लाबुबाई पति होकमसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	91/5	0.638	0.638
		योग		0.638
118	देवगिर पिता रामचंद्र गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम नलखेड़ा	91/8	0.418	0.003
		योग		0.418
119	प्रकाश पिता बालू सिंह अन्तरकरणबाई उर्फ अन्करबाई पति बालू सिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	93/1	0.105	0.036
		93/2	0.073	0.016
		योग		0.178
120	रामलाल पिता हरसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	94/1	0.130	0.028
		135/2 136	0.152	0.152
		योग		0.282
121	शिवलाल पिता हरसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	94/2	0.130	0.023
		150/3	0.062	0.062
		112/1/3	0.445	0.445
		योग		0.637

122	भगवान सिंह पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	94/3	0.130	0.028
	योग		0.130	0.028
123	दिलीप सिंह पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	94/4	0.133	0.026
		150/2	0.063	0.063
		112/1/4	0.444	0.444
योग		0.640	0.533	
124	चतरबाई पति प्रेमबाई जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	105/4/1	0.669	0.669
		106/6		
योग		0.669	0.669	
125	चतरबाई पति प्रेमसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106/2/1	0.258	0.035
		106/3 107/9		
		111/6/2	0.199	0.199
योग		0.657	0.284	
126	बापुसिंह पिता पन्नालाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	272/2/3		
		273/3		
		284/3	0.345	0.345
		280/3		
		281/1		
योग		231	0.115	0.115
योग			0.460	0.460
127	मोहनबाई पति रामनारायण जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106/3	1.411	0.095
		214	0.136	0.136
		योग		1.547
128	गल्ला पिता भैरू जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106/7	1.588	0.030
		योग		1.588
129	रायसिंह पिता पूरा जाति बैलदार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106/8	1.000	1.000
		योग		1.000
130	देवा पिता कालु जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106/11	2.027	0.035
		योग		2.027
131	धापुबाई वि. गोपीलाल कनीराम पिता गोपीलाल जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106/13	1.000	0.025
	योग		1.000	0.025

132	देवीसिंह पिता मोतीसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय लगान	107/1/1/2	1.303	1.303
132	पीरू पिता राधाकिशन जाति बैलदार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106/14	0.727	0.057
	योग		0.727	0.057
133	बालु सिंह पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	109/1	2.299	1.700
		185/2 199 193/2	0.219	0.219
		163/1	0.094	0.094
		157/1	0.084	0.084
	योग		2.696	2.097
134	लाखन सिंह पिता रामलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	109/2	0.355	0.300
	योग		0.355	0.300
135	गोकलसिंह पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम सम भाग भूमि स्वामी	110/1/1	0.245	0.050
	योग		0.245	0.050
136	मोहनबाई पति गोपालसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	110/1/2	0.382	0.045
	योग		0.382	0.045
137	रोडूलाल गोकुलसिंह अर्जुनसिंह पिता बापू सिध्दीबाई शाताबाई पुत्री बापू जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	110/2	2.090	0.055
		264/2	0.031	0.031
		232/3	0.052	0.052
		202	0.010	0.010
		203/1	0.047	0.047
	योग		2.230	0.195
138	कमलाबाई पति गोकलसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	110/5	1.463	0.059
	योग		1.463	0.059
139	रामूबाई पति हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	111/1	0.105	0.052
		187	0.105	0.105
	योग		0.210	0.157

(मु-अ)

140	कालुसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	111/2230/1	0.094	0.094
		240/1	0.146	0.146
		211/1	0.042	0.042
		195/2/1	0.105	0.105
		112/4	0.523	0.523
		154/2	0.010 ⁰	0.010
	योग		0.920	0.920
141	आत्माराम गंगाराम भगवानसिंह पुत्रगण घीसू काबूबाई रामकुंवरबाई पुत्री घीसू हि 7 पै. स भा समन्दर पिता देवीसिंह हि 7 पै बाजाबाई धापुबाई भूलीबाई पिता अमरा हि. 6 पैसे कालूसिंह पिता शिवसिंह गीताबाई पति शिवसिंह जाति सोधिया धन्ना रामसिंह कान्हा पिता पुरा धुलीबाई वि. पुरा जाति बैलदार रामदयाल पिता गंगाराम प्रभुलाल पिता रामा जाति गुर्जर नि. गोकलपुर रमेश पिता प्रभू ना. बा. सर पिता स्वयं चंदरसिंह पिता भैया जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	111/3	0.125	0.125
		289/8/2 290/6	0.167	0.075
	योग		0.292	0.200
142	धापुबाई मेहताबाई पु. धुला जाति लौहार पता नि ग्राम भूमि स्वामी	111/4	0.125	0.125
		योग	0.125	0.125
143	भगवानसिंह शिवसिंह उमरावसिंह पिता भीम सिंह होकम सिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर माता सरदार बाई पति रामसिंह हि 1/2 मांगीलाल पिता गंगाराम भगवानसिंह पिता भैया बंशीलाल पिता देवीसिंह जाति गूजर नि. गोकलपुर हि 1/4 कंचनबाई पिता रामसिंह हि 1/4 जाति सौधिया	111/7	0.063	0.063
		योग	0.063	0.063
144	कानाजी पिता भैरूसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	111/10	1.120	1.120
		योग	1.120	1.120

145	चंदर सिंह पिता भैरू सिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	111/11	1.120	1.120
	योग		1.120	1.120
146	शिवलाल पिता रामसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	111/12	1.045	1.045
	योग		1.045	1.045
147	भगवान सिंह पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/1/1 114/1	0.444	0.444
	योग		0.444	0.444
148	रामलाल पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/1/2	0.444	0.444
		191 190/3	0.039	0.039
		127	0.512	0.512
	योग		0.995	0.995
149	रामलाल पिता उमराव सिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/2/2	0.209	0.209
		256 259	0.313	0.010
	योग		0.522	0.219
150	दुर्गाप्रसाद पिता नारायण जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/3/1	0.282	0.282
		113/21/2	1.006	0.527
	योग		1.288	0.809
151	विक्रमसिंह पिता नारायण जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/3/2	0.282	0.282
		113/21/3	0.589	0.561
	योग		0.871	0.843
152	राजेश पिता नारायण सिंह जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/3/3	0.282	0.282
	योग		0.282	0.282
153	होकम सिंह पिता रामसिंह सरदारबाई वि. रामसिंह जाति सम भाग जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/6	0.531	0.531
	योग		0.531	0.531
154	दरीयाव बाई वि. धन्ना जी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/6 124/6 125 124/3	0.220	0.100
	योग		0.220	0.100

155	प्रेमनारायण रामगोपाल पिता रामचंद्र लक्ष्मीनारायण गंगाप्रसाद पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भंडावद	113/7 128/2 128/297	0.209	0.105
	योग		0.209	0.105
156	रुकमाबाई पति धीरपसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/8	0.052	0.025
	योग		0.052	0.025
157	नाथू सिंह घीसूसिंह पिता धुला अनाराबाई धापूबाई पिता धुला पदमबाई वि. धुला जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/9 242/6	0.084	0.036
	योग		0.084	0.036
158	दूलेसिंह पिता धन जी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/13	0.627	0.300
	योग		0.627	0.300
159	इंदरबाई पिता बापुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/14	0.094	0.010
		234	0.105	0.105
	योग		0.199	0.115
160	उमरावसिंह भगवानसिंह पिता भीमसिंह होकम सिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम सम भाग भूमि स्वामी	113/15 242	0.147	0.140
	योग		0.147	0.140
161	मांगु अमर सिंह पिता रायसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/16	0.031	0.020
	योग		0.031	0.020
162	इंदरसिंह पिता भेरू सिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/17	0.073	0.010
	योग		0.073	0.010
163	रतनलाल पिता घीसू लाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/18 130/3 240/1	0.157	0.100
	योग		0.157	0.100
164	सुरेशसिंह पिता गंगाराम जाति सौधियापता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/20	0.209	0.150
	योग		0.209	0.150
165	पुरीबाई पति गंगाराम जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/21/1	0.209	0.150
योग			0.209	0.150

166	राजेश पिता नारायण सिंह जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/21/4	0.209	0.150
	योग		1.007	0.663
167	गोविंदसिंह पिता रूगनाथसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/21/5	1.007	0.663
	योग		0.418	0.418
168	धोलीबाई वि. गंगाराम जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	116/3/3	0.418	0.418
		116/3/4	0.082	0.082
		116/8/5	0.082	0.082
	योग		0.085	0.085
169	गोपालसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	116/7	0.249	0.249
		116/8/4	0.25	0.25
		116/13/4	0.075	0.075
	योग		0.041	0.041
170	प्रेमसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	116/8/3	0.366	0.366
		116/16/1	0.017	0.017
	योग		0.118	0.118
171	नारायण पिता गंगाराम जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	116/9/1 116/12/1	0.135	0.135
		116/13/5	0.199	0.199
	योग		0.278	0.278
172	भेरुसिंह पिता बालुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	116/10/1	0.477	0.477
	योग		0.137	0.137
173	सगनाबाई वि.परवतसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	116/13/6	0.137	0.137
		116/16/3	0.197	0.197
	योग		0.339	0.339
174	दुलेसिंह पिता धनजी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	116/18	0.536	0.536
	योग		0.411	0.411
175	प्रभुलाल पिता बालुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	117/4	0.411	0.411
	योग		0.136	0.136
			0.136	0.136

176	भगवानसिंह पिता इंदरसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	118/1/1 118/1/2	1.867	1.867
	योग		1.867	1.867
177	गोकुलसिंह पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	118/2	0.178	0.178
		210/2	0.105	0.105
		210/1	0.115	0.115
	योग		0.398	0.398
178	कालीबाई वि.बालुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	126/2	0.099	0.099
	योग		0.099	0.099
179	चबुतरा श्री काला जी महाराज स्थित ग्राम व्यवस्थापक श्री मान जिलाधीश महोदय शाजापुर पता नि. ग्राम देव सीन	129 131	0.345	0.345
	योग		0.345	0.345
180	होकमसिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर पिता सरदारबाई वि रामसिंह स भाग जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	130/2	0.084	0.084
	योग		0.084	0.084
181	नारायण पिता पूरा जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	142	0.021	0.021
		144	0.23	0.23
		144/296	0.021	0.021
	योग		0.272	0.272
182	होकमसिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर पिता सरदारबाई वि रामसिंह स भाग जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	145/2	0.031	0.031
		148/4	0.136	0.136
		149/1/2	0.177	0.177
		216	0.094	0.094
	योग		0.438	0.438
183	रुगनाथसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	148/2	0.136	0.136
		263/3	0.543	0.543
		259/6	1.150	1.150
	योग		1.829	1.829
184	मदनलाल पिता देवीसिंह जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	148/3	0.146	0.146
	योग		0.146	0.146
185	रामलाल पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	150/4	0.062	0.062
	योग			

186	बालुसिंह पिता परवत सिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	157/3	0.073	0.073
	योग		0.073	0.073
187	ईशवर नाबा सरपर माता कुंवर बाई पति मांगीलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	158	0.178	0.178
	योग		0.178	0.178
188	करणसिंह पिता नाथुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	160/1	0.042	0.042
		188	0.063	0.063
	योग		0.105	0.105
189	तेजसिंह पिता देवा जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	161/1	0.109	0.109
		269/1	0.606	0.606
	योग		0.715	0.715
190	राजाराम पिता अमरसिंह जाति बैरागी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	162/3	0.079	0.079
		185/1	0.094	0.094
	योग		0.173	0.173
191	धापुबाई पति अमरसिंह द्रोपतिबाई पति तेजु जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	172	0.136	0.136
	योग		0.136	0.136
192	धापुबाई पति अमरसिंह जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	173	0.209	0.209
		175	0.042	0.042
		181/1	0.073	0.073
	योग		0.324	0.324
193	चबुतरा श्री महादेव जी महाराज स्थित ग्राम व्यवस्थापक श्री मान जिलाधीश महोदय शाजापुर	176	0.042	0.042
	योग		0.042	0.042
194	कमलसिंह पिता रामलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	179/2	0.125	0.125
		198	0.230	0.230
	योग		0.355	0.355
195	शिवलाल पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	190/2	0.042	0.042
	योग			

196	नारायण पिता पुरा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199/2	0.105	0.105
	योग		0.105	0.105
197	भुरीबाई वि मोतीलाल पदमबाई पुत्री मोतीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	203/2	0.047	0.047
		204/1	0.010	0.010
	योग		0.057	0.057
198	गंगाबाई वि रामा कंचन बाई लीलाबाई शैतानबाई कमलाबाई पुत्री रामा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	205/2	0.021	0.021
	योग		0.021	0.021
199	रायसिंह पिता गोकुलसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	206	0.063	0.063
	योग		0.063	0.063
200	होकमसिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर पिता सरदारबाई वि रामसिंह स भाग जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	211/3	0.041	0.041
		212/4	0.083	0.083
	योग		0.124	0.124
201	भगवानसिंह शिवसिंह उमरावसिंह पिता भीम सिंह होकम सिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर माता सरदार बाई पति रामसिंह हि 1/2 मांगीलाल पिता गंगाराम भगवानसिंह पिता भैया बंशीलाल पिता देवीसिंह जाति गूजर नि. गोकलपुर हि 1/4 कंचनबाई पिता रामसिंह हि 1/4 जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	223	0.219	0.219
	योग		0.219	0.219
202	सुहागबाई पिता अमरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भू स्वामी	232/1	0.042	0.042
	योग		0.042	0.042
203	गंगाबाई वि. रामा कंचनबाई लीलाबाई शैतानबाई कमलाबाई पुत्री रामा	232/2	0.042	0.042
		235/1	0.031	0.031
	योग		0.157	0.157
204	बापु पिता नंदा जाति चमार पता निवासी ग्राम ढाबला सोनगरा	233/1	0.094	0.094

205	भूरीबाई वि. मोतीलाल पदमबाई पुत्री मोतीलाल	233/2	0.010	0.010
		235/2	0.021	0.021
	योग		0.219	0.219
206	रुगनाथ पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	237/1	0.146	0.146
	योग		0.146	0.146
207	रामसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	242/5	0.042	0.042
	योग		0.042	0.042
208	नरवर सिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	243/1	0.063	0.063
	योग		0.063	0.063
209	दर्यावसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	256/1/2 258/2/2 286/5/2	0.061	0.061
	योग		0.061	0.061
210	देवीसिंह पिता परवतसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	256/1/6 258/2/6 286/5/6	0.046	0.046
		256/1/15 258/2/15 286/5/15	0.246	0.246
	योग		0.292	0.292
211	राजुबाई पति नारायण सिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	256/1/13 258/2/13 286/5/13	0.491	0.491
		85/2/5 86/2/5	0.112	0.112
	योग		0.603	0.603
212	गोपालसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	256/2/1 259/1	0.313	0.313
	योग		0.313	0.313
213	देवा पिता देवीलाल जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	256/3	2.061	0.020
	योग		2.061	0.020
214	भगवानसिंह शिवसिंह उमराव सिंह	256/5	0.418	0.010

	पिता भीमसिंह होकम सिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर माता सरदार बाई पति राम सिंह	259/2	0.240	0.240
	योग		0.658	0.250
215	लाबुबाई पति होकमसिंह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	256/6	1.000	0.090
	योग		1.000	0.090
216	सूरज पिता भगवानसिंह अर्चना शांति पिता भगवानसिंह जाति माली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	256/7	1.000	0.010
217	हरलाल पिता अमरा जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	256/8	1.000	0.010
	योग		2.000	0.020
217	नारायण पिता रूगनाथ जाति लौहार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	256/9	1.000	0.016
	योग		1.000	0.016
218	होकमसिंह पिता रामसिंह सरदारबाई वि. रामसिंह समान भाग जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	259/2/1	0.662	0.662
	योग		0.662	0.662
219	भगवानसिंह शिवसिंह उमरावसिंह पिता भीमसिंह होकमसिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर माता सरदारबाई पति रामसिंह हि. 1ध2 मागीलाल पिता गगाराम भगवानसिंह पिता भैया बंशीलाल पिता देवीसिंह जाति गुर्जर नि. गोकलपुर हि. 1ध4 कचनबाई पिता रामसिंह हि. 1ध4 जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	259/4265/3266/2	0.910	0.910
	योग		1.572	1.572
220	गोपाल सिंह पिता उमराव सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	259/8	0.662	0.662
		265/1	0.345	0.345
		265/8/1	0.498	0.498
	योग		1.505	1.505
221	कालुसिंह पिता शिवसिंह जाति	262/2	0.021	0.021

	सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	264/3	0.700	0.700
	योग		0.721	0.721
222	नरवरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	263/1 264/1 265/9	0.568	0.568
		263/2	0.554	0.554
	योग		1.122	1.122
223	पीरूलाल पिता मोतीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	265/2/1	0.357	0.357
	योग		0.357	0.357
224	अनारसिंह पिता रामलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	265/2/2	0.670	0.670
	योग		0.670	0.670
225	सजनसिंह पिता रोड़सिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	265/2/3	0.669	0.669
	योग		0.669	0.669
226	प्रेमबाई पत्नि प्रेमसिंह जाति चमार पतानिवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार पट्टे से प्राप्त अहस्तान्तरणीय लगान	265/4/1 265/2/6 275 276 280/2	0.293 0.065	0.293 0.065
	योग		0.358	0.358
227	दरियावसिंह पिता मोती जाति चमार पतानिवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार पट्टे से प्राप्त अहस्तान्तरणीय लगान	265/4/2 265/5/1	0.199 0.158	0.199 0.158
	योग		0.357	0.357
228	सुमित्रा बाई पिता गोकूलसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	265/2/4	0.670	0.670
	योग		0.670	0.670
229	अर्जुनसिंह पिता बापुलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	265/2/5	0.387	0.387
	योग		0.387	0.387
230	देवीसिंह पिता मोतीसिंह जाति चमार पतानिवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार पट्टे से प्राप्त अहस्तान्तरणीय लगान	265/5/2 265/11/2	0.344 0.012	0.344 0.012
	योग		0.356	0.356

231	बालु पिता मोति जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	265/7/1	0.238	0.238
	योग		0.238	0.238
232	प्रभुलाल पिता रामलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	265/7/2	0.588	0.588
	योग		0.588	0.588
233	नारायण पिता रामा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	265/7/3	0.178	0.178
	योग		0.178	0.178
234	लक्ष्मण सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपुत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	265/8/2 266/5	0.498	0.498
	योग		0.498	0.498
235	प्रभुलाल पिता रामलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	265/11/3	0.051	0.051
	योग		0.051	0.051
236	उमरावसिंह भगवानसिंह पिता भीमसिंह होकमसिंह पिता रामसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	265/12	0.345	0.345
	योग		0.345	0.345
237	रामलाल पिता उमराव सिंह जाति सोधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	266/1	0.063	0.063
		266/2/3 294/4	0.080	0.080
		265/8/3 266/5	0.498	0.498
		योग	0.641	0.641
238	गोपाल सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	266/2/1	0.080	0.080
	योग		0.080	0.080
239	लक्ष्मण सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	266/2/2 284/4	0.080	0.080
	योग		0.080	0.080
240	लक्ष्मणसिंह पिता उमराव सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	267		
	योग		0.042	0.042

241	लाल सिंह पिता इंदरसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	268	1.536	1.450
	योग		1.536	1.450
242	चंद्रसिंह पिता कन्हैयालाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम देवला बिहारी	270/2	0.010	0.010
		271/1	0.157	0.157
		271/3	0.021	0.021
	योग		0.188	0.188
243	कमलाबाई पति चंद्रसिंह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	272/2/1 273/3 281/1 384/3	0.690	0.690
		योग	0.690	0.690
244	होकम सिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर पिता सरदार बाई वि. रामसिंह सम भाग जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	272/3 273/8	0.115	0.115
		योग	0.115	0.115
245	गोपालसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	273/4/1	0.188	0.188
		योग	0.188	0.188
246	लक्ष्मणसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	273/4/2	0.189	0.189
		योग	0.189	0.189
247	होकम सिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर पिता सरदार बाई वि. रामसिंह स भाग	273/5	0.669	0.669
		योग	0.669	0.669
248	कालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सोधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	273/7	1.076	1.076
		योग	1.076	1.076
249	गोपालसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	274/1	0.045	0.045
		277	0.031	0.031
		योग	0.076	0.076
250	लक्ष्मणसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	274/2	0.046	0.046
		योग	0.046	0.046
251	रामलाल पिता उमराव सिंह जाति सोधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	274/3	0.045	0.045
		274/4	0.188	0.188
	योग		0.233	0.233
		275		

252	अर्जुनसिंह पिता बापुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	275	0.031	0.031
		276	0.105	0.105
		280/2	0.146	0.146
	योग		0.282	0.282
253	श्री महादेव जी का चबुतरा स्थित ग्राम व्यवस्थापक जिलाधीश महोदय शाजापुर पता निवासी ग्राम देवस्थान माफी औकाफ	278	0.574	0.574
		योग	0.574	0.574
254	शिवसिंह पिता घीसूसिंह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	281/2/1 294/1/1 289/6/1 293/3/1	0.947	0.947
		योग	0.947	0.947
255	मानसिंह पिता घीसूसिंह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	281/2/2 294/1/2 289/6/2 293/3/2	0.948	0.948
		योग	0.948	0.948
256	गोकलसिंह पिता घीसूसिंह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	281/2/3 294/1/3 289/6/3 293/3/3	0.948	0.948
		योग	0.948	0.948
257	नाथूसिंह घीसूसिंह पिता धूला अनाराबाई धापुबाई पिता धुला पदमबाई वि. धुला जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	281/3	0.449	0.449
		281/5/1	0.125	0.125
		योग	0.574	0.574
258	गंगाराम पिता देवीसिंह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	281/4/1	0.418	0.418
		योग	0.418	0.418
259	जगदीश पिता मांगु जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	281/5/2	0.251	0.251
		योग	0.251	0.251
260	रतनपुरी पिता गणेश पुरी नाबा सर माता केसरबाई वि. गणेश पुरी जाति गुसाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	281/6	0.700	0.700
		योग	0.700	0.700

261	जगदीश पिता मांगु जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	281/7/1	0.251	0.251
	योग		0.251	0.251
262	रामदयाल पिता गंगाराम जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	281/7/2	0.531	0.531
	योग		0.531	0.531
263	सोरमबाई वि.देवा जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	281/9	1.327	1.327
	योग		1.327	1.327
264	रामा पिता नाथू हि 1/2 शैतानबाई वि. गंगाराम मांगीलाल रामदयाल पिता गंगाराम हि 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम गोकुलपुर सम भाग भूमि स्वामी	281/10 294/6 289/13	1.040	1.040
	योग		1.040	1.040
265	श्री महादेव जी का चबुतरा स्थित ग्राम व्यवस्थापक जिलाधीश महोदय शाजापुर	282 283	0.503	0.503
	योग		0.503	0.503
266	चबुतरा श्री महादेव जी महाराज स्थित ग्राम व्यवस्थापक श्री मान कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर	284/1	0.460	0.460
	योग		0.460	0.460
267	चंदरसिंह पिता कन्हैयालाल रामकुंवरबाई तेजूबाई भंवरकुंवरबाई पिता कन्हैयालाल जाति भाटी राजपुत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	284/2	1.180	1.180
		284/4	0.418	0.418
		284/5/1	2.000	2.000
		284/5/2	0.581	0.581
		284/6 285/2	1.181	1.181
		योग		5.360
268	भगवानसिंह शिवसिंह उमरावसिंह पिता भीमसिंह होकमसिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर माता सरदारबाई पति रामसिंह हि. 1९२ मागीलाल पिता गंगाराम भगवानसिंह पिता भैया बशीलाल पिता देवीसिंह जाति गुर्जर नि. गोकुलपुर हि. 1९४ कन्धनबाई पिता रामसिंह हि. 1९४ जाति सोधिया पता पि. ग्राम भूमिस्वामी	284/7	0.042	0.042
		294/4	1.337	1.337
	योग		1.379	1.379

269	मांगु पिता छिता घीसीबाई वि. छिता जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	285/1	0.355	0.285
	योग		0.355	0.285
270	चंदर सिंह पिता झुजार सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	286/1/1	2.717	0.200
	योग		2.717	0.200
271	मानाबाई पति रामलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भू स्वामी	287/3	1.118	1.118
		287/5/1	0.461	0.461
	योग		1.579	1.579
272	अमरसिंह पिता रायसिंह जाति सौधिया पता नि.ग्राम भू स्वामी	287/4	0.251	0.251
		271/2 273/1 273/2	0.606	0.606
	योग		0.857	0.857
273	भगवान सिंह पिता भैया जाति गुर्जर पता निवासी नि.ग्राम भू स्वामी	289/2 290/6	0.794	0.200
	योग		0.794	0.200
274	शिवसिंह पिता घीसू सिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	293/3/1	0.409	0.400
	योग		0.409	0.400
275	लालसिंह पिता इंदरसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	289/8/1	0.627	0.100
	योग		0.627	0.100
276	आत्माराम गंगाराम भगवानसिंह पुत्रगण घीसू काबूबाई रामकुवरबाई पुत्री घीसू हि 7 पै. स भा समन्दर पिता देवीसिंह हि 7 पै बाजाबाई धापुबाई भूलीबाई पिता अमरा हि. 6 पैसे कालूसिंह पिता शिवसिंह गीताबाई पति शिवसिंह जाति सोध्या धन्ना रामसिंह कान्हा पिता पुरा धूलीबाई वि. पुरा जाति बैलदार रामदयाल पिता गंगाराम प्रभूलाल पिता रामा जाति गुर्जर नि. गोकलपुर रमेश पिता प्रभू ना. बा. सर पिता स्वयं चंदरसिंह पिता भैया जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	289/9	0.010	0.005
	योग	289/10	0.010	0.005
			0.020	0.010

277	कृष्णाबाई पति घनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	294/1	1.244	1.244
	योग		1.244	1.244
278	रामा पिता नाथू हि 1/2 शैतानबाई वि. गंगाराम मांगीलाल रामदयाल पिता गंगाराम हि 1/2 जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	294/2	0.345	0.345
	योग		0.345	0.345
279	चंदर सिंह पिता कन्हैयालाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम देवलाबिहारी भूमिस्वामी	291/1	0.585	0.585
		291/2	0.282	0.100
		291/4	0.251	0.251
		293/6	3.762	0.100
		293/4	0.314	0.050
	योग		5.194	1.086
280	श्यामबाई पति रवीनंदन जाति ब्राह्मण पता निवासी भण्डावद भूमिस्वामी	293/1	1.045	0.100
		293/2	0.512	0.050
	योग		1.557	0.150
281	मानसिंह पिता घीसू सिंह जाति सोध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	293/3/2	0.407	0.375
		योग		0.407
282	गोकल सिंह पिता घीसूसिंह जाति सोध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	293/3/3	0.407	0.380
		योग		1.221
283	कृष्णाबाई पति घनसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	293/3 min 2	0.846	0.800
		योग		0.846
284	चंदरसिंह पिता भैयाजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	294/3	0.115	0.115
		294/5	0.031	0.031
		293/5	0.272	0.250
	योग		0.418	0.396
महा योग			256.358	216.903

नोट:- भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2018

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013))

चूँकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम कालापीपल के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

कुण्डलिया बाँध परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि का पत्रक

अनुसूची (1)

ग्राम - कालापीपल		तहसील - सारंगपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर में	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	162.670	150.153
	योग	162.670	150.153

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5	6
1	भेरूसिंह शंकरसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7247529710	3/2/1	0.886	0.886
			29/1	0.659	0.659
	योग			1.545	1.545
2	मोड़सिंह पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8085683036	3/2/2	0.101	0.101
			19	0.482	0.482
			60/1	0.024	0.024
	योग			0.607	0.607
3	गोविन्दसिंह शिवराजसिंह भारतसिंह लखनसिंह पुत्र भवरलाल पेप कुवर बेवा भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977456781	3/2/3	0.101	0.101
			30/4	0.215	0.215
			60/2	0.024	0.024
			84/2	0.012	0.012
	योग			0.352	0.352
4	बल्लभसिंह, गुलाबसिंह पिता बिसन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7869616741	3/2/4	0.203	0.203

			30/5	0.431	0.431
			60/3	0.047	0.047
			103/1	0.063	0.063
			108/2	0.004	0.004
			109/2	0.119	0.119
			110/1/2	0.029	0.029
		योग		0.896	0.896
5	मंगलसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7354560169	3/3/1	0.221	0.221
			29/2/1	0.161	0.161
			63/2/1	0.015	0.015
			104/2/1	0.041	0.041
			107/1	0.085	0.085
			110/2/1	0.019	0.019
			183/2/1	0.223	0.160
			185/1/1	0.223	0.180
		योग		0.988	0.882
6	बाबूसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9685338874	3/3/2	0.221	0.221
			29/2/2	0.161	0.161
			63/2/2	0.015	0.015
			104/2/2	0.041	0.041
			107/2	0.085	0.085
			110/2/2	0.019	0.019
			183/2/2	0.233	0.160
			185/1/2	0.233	0.180
		योग		1.008	0.882
7	सज्जनसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120132534	3/3/3	0.222	0.222
			29/2/3	0.161	0.161
			104/2/3	0.042	0.042
			107/3	0.085	0.085
			110/2/3	0.019	0.019
			63/2/3	0.015	0.015
		योग		0.544	0.544
8	बलवानसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977737401	3/3/4	0.222	0.222
			29/2/4	0.162	0.162
			63/2/4	0.016	0.016
			104/2/4	0.043	0.042
			107/4	0.085	0.085
			110/2/4	0.020	0.020
		योग		0.548	0.547
9	पीरूलाल पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9324427449	3/6/1	0.506	0.506
			5	0.291	0.291
			6	0.024	0.024
			12/1	0.442	0.442
			58/1	0.176	0.176

			69/1	0.064	0.064
			83/1	0.120	0.120
			106/1	0.019	0.019
		योग		1.642	1.642
10	बद्रीलाल घीसालाल पिता जगन्नाथ जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		3/6/2	2.529	2.529
		योग		2.529	2.529
11	पारस पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9589824088	3/6/2/2/00 01	0.422	0.422
			3/8/2	0.201	0.201
			7/2	0.038	0.038
			8/2	0.037	0.037
			9/2	0.057	0.057
			10/2	0.046	0.046
			337/1	0.118	0.118
			338/2/2	0.008	0.008
			388/2	0.012	0.012
			389/2	0.139	0.139
		योग		1.078	1.078
12	बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9893345084	3/6/2/2/00 03	0.421	0.421
			7/3	0.037	0.037
			8/3	0.038	0.038
			9/3	0.057	0.057
			10/3	0.047	0.047
			80/2/3	0.012	0.012
			337/2	0.119	0.119
			338/2/3	0.008	0.008
			340/2/3	0.032	0.032
			371/2	0.565	0.565
			388/1	0.012	0.012
			389/1	0.139	0.139
			400/2	0.066	0.066
			13/3	0.741	0.741
		योग		2.294	2.294
13	मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8959894553	3/6/2/2/4/0 001	0.211	0.211
			3/8/4/1	0.100	0.100
			80/2/4/1	0.006	0.006
			337/3/1	0.059	0.059
			371/3/1	0.282	0.282
			388/3/1	0.006	0.006
			389/3/1	0.069	0.069
		योग		0.733	0.733
14	रामसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9685610276	3/6/2/2/4/0 002	0.211	0.211
			3/8/4/2	0.100	0.100

			337/3/2	0.059	0.059
			340/2/4/2	0.016	0.016
			371/3/2	0.282	0.282
			388/3/2	0.006	0.006
			389/3/2	0.070	0.070
		योग		0.744	0.744
15	जगन्नाथसिंह भालसिंह प्रहलादसिंह चन्द्रसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8720873275	3/6/3/1	2.710	2.710
		योग		2.710	2.710
16	शंकरसिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111070050	3/6/4	2.529	2.529
			3/42	0.506	0.506
		योग		3.035	3.035
17	रोडू पिता किशन जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120466048	3/6/5	2.023	2.023
		योग		2.023	2.023
18	अमरसिंह बाबुलाल शंकरलाल पिता मांगीलाल रोडीबाई बेवा मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9617955021	3/6/6	1.518	1.518
		योग		1.518	1.518
19	विक्रमसिंह भेरूसिंह शंकरसिंह, पिता अर्जुनसिंह, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8435141790	3/6/7/1	2.529	2.529
			64/1	0.061	0.061
		योग		2.590	2.590
20	जगन्नाथसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7389180660	3/6/8	1.011	1.011
		योग		1.011	1.011
21	बापूलाल पिता नारायण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8889571011	3/6/9	2.529	2.529
		योग		2.529	2.529
22	प्रेमसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8461824630	3/7/1	1.073	1.073
			14	0.053	0.053
			15	0.077	0.077
			20	0.340	0.340
			21	0.024	0.024
			22	0.368	0.368
			23	0.036	0.036
			25/1	0.006	0.006
			28/1	0.702	0.702
			17	0.441	0.441
		योग		3.120	3.120
23	सिद्धसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8085263800	3/7/2	1.073	1.073
			16	0.227	0.227
			24	0.202	0.202
			25/2	0.006	0.006
			26	0.214	0.214

			27	0.291	0.291
			28/2	0.702	0.702
			39	0.077	0.077
			40	0.304	0.304
			41/2	0.035	0.035
		योग		3.131	3.131
24	भगवानसिंह पिता कवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753235645	3/8/1	0.150	0.150
			7/1	0.020	0.020
			8/1	0.020	0.020
			9/1	0.028	0.028
			10/1	0.020	0.020
			13/1/1	0.185	0.185
			56/2/1	0.012	0.012
			56/2	0.051	0.051
			62/1	0.028	0.028
			80/2/1	0.009	0.009
			338/2/1	0.010	0.010
			340/2/1	0.019	0.019
		योग		0.552	0.552
25	शिवनारायण पिता कवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8461828340	3/8/3	0.150	0.150
			7/4	0.019	0.019
			8/4	0.019	0.019
			9/4	0.029	0.029
			10/4	0.021	0.021
			13/1/2	0.185	0.185
			56/1/2	0.013	0.013
			57/1/2	0.084	0.084
			62/2	0.029	0.029
			80/2/2	0.009	0.009
			338/2/4	0.030	0.030
		योग		0.588	0.588
26	विक्रमसिंह पिता कवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9630341861	3/8/5	0.150	0.150
			7/5	0.019	0.019
			8/5	0.019	0.019
			9/5	0.028	0.028
			10/5	0.023	0.023
			13/1/3	0.185	0.185
			62/3	0.028	0.028
			80/2/5	0.010	0.010
			338/2/5	0.010	0.010
			340/2/5	0.020	0.020
		योग		0.492	0.492

27	राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7773077408	3/8/6	0.151	0.151
			7/6	0.019	0.019
			8/6	0.019	0.019
			9/6	0.029	0.029
			10/6	0.022	0.022
			56/1/4	0.013	0.013
			57/1/4	0.084	0.084
			62/4	0.028	0.028
			80/2/6	0.010	0.010
			338/2/6	0.010	0.010
	योग		0.405	0.405	
28	भैया पिता बूला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7389750305	3/9/2/1	0.506	0.506
			12/2	0.442	0.442
			36	0.785	0.785
			37	0.268	0.268
			46	0.190	0.190
			69/2	0.064	0.064
			83/2	0.121	0.121
			106/2	0.019	0.019
	योग		2.395	2.395	
29	सागर पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9174870548	3/9/2/2	1.896	1.896
			योग	1.896	1.896
30	गणपत पिता नानजी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		3/26	0.033	0.033
			185/3/1	1.011	0.470
			185/3/2	0.898	0.470
	योग		1.942	0.973	
31	आत्माराम पिता पीरूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9424427749	3/18/1	1.568	1.568
			योग	1.568	1.568
32	मांगीलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9755350922	3/18/3/1	1.201	1.201
			12/3/1	0.221	0.221
			66	0.012	0.012
			69/3/1	0.032	0.032
			83/3/1	0.075	0.075
			105/1	0.012	0.012
	योग		1.553	1.553	
33	बापूलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752933227	3/18/3/2	1.201	1.201
			12/3/2	0.222	0.222
			69/3/2	0.032	0.032
			83/3/2	0.075	0.075

			105/2	0.012	0.012
			106	0.010	0.010
		योग		1.552	1.552
34	रोडूलाल पिता भेरूलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111070026	3/22	0.253	0.253
			3/23	0.253	0.253
			3/24	0.184	0.184
			3/29	0.184	0.184
			174/1	0.316	0.300
		योग		1.190	1.174
35	मंगलसिंह बाबूसिंह सज्जनसिंह बलवानसिंह पिता भोनीसिंह गुडडीकुंवर संतकुंवर पुत्री भोनीसिंह लालकुंवर बैवा भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		47	0.227	0.227
		योग		0.227	0.227
36	प्रहलादसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9630752615	3/30	0.368	0.362
			3/39	0.077	0.071
			3/40	1.517	1.517
			77	0.166	0.166
			78/2	0.036	0.036
		योग		2.164	2.152
37	राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		13/1/4	0.158	0.158
		योग		0.158	0.158
38	मनोहरसिंह दुलेसिंह पिता केसरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754693953	30/1	0.215	0.215
		योग		0.215	0.215
39	तेजसिंह पिता केसरसिंह भारतसिंह पिता लेंवरलाल राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120777595	30/2	0.215	0.215
			103/2	0.062	0.062
		योग		0.277	0.277
40	पप्पूसिंह मोहनसिंह पिता केसरसिंह, प्रेमकुंवर बेवा केसर सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9644948014	30/3	0.215	0.215
			52/3	0.024	0.024
			108/3	0.005	0.005
			110/1/3	0.029	0.029
		योग		0.273	0.273
41	अमरसिंह पिता नाथू गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8085098662	33	0.441	0.441
			34	0.482	0.482
			88	0.178	0.178
			91	0.458	0.458
			92	0.077	0.077
		योग		1.636	1.636

42	मंगोलबाई बैवा निर्मलसिंह प्रशांत पिता पारस कुमार मीती चौपडा पिता पारस कुमार पिता निर्मलसिंह व जया देवी बैवा प्रवीणकुमार ऋषभकुमार अक्षयकुमार पिता प्रवीणकुमार ना0बा0सर0 माता जया देवी जाति महाजन पता निवासी ग्राम छापीहेड़ा भूमि स्वामी	9993312807	35	0.272	0.272
			124/1/1	0.255	0.190
			योग	0.527	0.462
43	चन्द्रसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8959078528	42	0.089	0.089
			44	0.049	0.049
			43/2	0.138	0.138
			45	0.125	0.125
			54	0.049	0.049
			योग	0.450	0.450
44	बाबूलाल पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7491922703	49/1	0.202	0.202
			57/2/1	0.126	0.126
			80/1/1	0.029	0.029
			योग	0.357	0.357
45	गोखन पिता बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9755771184	49/2	0.203	0.203
			340/2/2	0.031	0.031
			371/1	0.565	0.565
			योग	0.799	0.799
46	मनोहरबाई पिता मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7869522071	50	0.024	0.024
			121/2	0.036	0.024
			128/2	0.077	0.051
			386	0.555	0.555
			398	1.214	1.214
			401	0.101	0.101
			404	0.101	0.101
			405	0.154	0.154
			योग	2.262	2.224
47	भगवानसिंह जगदीश नारायणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120847021	50/1	0.008	0.008
			128/1	0.026	0.026
			300/1	0.190	0.190
			301/1	0.067	0.067
			325/1	0.041	0.041
			392/1	0.034	0.034
			393/1	0.046	0.046
			401/1	0.034	0.034
			योग	0.446	0.446
48	घनश्याम पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120847021	51	0.380	0.380
			योग	0.380	0.380
49	विक्रमसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		56/1/3	0.013	0.013
			57/1/3	0.084	0.084

		योग		0.097	0.097
50	मेवाबाई पिता बाबूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7691922703	57/2/1/1	0.063	0.063
		योग		0.063	0.063
51	सीताराम पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9893345084	57/2/2	0.126	0.126
			80/1/2	0.029	0.029
		योग		0.155	0.155
52	प्रभूलाल पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8719901211	57/2/3	0.084	0.084
			80/1/3	0.019	0.019
		योग		0.103	0.103
53	विक्रमसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		63/1/1	0.042	0.042
			104/1	0.061	0.061
		योग		0.103	0.103
54	मानसिंह, केशर सिंह, हरीनारायण, रमेश पिता भागीरथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120466048	64/2	0.190	0.190
			360/1	0.643	0.643
		योग		0.833	0.833
55	हेमचन्द पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754286750	67/1	0.045	0.045
		योग		0.045	0.045
56	मनोहरलाल पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8964051966	67/2	0.045	0.045
			327	0.202	0.202
		योग		0.247	0.247
57	रामकरण पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9407176865	67/3	0.044	0.044
		योग		0.044	0.044
58	कमलकिशोर पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754286750	67/4	0.044	0.044
		योग		0.044	0.044
59	नारायणसिंह पीरूलाल पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120466048	68	0.239	0.239
			70	0.166	0.166
			181	0.885	0.435
			182	0.113	0.113
			343	0.089	0.089
			344	0.482	0.482
			345	1.248	1.248
			347	0.114	0.114
			348	0.024	0.024
			349/1	-0.380	0.355
			73	0.024	0.024
			74	0.065	0.065
			75	0.138	0.138
			76	0.024	0.024
			79	0.142	0.142
			86	0.845	0.845

757

CP

			131	0.053	0.053
			132	0.012	0.012
			133	0.012	0.012
			302	0.101	0.101
			303	0.239	0.239
			304	0.543	0.543
			305	0.237	0.237
			306	0.065	0.065
			307	0.202	0.202
			359/1	1.137	1.137
		योग		7.579	7.104
60	बालमुकन्द पिता बापुलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111820978	71	0.101	0.101
		योग		0.101	0.101
61	श्रीराम मंदिर कालेश्वर महाराज		72	0.077	0.077
		योग		0.077	0.077
62	लखनसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977456781	81	0.166	0.166
		योग		0.166	0.166
63	चंदरसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9893771930	89	0.024	0.024
			90	0.356	0.356
			94	0.227	0.227
			326/1	0.071	0.071
			349/3	0.622	0.622
			350	0.126	0.126
			351	0.641	0.641
		योग		2.067	2.067
64	परबतसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9893771930	93	0.024	0.024
			95	0.494	0.494
			326/2	0.071	0.071
			418	0.418	0.418
		योग		1.007	1.007
65	बनेसिंह पिता दरयावसिंह गुडडीबाई पिता दरयावसिंह बहादूरसिंह पिता भगवानसिंह जाति सौधिया	9575493940	96	0.571	0.571
			97	0.036	0.036
			98	0.125	0.125
			99	0.024	0.024
			100	0.012	0.012
		योग		0.768	0.768
66	मानसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		111	0.214	0.214
		योग		0.214	0.214
67	कालू बनेसिंह प्रेमसिंह राजूबाई पिता भंवरलाल मु० अनोखीबाई बैवा भंवरलाल जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		112/1	0.071	0.071
			116/1	0.312	0.312
			412/1	0.621	0.621

			431	0.353	0.353
		योग		1.357	1.357
68	रेशमबाई पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9669397885	112/2	0.071	0.071
			413	0.482	0.482
			116/2	0.311	0.311
		योग		0.864	0.864
69	देवसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8889241967	112/3	0.072	0.072
			116/3	0.311	0.311
			311/1	0.315	0.315
			320/1	0.095	0.095
			370/2/1	0.241	0.241
		योग		1.034	1.034
70	प्रहलादसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		113	0.785	0.785
		योग		0.785	0.785
71	देवीलाल गंगाराम पिता लछमण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111070040	114	0.417	0.417
			310/2/1	0.044	0.044
		योग		0.461	0.461
72	गुड्डडीबाई पति करणसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		115/1	0.178	0.178
			117/1/1	0.017	0.017
			121/2/1	0.012	0.012
		योग		0.207	0.207
73	रोडू हरि सिद्दू कंचनबाई ममताबाई पिता नारान जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		115/2	0.178	0.178
			309/2	0.032	0.032
			117/1/2	0.018	0.018
			319/2	0.038	0.038
			324/2	0.258	0.158
			372/2	0.474	0.474
			333	0.024	0.024
			489/6	2.529	1.000
		योग		3.551	1.922
74	कालूसिंह पिता नरभेसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7697186261	117/2	0.036	0.036
			373	0.910	0.910
			382	1.036	1.036
			387	1.392	1.392
			366/1/2	0.545	0.545
			366/2	0.125	0.125
			367/1	0.200	0.200
			367/2	0.241	0.241
			368	0.369	0.369
		योग		4.854	4.854
75	बलवंतसिंह पिता बंशीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		118/1	0.152	0.152
		योग		0.152	0.152

770

93

76	अर्जुनसिंह पिता देवीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7697186261	118/2	0.075	0.075
			119	0.077	0.077
			316	0.036	0.036
			योग	0.188	0.188
77	मांगीलाल पिता मेहताब जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		120	0.405	0.405
			360/2	0.279	0.279
			362/7	0.796	0.796
			योग	1.480	1.480
78	सिद्धसिंह, रामलाल पिता रतन सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754577346	121/1/1	0.090	0.090
			410/1	1.068	1.068
			411/1	1.247	1.247
			420/2/1	0.089	0.089
			421/3/1	0.130	0.130
			422/3/1	0.030	0.030
			429/1/1	0.101	0.101
			429/2/1	0.145	0.145
			123/2/1	0.024	0.024
			123/2/3	0.033	0.033
			354/1	0.771	0.771
			369/5/1	0.062	0.062
			369/5/2	0.033	0.033
			281/6/2	0.253	0.253
			374	0.708	0.708
			378/1/1	0.379	0.379
			378/2/1	0.272	0.272
			380/1/1	0.556	0.556
			381/2/1	0.045	0.045
			381/7/1	0.063	0.063
			383/1	0.095	0.095
415	0.595	0.595			
427/7/2/2/0002	0.266	0.266			
381/1	0.478	0.478			
योग	7.533	7.533			
79	शिवसिंह नारायणसिंह प्रेमसिंह भगवानसिंह बालूसिंह पुत्र जोरावरसिंह जमनाबाई पुत्री जोरावरसिंह कैसरबाई बैवा जोरावरसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		121/3/2	0.031	0.031
			122/1/2	0.018	0.018
			122/2/2	0.045	0.045
			123/1/2	0.012	0.012
			123/2/2	0.025	0.025
			123/3/2	0.032	0.032

771

92

			375/2	0.342	0.342
			377/2	0.077	0.077
			378/2/2	0.272	0.272
			380/2/2	0.557	0.557
			381/2/2	0.044	0.044
			381/7/2	0.063	0.063
			383/2	0.095	0.095
			384/2	0.488	0.488
			410/2/2	1.068	1.068
			411/2	1.246	1.246
			420/2/2	0.090	0.090
			422/3/2	0.031	0.031
			428/2/2	0.030	0.030
			428/3/2	0.018	0.018
			428/4/2	0.063	0.063
			429/1/2	0.101	0.101
			429/2/2	0.146	0.146
		योग		4.894	4.894
80	सिद्धसिंह पिता रतनसिंह पिता रतनसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754577346	124/1/2	0.065	0.065
			419	0.708	0.708
			422/3	0.559	0.559
		योग		1.332	1.332
81	इन्दरसिंह आ. बापूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9575493940	129/1	0.214	0.214
			323	0.429	0.429
			332	0.036	0.036
		योग		0.679	0.679
82	भेरूसिंह आमरसिंह देवीसिंह पिता शिवसिंह मु० गंगाबाई बेवा शिवसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		183/1	2.518	1.518
		योग		2.518	1.518
83	बाबूलाल पिता घीसा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8959276107	291/43/5	0.500	0.300
			361/3/2	0.379	0.379
		योग		0.879	0.679
84	जगदिश पिता लक्ष्मण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		291/43/6	0.500	0.500
		योग		0.500	0.500
85	गंगाराम पिता अमरा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		291/43/9	1.000	0.550
		योग		1.000	0.550
86	चन्द्रकलाबाई मनोहरबाई अनुसुइयाबाई पिता मानसिंह प्रेमबाई बेवा मानसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		300/3	0.190	0.190
			301/3	0.068	0.068
			325/2	0.042	0.042
			392/3	0.033	0.033
			393/3	0.046	0.046
			414/3	0.016	0.016
		योग		0.395	0.395
87	मोहन पिता पूरा दरयावबाई बेवा पूरा जाति बलाई		309/1	0.033	0.033

	पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		329	0.024	0.024
			319/1	0.039	0.039
			324/1	0.258	0.158
			372/1	0.473	0.473
	योग			0.827	0.727
88	बाबूलाल पिता देवीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8717801679	312	0.543	0.543
			313	1.530	1.530
			314	0.084	0.084
			338/1/3	0.058	0.058
			339	0.125	0.125
	योग			2.340	2.340
89	करणसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		311/2	0.316	0.316
			320/3	0.095	0.095
	योग			0.411	0.411
90	रोडुलाल पिता नारान जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		317	0.012	0.012
			318	0.214	0.214
	योग			0.226	0.226
91	इन्द्रसिंह पिता बापूसिंह बनेसिंह पिता दरयावसिंह गुडडीबाई पिता दरयाव बहादुरसिंह पिता भगवान सिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9575493940	331	0.190	0.190
	योग			0.190	0.190
92	परथीसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120392966	403/2	1.055	0.800
	योग			1.055	0.800
93	शंकरलाल पिता रूगनाथ मु. शैतानबाई बेवा रूगनाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		335	0.036	0.036
			336	0.458	0.458
			338/1	0.138	0.138
	योग			0.632	0.632
94	माधोलाल पिता भंवरलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		340/1	0.215	0.215
			341	0.024	0.024
	योग			0.239	0.239
95	प्रहलाद सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		342/1	0.032	0.032
			390/1	0.127	0.127
			391/1/1	0.126	0.126
	योग			0.285	0.285
96	दरयावसिंह पिता रायसिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		342/2	0.033	0.033
	योग			0.033	0.033

97	मांगीलाल हजारीलाल माधोलाल पुत्र भंवरलाल धापूबाई पुत्री भंवरलाल दरयावबाई बैवा भंवरलाल काना गिस्थारी लक्ष्मण रामा पिता किशन पप्पूबाई बैवा किशन जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		346	1.100	1.100
98	कमलसिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9993946164	349/2	0.155	0.102
			349/4	0.100	0.100
			381/3	0.798	0.798
			310/1	0.450	0.450
			281/4	0.100	0.100
योग		1.603	1.550		
99	हरिसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9893771930	352/1	0.506	0.506
			422/1	1.036	1.036
			432/1	0.125	0.125
			योग		1.667
100	तरवरसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9893771930	353/1	0.506	0.506
			योग		0.506
101	ईश्वरसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9893771930	352/2	0.506	0.506
			योग		0.506
102	कालूसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9893771930	353/2	0.506	0.506
			योग		0.506
103	नातरायणसिंह शिवसिंह पिता जोरावरसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		354/2	0.771	0.771
			381/6/1	0.380	0.380
			369/3/2	0.033	0.033
			378/1/2	0.380	0.380
			योग		1.564
104	कमलसिंह आत्माराम पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9993946164	355/1	0.348	0.348
			362/3	0.113	0.113
			योग		0.461
105	राधाबाई पति पर्वतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9893771930	356/1	0.100	0.100
			357	0.506	0.506
			358	0.367	0.367
			359/2/1	0.013	0.013
			362/6/1	0.013	0.013
योग		0.999	0.999		
106	लक्ष्मण पिता किशन जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		356/2	0.355	0.355
			359/2/2	0.075	0.075

		362/6/2	0.076	0.076
	योग		0.506	0.506
107	गणपत पिता धीसा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	361/2	0.200	0.200
		362/1	0.306	0.306
		362/1/1	0.100	0.100
		363/3	0.053	0.053
		363/4	0.100	0.100
	योग		0.759	0.759
108	प्रभूलाल पिता धीसा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	361/3/3	0.103	0.103
		361/4/3	0.134	0.134
		362/4/3	0.134	0.134
	योग		0.371	0.371
109	बापूलाल पिता मन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	362/2/1	0.100	0.100
		369/1/1	0.100	0.100
		381/1/1	0.154	0.154
		363/1	0.315	0.315
		364/1	0.113	0.113
		365/1	0.303	0.303
		381/2	0.152	0.152
	योग		1.237	1.237
110	कंवरलाल पिता मन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	362/2/2	0.100	0.100
		369/1/2	0.100	0.100
		381/1/2	0.154	0.154
		363/2	0.315	0.315
		364/2	0.113	0.113
		365/2	0.304	0.304
	योग		1.086	1.086
111	प्रेमबाई पति कमलकिशोर जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	366/1/1	0.253	0.253
	योग		0.253	0.253
112	गुड्डीबाई पति नारायणसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	370/1	0.481	0.481
	योग		0.481	0.481
113	करणसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	370/2/2	0.241	0.241
	योग		0.241	0.241
114	भगवानसिंह पिता चैनसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	376	0.506	0.506
		406	0.214	0.214
		408	0.862	0.862
		424/1	0.660	0.660
		424/2/1	0.884	0.884
		424/3	0.381	0.381

			425/1	0.643	0.643
		योग		4.150	4.150
115	रामलाल पिता रातनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		379	0.190	0.190
		योग		0.190	0.190
116	अहमदबाई पिता परशुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		381/5	0.065	0.065
			381/9	0.429	0.429
			432/2	1.923	1.923
		योग		2.417	2.417
117	राजनबाई पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9981119379	390/2	0.127	0.127
			391/1/1/2	0.126	0.126
			391/2/2	0.100	0.100
			394/1	0.518	0.518
			402/1	1.176	1.176
		योग		2.047	2.047
118	शिवसिंह पिता मनोहरसिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम सारंगपुर भूमि स्वामी		391/2/1	0.120	0.120
			402/2	1.176	1.176
		योग		1.296	1.296
119	बिहारीलाल पिता घीसा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		399/1	0.372	0.372
		योग		0.372	0.372
120	गोरीलाल पिता घीसा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		399/2	0.373	0.373
			489/3	1.339	1.339
		योग		1.712	1.712
121	मोडसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8085098662	400/1	0.067	0.067
		योग		0.067	0.067
122	कमलसिंह पिता प्रभुलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	786952071	403/1	0.528	0.528
		योग		0.528	0.528
123	निलम कुमार तरुण कुमार पिता विजयसिंह जैन जाति महाजन पता निवासी ग्राम छापीहेड़ा भूमि स्वामी	9993312807	423	0.557	0.557
		योग		0.557	0.557
124	भोलाराम प्रभूलाल भेंवरीबाई दरयावबाई भूलाबाई पिता नाथू जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		426/1	0.394	0.394
		योग		0.394	0.394
125	रामलाल पिता नाथूलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		426/2	0.389	0.389
		योग		0.389	0.389
126	गंगाराम पिता रत्ता जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		426/3	0.783	0.783
		योग		0.783	0.783
127	श्रीलाल पिता खमराज जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		427/1/1/1	0.474	0.474

		427/2/1	0.474	0.474
		427/3/1	0.475	0.475
		427/4/1	0.474	0.474
	योग		1.897	1.897
128	जगदीश पिता मांगीलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/1/1/2	0.100	0.100
		427/2/5	0.100	0.100
		427/3/5	0.100	0.100
		427/4/5	0.079	0.079
		427/1/1/3	0.253	0.253
		427/2	0.253	0.253
		427/3	0.253	0.253
		427/4	0.253	0.253
		427/1/4	0.050	0.050
		427/2/4	0.050	0.050
		427/3/4	0.100	0.100
		427/4/4	0.053	0.053
	योग		1.644	1.644
129	कालू पिता कनीराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/1/2	0.050	0.050
		427/2/2	0.100	0.100
		427/3/2	0.050	0.050
		427/4/2	0.053	0.053
	योग		0.253	0.253
130	रूगनाथ पित कनीराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/1/3	0.100	0.100
		427/2/3	0.050	0.050
		427/3/3	0.050	0.050
		427/4/3	0.053	0.053
	योग		0.253	0.253
131	कालू रूगनाथ पिता कनीराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/5	1.285	1.000
	योग		1.285	1.000
132	श्रीमति लीलाबाई पति रमेश जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/7/1	0.687	0.687
	योग		0.687	0.687
133	रत्नसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/8	1.838	1.338
	योग		1.838	1.338

134	जगदीश पिता शिवलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		430/2	0.190	0.190
			433	0.239	0.239
	योग		0.429	0.429	
135	कलाबाई पति श्रीलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		434	0.405	0.350
			435	0.336	0.250
	योग		0.741	0.600	
136	मांगीलाल बाबपूलाल पिता बंशीलाल भूलीबाई बैवा बंशीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		437/1/5	1.000	1.000
			योग		1.000
137	समदार सिंह पिता भैरूसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120466048	437/1/8	1.000	0.550
			योग		1.000
138	लाक्षमण, रतन,दूर्गा पिता शविजी, जानी बाई पति शिवजी जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		489/13	3.796	0.150
			योग		3.796
139	इन्दरसिंह पिता बापूसिंह बनेसिंह पिता दरयावसिंह गुडडीबाई पिता दरयाव जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9575493940	489/15/2	2.500	0.500
			योग		2.500
140	बबलीबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		310/2/2	0.506	0.506
			योग		0.506
			महायोग	162.670	150.153

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 1181-भू-अर्जन-2018

क्रमांक /भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक/अ-82/.2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम भोपालपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम :-भोपालपुरा

स.क्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
1	भोपालपुरा	20.880
	कुल योग :-	20.880

—: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम :-भोपालपुरा

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित भूमि
1	2	3	4	7
1	भोनसिंह पिता मुन्नालाल छन्नूबाई बेवा मुन्ना धीसीबाई राजलबाई पिता मुन्ना जाति चमार निवासी ग्राम ओडपूर भूमि स्वामी	176/287 ✓	0.089	0.089 ✓
	योग:-	1	0.089	0.089
2	मांगीलाल पिता भेरूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	197 ✓	0.240	0.240
		180	0.177	0.157
		181	0.266	0.010
		196	0.038	0.038
		199/2	1.226	0.428
		2	1.670	1.670
	योग:-	6	3.617 ✓	2.543 ✓
3	भंवरलाल, गणपतलाल, पिता पूराजी कमलाबाई पुत्री पूराजी जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	183 ✓	0.038	0.010
		188	0.164	0.164
		189	0.215	0.215
		217	0.987	0.177
	योग:-	4	1.404 ✓	0.566 ✓
4	राजेशकुवर ऊर्फ राजकुवर बेवा बलरामसिंह सोना ऊर्फ सोनूकुवर उमाकला ऊर्फ उमाकुवर पिता बलरामसिंह बशरह नं. 78/3 भू-राजस्व जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/288 ✓	0.342	0.142
		180/288 ✓	0.038	0.030
		193 ✓	0.177	0.013
	योग:-	3	0.557 ✓	0.185 ✓

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित भूमि
5	केशरसिंह पिता अनारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190 ✓	0.164	0.140
	योग:-	1	0.164 ✓	0.140 ✓
6	नारायण पिता मायाराम, धापूबाई पति नारायण जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	223/2/3	1.000	0.101
	योग:-	1	1.000 ✓	0.101 ✓
7	रामसिंह पिता बलदेव जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	223/2/5	1.000	0.013
	योग:-	1	1.000 ✓	0.013 ✓
8	शिवसिंह पिता भेरूसिंह लक्ष्मीनारायण मांगीलाल पिता शिवसिंह जगदीश ना.बा. पिता फतेहसिंह सर.प.मा. रेखाबाई रेखाबाई बेवा फतेहसिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम टोडरी भूमि स्वामी	37/1	1.518	1.518
		37/2/2	2.064	0.358
	योग:-	2	3.582 ✓	1.876 ✓
9	सुरेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	37/2/1	0.541	0.541
	योग:-	1	0.541 ✓	0.541 ✓
10	डूंगरसिंह चैनसिंह पिता किशनलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम धतरावदा तह.जीरापुर भूमि स्वामी	38	0.848	0.848
	योग:-	1	0.848 ✓	0.848 ✓
11	सुरेन्द्रसिंह, प्रभूनाथसिंह कैलाशकुंवर हेमकुंवर पिता भगवानसिंह भंवरीबाई बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	75	0.632	0.054
	योग:-	1	0.632 ✓	0.054 ✓
12	लखनलाल दत्तक पुत्र नाथूलाल ना.बा.सर.दत्तक पिता नाथूलाल पिता रामलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	176	0.089	0.075
	योग:-	1	0.089 ✓	0.075 ✓
13	भीमसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	176/285	0.266	0.185
	योग:-	1	0.266 ✓	0.185 ✓
14	प्रमेन्द्रसिंह, योगेन्द्रसिंह पिता शिवसिंह कल्पनाकुंवर पिता शिवसिंह प्रेमकुंवर बेवा शिवसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़ भूमि स्वामी	20	2.390	2.390
		176/286	0.114	0.076
	योग:-	2	2.504 ✓	2.466 ✓
15	श्यामराजसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	21 ✓	1.795	1.795
	योग:-	1	1.795 ✓	1.795 ✓
16	आदित्यराजसिंह पिता ब्रजराजसिंह प्रतिभा रितुराज दिपिका रूद्रराज पिता ब्रजराजसिंह अनूपकुंवर बेवा ब्रजराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33	0.721	0.721
		40	0.886	0.182
	योग:-	2	1.607 ✓	0.903 ✓

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित भूमि
17	श्रीलाल पिता बिहारीलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30	0.455	0.173
		32	0.190	0.190
	योग:-	2	0.645 ✓	0.363 ✓
18	भारतसिंह पिता भानसिंह जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39/1 ✓	0.639	0.390
		योग:-	1	0.639 ✓
19	रंगलाल रामचन्द्र पिता पन्नालाल हि. 1/6 जगन्नाथ सरदारबाई गीताबाई नारायणीबाई पिता चेना हि. 2/3 घनश्याम पिता भंवरलाल हि. 1/6 जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39/2	0.639	0.264
		योग:-	1	0.639 ✓
20	करणसिंह मांगीलाल गजराजसिंह श्रीलाल पिता बिहारीलाल सम्पतबाई बेवा प्रेमनारायण सजनसिंह हेमराज पिता प्रेमनारायण सन्तोष संजूबाई मंजूबाई पिता प्रेमनारायण जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3	1.493	1.493
		योग:-	1	1.493 ✓
21	अमृतलाल पिता बापूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/1	0.063	0.063
		5/1	0.152	0.110
		6/1	0.219	0.189
		22/1	0.072	0.072
		23/1	0.135	0.124
	योग:-	5	0.641 ✓	0.558 ✓
22	रामनारायण पिता बापूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/2	0.063	0.063
		5/2	0.152	0.118
		6/2	0.220	0.190
		23/2	0.207	0.185
	योग:-	4	0.642 ✓	0.556 ✓
23	इन्दरसिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/3	0.064	0.064
		5/3	0.151	0.118
		6/3	0.219	0.189
		22/2	0.206	0.206
	योग:-	4	0.640 ✓	0.577 ✓
24	बनेसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15	0.089	0.062
		19	0.304	0.304
		18	0.379	0.379
		16	0.455	0.255
		17	0.139	0.095
		31	0.670	0.545
	योग:-	6	2.036 ✓	1.640 ✓
25	देवजी पिता कनीराम जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	195	0.468	0.367
		198	0.126	0.126
	योग:-	2	0.594 ✓	0.493 ✓

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित भूमि
26	गणपतलाल पिता पूरलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	204/1	0.177	0.177
	योग:-	1	0.177 ✓	0.177 ✓
27	रमेशचन्द पिता मानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम सौजीपुरा भूमि स्वामी	203	0.455	0.340
	योग:-	1	0.455 ✓	0.340 ✓
28	सिद्धनाथ पिता मानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम सौजीपुरा भूमि स्वामी	201	0.139	0.139
		209/1	0.266	0.013
		210	0.202	0.101
		202/1	0.873	0.063
	योग:-	4	1.480 ✓	0.316 ✓
29	रामकैलाश पिता मानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम सौजीपुरा भूमि स्वामी	209/2	1.479	0.680
	योग:-	1	1.479 ✓	0.680 ✓
30	जितेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	221/1	0.418	0.338
	योग:-	1	0.418 ✓	0.338 ✓
31	शिवपालसिंह पिता रघुराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	221/2	0.417	0.291
		217/301	0.316	0.024
	योग:-	2	0.733 ✓	0.315 ✓
	कुल योग:-	65	32.406 ✓	20.880 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 1182-अ-82-2016-17

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017

राजगढ़ दिनांक

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम सुरजपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम सुरजपुरा

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	शिवलाल पिता नन्दराम जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	21 में से 35/3	1.000 4.085	1.000 1.200
	योग	2	5.085	2.200
2	इन्दरसिंह, विक्रमसिंह पिता केदारसिंह उर्फ गोपालसिंह मु. राममूर्तिबाई बेवा केदारसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	34/2/1	0.695	0.300
	योग	1	0.695	0.300
3	सोलाल, श्यामसिंह हरबगस पिता बापूलाल, पार्वतीबाई विधवा बापूलाल जाति भड़क्या नि.ग्राम भू-स्वामी	42	1.202	1.202
	योग	1	1.202	1.202
4	सेतानबाई पिता बापूलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	83/1	0.100	0.100
	योग	1	0.100	0.100
5	काशीराम पिता गोदड़ जाति चमार नि.ग्राम मोहनपुरा	83/2	0.292	0.292
	योग	1	0.292	0.292
6	प्रभू पिता राधाकिशन जाति चमार नि. ग्राम मोहनपुरा	90/1 में से	1.138	0.600
	योग	1	1.138	0.600
7	बालाबगस पिता मेहताब जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहनपुरा	90/2 में से	2.529	0.450
	योग	1	2.529	0.450
8	शिवनारायण, मयाराम, चन्द्रबाई, रमा, सुनीता पिता धूलजी सर.माता सौरभबाई विधवा धूलजी, जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहनपुरा	90/3 में से	1.884	1.450
	योग	1	1.884	1.450
9	रामचरण पिता हरचन्द जाति गुर्जर नि.ग्राम सुन्दरहेड़ा	109/1	1.000	0.300
	योग	1	1.000	0.300
10	प्रेमनारायण पिता प्रभूलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	109/2	1.446	0.050
	योग	1	1.446	0.050
11	मन्नीहर पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	114/3 में से	0.890	0.890
	योग	1	0.890	0.890
12	भरतराम पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	114/2 में से	0.890	0.890
	योग	1	0.890	0.890
13	बालकिशन पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलबेह	120/2 116/9/4 116/7/3	1.265 1.770 0.506	0.800 0.770 0.506
	योग	3	3.541	2.076

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति-ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
14	कन्हैयालाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलबेह	116/9/2 116/9/3 116/7/1	1.265 1.770 1.770	0.700 1.600 1.170
	योग	3	4.805	3.470
15	माधु, शिवलाल, नरानीबाई पिता रोड़ा पारीबाई बेवा रोड़ा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	118/1	3.984	0.030
	योग	1	3.984	0.030
16	पूरालाल पिता रतीराम जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलबेह	119/2	1.518	0.100
	योग	1	1.518	0.100
17	प्रभू पिता ईशर जाति चमार नि.ग्राम खजूरिया	120/1	4.806	0.030
	योग	1	4.806	0.030
18	भंवरिया पिता गोपाला जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	121/2	3.794	1.000
	योग	1	3.794	1.000
19	देवा पिता भेरू जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	121/4	2.528	0.450
	योग	1	2.528	0.450
20	कन्हैयालाल पिता श्यामलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	122/2	0.808	0.400
	योग	1	0.808	0.400
21	गुलाबबाई पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्राम पिपलहेला	116/7/2	0.253	0.210
	योग	1	0.253	0.210
22	शिवनारायण, अशोक कुमार पिता इंदरसिंह, शांतिबाई बेवा इंदरसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	34/3/1	0.126	0.126
	योग	1	0.126	0.126
23	दौलतसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	34/3/2	1.391	1.391
	योग	1	1.391	1.391
24	जसवंतसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	34/3/3	0.759	0.759
	योग	1	0.759	0.759
25	अमानसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम जड़किया	2/3/1	2.365	1.200
	योग	1	2.365	1.200
	कुलयोग :-	30	47.829	19.966

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र 1559-भू-अर्जन-री-1-17-18

मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम उन्नई, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि कें हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

-: अनुसूची :-

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (है.में)
1	झाबुआ	पेटलावद	उन्नई/03	209/1	0.012
2				210	0.014
3				211	0.025
4				197/1	0.026
5				113	0.022
6				141	0.037
7				143	0.022
8				142	0.008
9				147/1	0.086
10				148	0.019
11	झाबुआ	पेटलावद	उन्नई/03	51	0.072
12				50	0.049
13				166	0.008
14				165	0.012
15				160	0.040
16				162	0.023
17				161	0.017
18				157	0.057
19				156/2	0.003
				कुल योग :-	0.553

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र 1561-भू-अर्जन-री-1-17-18

मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम नहारपुरा, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

-: अनुसूची :-

क्रं.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में)
1	झाबुआ	पेटलावद	नहारपुरा/03	509	0.080
2				554	0.039
3				678	0.019
4				518	0.057
5				529/3	0.031
6				530	0.029
7				531/1	0.025
8				552/1	0.032
9	झाबुआ	पेटलावद	नहारपुरा/03	553	0.024
10				676	0.043
11				677/1	0.000
12				674/1	0.036
13				674/2	0.023
14				674/3	0.016
15				674/4	0.011
16				684/2	0.004
17				684/1	0.030
				कुल योग :-	0.499

क्र 1563-भू-अर्जन-री-1-17-18

मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम असालिया, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

—: अनुसूची :-

क्रं.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.में)
1	झाबुआ	पेटलावद	असालिया/02	374	0.011
2				372	0.017
3				371	0.008
4				379/1	0.066
5				382/1	0.047
6				402	0.076
7				400	0.039
8				399	0.025
9				409	0.015

क्रं.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (है.में)
10	झाबुआ	पेटलावद	असालिया/02	201	0.079
11				200/1	0.066
12				193/1	0.032
13				51/1	0.035
14				52	0.038
15				58/1	0.059
16				59	0.004
17				60	0.013
18				94/1	0.018
19				96	0.005
20				101/1	0.087
21				109	0.060
22				136	0.031
23				139	0.006
24				140	0.043
25				141	0.053
26				712	0.038
27				613	0.012
28				614	0.056
29				618	0.030
30				622/1	0.034
31				619/1	0.030
32				621/1	0.031
				कुल योग :-	1.167

क्र 1565-भू-अर्जन-री-1-17-18

मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम नहारपुरा, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा।

—: अनुसूची :—

क्रं.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में)
1	झाबुआ	पेटलावद	नहारपुरा/03	30	0.102
2				38/3	0.005
3				38/4	0.025
4				213/1	0.040
5				199/3	0.005
6				199/4	0.032
7				200	0.055
8				204/1	0.053
9				400	0.059

क्रं.	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जिल की जाने वाली भूमि (है.में)
10	झाबुआ	पेटलावद	नहारपुरा/03	399/4	0.018
11				399/3	0.038
12				399/2	0.002
13				395/5	0.050
14				406/1	0.055
15				374/1	0.039
16				344/1	0.022
17				344/2	0.027
18				344/3	0.025
19				344/4	0.005
20				343/4	0.038
21				339/1	0.032
22				331	0.023
23				326	0.021
24				504/3	0.013
25				504/4	0.019
26				504/2	0.029
27				504/1	0.001
28				509	0.082
29				512	0.039
31				514	0.074
32				513/1	0.004
				कुल योग :-	1.030

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 29 जनवरी 2018

प्र.क्र. 95-अ-82-2016-17-1168

मौजा शाहपुर, पट. ह. नं. 107, तह. एवं जिला सागर.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण ग्राम- चौका (दमोह), पड़रिया, देवरी पथरिआ, डोंगीडहर, मगरौन, खैजरा उददेत एवं शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : **भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण**
- (2) भूमि का विवरण-
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : शाहपुर
 4. पट.ह.नं. : 107
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.749 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हे.में)	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रामकिसन बल्द पूरन	भूमिस्वामी	315	0.140	0.021	
2	बिहारी बल्द खूबसींग	भूमिस्वामी	316	0.280	0.001	
3	माखन पिता लच्छू	भूमिस्वामी	313	0.580	0.021	
4	नरेन्द्र कुमार बल्द गोकलचंद, चमेलीबाई जोजे गोकलचंद	भूमिस्वामी	327	0.580	0.033	
5	श्रीराम बल्द निर्भयसिंह, नर्वदसींग, गोविन्दसींग, शिवराजसींग, मीरबाई पिता प्रकटसींग, रतनसींग, रामजी, लक्ष्मणसींग वलि कल्लो पिता प्रीतमसींग	भूमिस्वामी	331	0.140	0.014	
			178	0.010	0.010	
योग-				0.150	0.024	
6	गुलाबरानी वेवा भोपतसींग, अमूल, सुखराम, खेतसींग, रूपसींग पिता भोपतसींग शिववति, राजकुमारी पुत्री भोपतसींग	भूमिस्वामी	332	1.130	0.096	
7	कालूराम बल्द मल्थूराम	भूमिस्वामी	338	0.570	0.062	
8	ऋषभ कुमार, सुमतकुमार, सुधीश कुमार पिता प्रेमचंद, बसतीबाई वेवा प्रेमचंद	भूमिस्वामी	340	0.240	0.024	

9	मुकुल मनोज, मयंक, नावा. वल्द वलि. मदनगोपाल, अनिता जोजे मदनगोपाल	भूमिस्वामी	1042	1.390	0.132	
10	रघुवीरसिंह बल्द गुलाबसिंह	भूमिस्वामी	342	0.350	0.043	
11	डालचंद वल्द हरप्रसाद	भूमिस्वामी	1038	0.390	0.014	
			1035	0.540	0.106	
	योग-			0.930	0.120	
12	राजकुमारी जोजे हरीनारायण	भूमिस्वामी	1039/1	0.370	0.053	
			1039/2	0.370	0.050	
	योग-			0.740	0.103	
13	भगवानदास पिता तुलसीराम, रामवती, शांति, भागबाई, भुवानीबाई पुत्री तुलसीराम, दीपचंद, गनेश, दिनेश, सोनाबाई, पूनाबाई, गायत्री, सीताबाई पिस.धरमदास, गुलाबरानी बेबा धरमदास, ब्रजेश, भीम, कमला, लीलाबाई, जनकाबाई, गीता, पिस.बल्ली, चंद्ररानीबेबा बल्ली	भूमिस्वामी	919	0.270	0.043	
14	दून्डे, सुखलाल पिता कलु, सियारानी वेवा मुलू भागबाई, बोराबाई, झींगाबाई पुत्री कलू	भूमिस्वामी	920	0.260	0.028	
			921	0.270	0.038	
	योग-			0.530	0.066	
15	कलू वल्द पकोले	भूमिस्वामी	922	0.430	0.024	
			374/2	0.070	0.024	
	योग-			0.500	0.048	
16	रामदुलारी वेवा नाथूराम, ग्याप्रसाद, डालचंद, खेमचंद, किसनचंद, पिता नाथूराम	भूमिस्वामी	932	0.710	0.096	
			935	1.650	0.115	
	योग-			2.360	0.211	
17	रामकृष्ण वल्द रघुनाथसिंह, द्रोपती, मीरा, कृष्णा, अनुमति पिता रघुनाथसिंह		940	2.140	0.192	
18	छोटसिंह बल्द किशोरसिंह		255	1.370	0.016	
19	शिवरानी बेवा नरबदसिंह संतोषरानी पति गजराजसिंह दांगी	भूमिस्वामी	260	0.600	0.079	
			261/1	0.210	0.028	
			263/1	0.180	0.018	
			197	0.660	0.108	
	योग-			1.650	0.233	
20	लक्ष्मण, मुन्ना, लखन, रामदयाल, पिता मांगू मुकेश, नावा. वल्द वलि गनेश ब. छोटेलाल	भूमिस्वामी	262	0.310	0.060	
21	प्रेमदुलैया बेवा उत्तमसिंह, रघुराजसिंह, विजयसिंह, पिता उत्तमसिंह लोधी, अजमेरसींग दिलीपसींग रामवती विमला दमयंती मनीषा पिता भगवानसींग राजदुलारी उर्फ राजरानी बेबा भगवानसींग	भूमिस्वामी	263/2	0.100	0.019	
22	ब्रजा वल्द रल्ली, धनसिंह लक्ष्मण, रामदयाल, पिता मांगू बड़ीबहू बेवा दुर्गा, मंगल महेन्द्र पिसरान, दुर्जन, छोटीबाई, सुशीलाबाई, उमाबाई, पु. दुर्जन, छोटीबाई, उमाबाई, पु. दुर्जन, प्रकाशचंद पिता भागचंदसिंह, मुकेशसिंह, ना.वा. वल्द वली व वली गनेशसिंह शिवरानी, बेवा, नरबदसिंह संतोषरानी पति गजराजसिंह, शिवरानी बेवा नरबदसिंह, संतोषरानी पति गजराजसिंह दांगी, जवाहरसींग, सूरतसींग पिता प्रहलाद, अजमेरसींग, दिलीपसींग, रामवती, विमला, दमयंती, मनीषा पि. भगवानसींग राजदुलारी उर्फ राजरानी बेवा भगवानसींग	भूमिस्वामी	273	0.080	0.024	
23	रतनसिंह, रामजी, रामवती, कल्लो पिता प्रीतमसिंह, राजदुलारी बेवा प्रीतमसिंह, मोहितसिंह भूपेन्द्रसिंह नावा. वल्द लक्ष्मणसिंह पा. माँ व खुद, किरणबाई, बेवा लक्ष्मण सिंह	भूमिस्वामी	173	0.170	0.019	

24	संतोष रानी पत्नि गजराज सिंह दांगी	भूमिस्वामी	174	0.310	0.055	
25	रामदुलारी जाजे प्रीतम सिंह	भूमिस्वामी	175/1	0.100	0.031	
26	रघुवीरसिंह वल्द राजाराम	भूमिस्वामी	279/1	2.610	0.218	
27	सुदामा पिता बहोरे	भूमिस्वामी	280	0.880	0.072	
28	शंकर पिता रामदीन	भूमिस्वामी	284	0.540	0.057	
			295/1	0.280	0.033	
	योग-			0.820	0.090	
29	भोले वल्द रामदीन	भूमिस्वामी	295/2	0.290	0.034	
30	नन्ना बल्द भग्गा, लतई, बब्बू, रामलाल, शम्भू, जयराम, मीरा, कुसुमबाई पिता नन्ना	भूमिस्वामी	296	0.620	0.052	
			297	0.620	0.091	
	योग-			1.240	0.143	
31	नर्मदा प्रसाद, शालकराम, डालचंद, हरि नारायण, हरचंद पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	298	0.470	0.024	
32	सुदामा पिता बहोरे	भूमिस्वामी	314	1.130	0.191	
33	फूलसींग पिता दरई	भूमिस्वामी	374/1	0.050	0.024	
34	कलू उर्फ कल्याणसिंह बल्द पकोले	भूमिस्वामी	375	0.100	0.024	
35	छत्तरसींग पिता कपूरे	भूमिस्वामी	756/1	1.200	0.026	
36	नर्वद, भगत, जगत, रघुनाथसिंह पिता वृंदावन सिंह, अवधरानी बेवा वृंदावन सिंह	भूमिस्वामी	756/2	1.240	0.026	
37	मेघराज वल्द खूबसींग, धुबसिंह, सुहागरानी पत्नि खूबसींग	भूमिस्वामी	833	1.290	0.144	
38	केशवसिंह पिता दयाराम	भूमिस्वामी	832/1	0.260	0.023	
39	नरेन्द्र पिता कपूरे	भूमिस्वामी	832/2	0.140	0.022	
40	देववती बेवा मूरतसींग, मनोज ना.वा. पिता. मूरतसिंह वली माँ, देववती बेवा मूरतसिंह	भूमिस्वामी	832/3	0.240	0.022	
41	मेघराज, धुबसिंह पिता खूबसींग	भूमिस्वामी	835	0.300	0.033	
42	वृंदसिंह बा. नरेन्द्रसिंह ना.वा. पिता चैनसिंह, वली माँ फूलरानी जोजे चैनसिंह	भूमिस्वामी	836	0.290	0.024	
43	रामरानी बेवा विश्वनाथ सिंह	भूमिस्वामी	837	0.610	0.067	
44	नरवदसींग भगतसींग, जगतसींग, रघुनाथ सींग, भोपालसींग, परसोत्तम, परशराम, राजेन्द्र, संतोष, रामजी, जगमोहन, पिस, वृंदावन, अवधरानी, फूलरानी, बेवा वृंदावन, केशवसींग, निर्भयसींग, वालिक मूरतसींग, नावा. पिता दयाराम, वलि व खुद माँ देशरानी बेवा दयाराम, फेरन कपूरे पिता हन्नू, रामभरोसे पिता हरिसिंह, गुलाबरानी बेवा पड़वा, सुखरानी बेवा अमीरसींग, मेंदाबाई मायाबाई, गुलाबबाई पिता पूरन, राजरानी, नन्हीबाई बेवा पूरन	भूमिस्वामी	846	0.260	0.030	
45	भोपालसिंह, परसोत्तम, परशराम, राजेन्द्र, संतोष, रामजी, जगमोहन, पिस. वृंदावन, फूलरानी बेवा वृंदावन	भूमिस्वामी	847/1	0.160	0.030	
46	फेरनसिंह पिता हन्नूसिंह, रामसेवक, रामकुमार, रामेश्वर पिता फेरनसिंह,	भूमिस्वामी	847/2	0.150	0.030	
47	रामजी रज्जन, वल्द वृंदावन, साहबसिंह वल्द भोपालसिंह लोधी	भूमिस्वामी	848	0.350	0.060	
			849	0.300	0.058	
	योग-			0.650	0.118	
48	सुमतरानी, बेवा नारायणसिंह, रघुवीरसिंह, रामकृष्णसिंह पिस. नारायणसिंह	भूमिस्वामी	851	0.270	0.048	
49	विक्रमपाल सिंह व प्रतापसिंह, कुलदीप सिंह वल्द रघुवीरसिंह	भूमिस्वामी	852	0.270	0.072	

50	देवेन्द्र सिंह वल्द हरनाम सिंह, प्रताप सिंह वल्द कवर सिंह	भूमिस्वामी	879	0.660	0.115
51	शिबू हल्लू धन्नु पिता गुलाब, सुमंत्रा, पार्वती, गोपी, गीता पु.गुलाब, देवीसींग, काशीराम पि. हरदेव, प्रेमबाई पुत्री हरदेव, किस्सू ना.बा.मुलु, द्रोपतीबाई ना.बा.पुत्री भूमिस्वामी मुलु बलि बड़ेदादा, गुलाब	भूमिस्वामी	897	0.280	0.048
52	महेन्द्रसिंह वल्द रंगसिंह, वेदरानी, वेवा रंगसिंह, रंजीतसिंह वल्द फूलसिंह सा.देह नरवदसिंह, भगतसिंह भूमिस्वामी रघनाथसिंह, भोपालसिंह, परषोत्तम, परसराम, राजेन्द्र, संतोष, रामजी, जगमोहन पिता वृन्दावन, अवधरानी, फूल भूमिस्वामी फूलरानी बेबा वृन्दावन, केशवसिंह, निर्भयसिंह व सूरतसिंह ना. बा.व दयाराम बलि व खुदमां देशरानी बे. भूमिस्वामी कपूरे, फेरन व हन्नूराम, भरोसे, पि.हरीसिंह सा.देह भूमिस्वामी राजरानी, नन्हीबाई बेबा पूरनसींग, मैदाबाई, मायाबाई, गुलाबबाई पु. पूरनसिंह	भूमिस्वामी	906	0.760	0.105
53	विनोद कुमार वल्द गुलाबचंद, पन्नालाल वल्द हरचंद	भूमिस्वामी	907	0.320	0.086
			911	0.740	0.105
योग-				1.060	1.191
54	मदन गोपाल पिता विन्दावन	भूमिस्वामी	345/2	0.420	0.058
कुलयोग:-			कुल 54 किता	35.070	3.749

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 89-अ-82-2016-17-1169

भौजा चौका दमोह, पट. ह. नं. 105, तह. एवं जिला सागर.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण ग्राम- चौका दमोह, पड़रिया, देवरी पथरिया, डोंगीडहर, मगरौन, सैजरा उददेत एव शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकार्हात निहित है। प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : **भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण**
- (2) भूमि का विवरण-
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : चौका दमोह
 4. पट.ह.न. : 105
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.599 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	राधाबाई वेवा सुकई	भूमिस्वामी	83/1	1.80	0.052	
2	जितेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह,	भूमिस्वामी	83/2	0.29	0.030	
			106/1	0.38	0.013	
			106/2	0.23	0.013	
	योग-			0.90	0.056	
3	रामरानी पत्नि मोहनसिंह	भूमिस्वामी	83/3	1.80	0.100	
4	धर्मन्द्र सिंह वल्द मोहनसिंह	भूमिस्वामी	99	0.82	0.100	
			98	0.80	0.088	
	योग-			1.62	0.188	
5	सूरजसिंग पिता प्रहलादसिंग, रतनसिंह, रामजीसिंह पिता प्रीतम, हीराबाई कल्लोबाई पुत्री प्रीतमसिंह, मोहितसिंह, भूपन्द्रसिंह पिता लक्ष्मनसिंह, किरणबाई वंवा लक्ष्मनसिंह	भूमिस्वामी	112/1	0.97	0.078	
6	माहित दीपक ना.वा. भागवलसिंह वलि माँ वा खुद लक्ष्मीबाई वेवा भागदलसिंह रतनसिंह, रामजीसिंह पिता प्रीतमसिंह, हीराबाई कल्लोबाई, पुत्री प्रीतमसिंह, माहितसिंह, भूपन्द्रसिंह पिता लक्ष्मनसिंह, किरणबाई वंवा लक्ष्मनसिंह	भूमिस्वामी	112/2	0.35	0.030	

7	शालकराम, नारायणसिंह पिसराम जवाहरसिंह सुमतरानी बेवा जवाहरसिंह, सूरतसिंह वल्द प्रहलादसिंह, मोहित दीपक ना.वा. भागवलसिंह वलि व खुद माँ, लक्ष्मीबाई वेवा भागवलसिंह, रतनसिंह रामजीसिंह पिता प्रीतमसिंह, हीराबाई, कल्लोबाई पुत्री प्रीतमसिंह, मोहितसिंह, भूपेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मनसिंह, किरणबाई बेबा लक्ष्मनसिंह	भूमिस्वामी	112/3	0.37	0.040
8	खेतसींग ब. भोपतसींग	भूमिस्वामी	113	0.53	0.044
			114	0.68	0.084
	योग--			1.21	0.128
9	नरेन्द्र कुमार पिता पन्नालाल	भूमिस्वामी	115	0.05	0.009
10	विनोद कुमार पिता गुलाबचंद, पन्नालाल पिता हरचंद	भूमिस्वामी	116	0.90	0.180
			126	2.50	0.189
	योग--			3.40	0.369
11	मोहित, भूपेन्द्र, पिसरान लक्ष्मणसिंह किरणबाई वेवा लक्ष्मणसिंह	भूमिस्वामी	117/3	0.72	0.028
12	शिखरचंद पिता राजधर, नरेन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र कुमार पिता पन्नालाल	भूमिस्वामी	111	0.59	0.028
13	रतनसींग पिता प्रीतमसींग	भूमिस्वामी	118	0.49	0.091
14	रामजी पिता प्रीतमसींग	भूमिस्वामी	117/2	0.72	0.056
15	रतनसींग पिता प्रीतमसींग	भूमिस्वामी	117/1	0.72	0.044
16	रामसींग पिता राजाराम, भगवानसींग वीरसींग अमरसींग चंदा त्रिवेणी उर्मिला पिसरान रामसींग अवधरानी बेबा रामसींग	भूमिस्वामी	121	0.46	0.103
			74/1	2.75	0.100
	योग--			3.21	0.203
17	साहबसींग पिता राजाराम	भूमिस्वामी	74/2	2.00	0.099
	कुलयोग--		कुल17 किंता	20.920	1.599

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन, कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलुंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 86-अ-82-2016-17-1172

मौजा डॉंगीडहर, पट. ह. नं. 105, तह. एवं जिला सागर.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण ग्राम- चौका (दमोह), पड़रिया, देवरी पथरिया, डॉंगीडहर, मगरौन, खैजरा उददेत एवं शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : डॉंगीडहर
 4. पट.ह.नं. : 105
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.774 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	छोटेसींग पिता दलीपसींग	भूमिस्वामी	1/2	1.170	0.076	
2	सूरतसींग पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	7	0.880	0.057	
			8	1.160	0.089	
योग-				2.040	0.146	
3	सिद्धराम पिता गजराजसींग, भुवानी गीता, ईशाबाई, केशरबाई, पार्वतीबाई पु. गजराज, सुरेशरानी बेवा गजराज, भगवानसींग ब. गुपाल, मुन्नी पुत्री धीरज	भूमिस्वामी	9	1.680	0.147	
4	मोहनसींग पि. जालमसींग, कुसुमबाई पुत्री जनकदुलारी	भूमिस्वामी	10/1	0.300	0.077	
5	रघुवीरसींग पिता मोहनसींग	भूमिस्वामी	10/2	0.200	0.07	
			12	0.350	0.108	
योग-				0.550	0.178	
6	मोहनसींग पिता जालमसींग	भूमिस्वामी	11	0.350	0.108	
7	हरीराम, रामप्रसाद, दयाराम, राजाराम, प्रभुदयाल पिता भैयालाल, कोमलरानी बे. आशाराम, रामेश्वरप्रसाद, बद्रीप्रसाद, भूमिस्वामी राजेन्द्र उर्फ	भूमिस्वामी	13	2.370	0.300	
			34	5.560	0.397	

+	मुन्नालाल, कमलकुमार, नरेन्द्रकुमार पिता आशाराम, गिरजाबाई, लीलाबाई, विमलाबाई, कमलाबाई पुत्री भूमिस्वामी आशाराम पता सा. देवरी पथरिया भूमिस्वामी, महादेव ब.दयाराम, सीतारानी, बेबा दयाराम, बिहारी, श्यासुंदर, पप्पू पिस.प्रभूदयाल,डब्बो,रचना,पु.प्रभूदयाल, सूरजबाई, बे.प्रभूदयाल सा.देवरी पथरिया, भूमिस्वामी राजाराम पिता भैयालाल					
	योग-			7.930	0.697	
8	भानूदय नावा. पिता वलि, विश्वनाथ पिता प्रभुदयाल	भूमिस्वामी	31 /1	1.00	0.092	
9	विश्वनाथ पिता प्रभुदयाल	भूमिस्वामी	31 /2	0.800	0.080	
10	विनीत ब. बिहारीलाल अग्निहोत्री, राजुल ब. बिहारीलाल, अग्निहोत्री	भूमिस्वामी	32	1.130	0.117	
11	हरीराम, रामप्रसाद, दयाराम, राजाराम, प्रभुदयाल, भैयालाल,कोमलरानी बे.आशारानी, रामेश्वरप्रसाद, बद्रीप्रसाद, भूमिस्वामी, राजेन्द्र उर्फ मुन्नालाल, कमल, नरेन्द्रकुमार पिता आशाराम, गिरजाबाई, लीलाबाई, विमलाबाई, कमलाबाई पुत्री भूमिस्वामी, आशाराम पता सा.देवरी पथरिया भूमिस्वामी,महादेव ब.दयाराम, सीतारानी, बेबा दयाराम, बिहारी, श्यासुंदर, पप्पू पिस.प्रभूदयाल,डब्बो,रचना,पु. प्रभूदयाल, सूरजबाई, बे.प्रभूदयाल सा.देवरी पथरिया, भूमिस्वामी राजाराम पिता भैयालाल	भूमिस्वामी	33	0.910	0.056	
	योग:-		कुल 11 किता	17.860	1.774	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 87-अ-82-2016-17-1174

मौजा देवरी पथरिया, पट. ह. नं. 106, तह. एवं जिला सागर.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण ग्राम- चौका (दमोह), पड़रिया, देवरी पथरिया, डोंगीडहर, मगरौन, खैजरा उददेत एवं शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : **भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण**
 (2) भूमि का विवरण-
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : देवरी पथरिया
 4. पट.ह.नं. : 106
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.738 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	घनश्याम, श्याम सुन्दर, रमेश पिता नन्हभाई, कमलसानी बेवा नन्हभाई	भूमिस्वामी	70	1.08	0.096	
2	रामकिसन उर्फ जीवनलाल पिता शालकराम	भूमिस्वामी	64	1.090	0.115	
3	सुहागरानी बेवा शालकराम, लक्ष्मी, भोले, रामदेवी, सीता, गीता पुत्री शालकराम	भूमिस्वामी	63	1.090	0.108	
4	सुरेशसिंग पिता करनसिंग	भूमिस्वामी	77	1.540	0.179	
5	दुर्गसिंह पिता मोहनसिंह	भूमिस्वामी	78	0.440	0.160	
6	रामप्रसाद पिता भैयालाल राजकुमार, रूपनारायण, चंद्रभान, हृदय कुमार, सुधीश, पिस.रामप्रसाद, त्रिवेणी, रामसखी, गीता, साविता, किरण पुत्री रामप्रसाद	भूमिस्वामी	82	1.390	0.140	
7	बिहारी, श्यामसुन्दर, विश्वनाथ पिस प्रभुदयाल, पुष्पा, रचना पु. प्रभुदयाल, सुरजबाई बेवा प्रभुदयाल	भूमिस्वामी	62 60 59	0.440 1.610 1.750	0.032 0.224 0.044	
	योग-			3.800	0.300	
8	श्री देव राधा वल्लभ जी मो हरिराम पिता भैयालाल, उबधन कलेक्टर, सागर	भूमिस्वामी	61	2.100	0.044	
9	महादेव प्रसाद वल्द दयाराम सातारानी पिता दयाराम	भूमिस्वामी	52	0.200	0.011	
10	उद्येत वल्द हल्काई	भूमिस्वामी	58/2	0.520	0.096	
11	नरेश पिता आशाराम	भूमिस्वामी	48/1	0.930	0.170	
	बद्रीप्रसाद पिता आशाराम	भूमिस्वामी	48/2	0.68	0.180	
12	भुवानी बाई पुत्री बाबूसींग	भूमिस्वामी	46 47	0.610 0.610	0.051 0.160	
	योग-			1.220	0.211	

13	उजयारसिंह पिता सिरदार सींग	भूमिस्वामी	111	1.940	0.224
14	मलखान, वृदावन पिता कूरे	भूमिस्वामी	112	0.860	0.184
15	गनपत, लल्लू पिता कूरा	भूमिस्वामी	113	0.830	0.184
16	रामकेश, काशीराम बा. सुलील ना.बा. पिसरान शंकर बलि मॉ इन्द्रानी पति शंकर	भूमिस्वामी	132/1	0.390	0.200
			133/1	0.350	0.052
	योग-			0.740	0.252
17	प्रकाश, हल्लेभाई, राकेश, पिसरान शंकर	भूमिस्वामी	132/4	0.390	0.032
			133/2	0.360	0.052
	योग-			0.750	0.084
कुल योग-				21.200	2.738

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 97-अ-82-2016-17-1176

मौजा मगरौन, पट. ह. नं. 106, तह. एवं जिला सागर.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन सभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण ग्राम- चौका (दमोह), पड़रिया, देवरी पथरिया, डोंगीडहर, मगरौन, खैजरा उददेत एवं शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : **भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण**
 (2) भूमि का विवरण-
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : मगरौन
 4. पट.ह.नं. : 106
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 5.796 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

सं. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रामजी उर्फ चंद्रिका प्रसाद	भूमिस्वामी	13	2.020	0.081	
2	बालमुकुन्द पिता लटकन	भूमिस्वामी	27	1.820	0.160	
3	राधेश्याम, शंकरलाल, नंदराम पिता बाबूलाल, सिरदारशानी बेबा बाबूलाल सा. देवरी पथरिया	भूमिस्वामी	26	2.600	0.120	
4	भरत पिता बालमुकुंद	भूमिस्वामी	50/5	1.420	0.120	
5	जयराम पिता परसराम	भूमिस्वामी	52/2	0.480	0.132	
6	सीताराम पिता परसराम	भूमिस्वामी	52/3	2.150	0.132	
7	वीरेन्द्र कन्नार पिता देवन्द्रकमार	भूमिस्वामी	55	2.930	0.120	
8	खदाशानी वका समराम	भूमिस्वामी	61/1	0.460	0.020	
9	ब्यामकेश वल्द वीरेन्द्र कुमार	भूमिस्वामी	61/2	0.800	0.020	
10	छत्रसाल सिंह पिता निरंजसिंह	भूमिस्वामी	61/3	0.850	0.020	
11	रजात पिता रामसंग	भूमिस्वामी	61/4	0.890	0.030	
12	जयंतीबाई गते सताप कन्नार	भूमिस्वामी	61/5	0.870	0.027	
			61/7	0.870	0.020	
	योग-			1.740	0.047	

13	बृजेश पिता बृजगोपाल	भूमिस्वामी	60	0.780	0.094
14	महीपसींग, कलूसींग, प्रीतमसींग पिता जल्ले, प्रागबाई, शांतिबाई पुत्री खिलान, बृजरानी बेबा खिलान, हल्कीबाई बेबा जल्ले	भूमिस्वामी	62	1.360	0.148
15	मु. हाऊन मु. युनुस, मु. असलम, मु. पारख, मु. इकराम पिता इकबाल	भूमिस्वामी	289	1.050	0.072
16	भगताराम, रामकली पिस. श्रीधर, अवधरानी, बेबा श्रीधर	भूमिस्वामी	290/1	0.090	0.010
17	मु० अरिफ पिता हारून	भूमिस्वामी	290/2	0.680	0.019
18	मु० युनिस पिता इकबाल	भूमिस्वामी	290/3	0.970	0.019
19	मु. हाऊन मु. युनुस मु. असलम, मु. पारख मु. इकराम पिता इकबाल	भूमिस्वामी	291	1.860	0.096
20	रज्जूसींग, रामा, नन्हेभाई जगदीश पिसरान महाराज, किरन पु. महाराज, दिवालसिंह बल्द हिम्मतसिंह	भूमिस्वामी	86	0.900	0.067
21	मोहम्मद असलम पिता इकबाल	भूमिस्वामी	278	0.900	0.136
22	राजेन्द्र बा. मिथुन, राकेश ना. बा. पिता रामावली माँ व खुद ममता बेबा रामा भूमिस्वामी अंजली ना. बा. पु. रामा बलि माँ ममता	भूमिस्वामी	272/1	0.860	0.020
23	रमजान बल्द घस्सू	भूमिस्वामी	279	2.080	0.012
24	सुरेन्द्र, सुरेश, भगवानदास विजय, सतीश पिता पूरनलाल, नन्नीबाई बेबा पूरनलाल	भूमिस्वामी	273	0.950	0.110
25	कमला पुत्री फेरनसिंह	भूमिस्वामी	274	0.960	0.072
26	सतीश पिता पन्नालाल	भूमिस्वामी	267	0.900	0.052
			266	1.630	0.053
			265	0.920	0.094
योग-				3.450	0.199
27	हनुमत सिंह पिता रगराज	भूमिस्वामी	269/1	0.790	0.012
28	राहुल पिता सतीश	भूमिस्वामी	269/2	0.400	0.020
			269/3	0.280	0.020
योग-				0.680	0.040
29	शोभारानी, बेबा प्रताप	भूमिस्वामी	251/1	0.520	0.019
30	तुलसीराम बल्द तिमया उर्फ तम्मी	भूमिस्वामी	251/2	0.360	0.019
31	शिवाजी पिता निरंजनसिंह	भूमिस्वामी	263/1	0.190	0.041
32	नन्हुलाल पिता भुलई	भूमिस्वामी	254/2	0.950	0.050
33	चिंतामन पिता मुलू	भूमिस्वामी	254/1	0.400	0.050
34	राजेन्द्र पिता रामा	भूमिस्वामी	254/6	0.070	0.024
35	रूपनारायण, कैलाश नारायण, उमाकांत पिता बलराम, सुमतशानी बेबा बलराम	भूमिस्वामी	253/1	0.500	0.180
36	शेवसींग, लालसींग, नंदलाल ना. वा. वल्द पिता नारायणसींग	भूमिस्वामी	103	0.370	0.081
37	मकुन्दी पिता नब्बू	भूमिस्वामी	102	0.350	0.105
38	मुकेश, मंगल, प्रदीप पिस. रमेशसींग, क्रांति, शांति पु. खेतसींग	भूमिस्वामी	100/1	0.090	0.021
			96/4	0.340	0.010
योग-				0.430	0.031
39	धीरज सींग पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	100/2	0.160	0.021
			96/3	0.340	0.010
			93/2	0.320	0.027
योग-				0.820	0.058
40	नथू वल्द फिरतू, अबधरानी बेबा फिरतू	भूमिस्वामी	99/1	0.610	0.091
41	कमलरानी बेबा माधवसींग, मुकेश मंगल प्रदीप पिसरान रमेशसींग, हल्की बिन्ना, बड़ी बिन्ना, पुत्र रमेशसींग रामसींग, धीरजसींग पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	96/1	0.020	0.010
42	कार्तिके पिता बंशीधर रोली, मेखला पु. बंशीधर, चन्दबंशी	भूमिस्वामी	96/2	0.750	0.010

43	कमलरानी बेबा माधवसींग	भूमिस्वामी	96/5	0.380	0.020
			92/1	0.310	0.055
	योग-			0.690	0.075
44	रामसींग पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	96/6	0.300	0.016
			93/1	0.100	0.026
	योग-			0.400	0.042
45	कनई पिता बोरेसींग	भूमिस्वामी	80/1	0.310	0.016
			76/2	1.160	0.060
	योग-			1.470	0.076
46	कमलाबाई पुत्र बोरेसींग	भूमिस्वामी	80/2	0.400	0.017
47	गुलाब नंदराम,मदन पिता टीकराम,हरीसींग पिता दुरग	भूमिस्वामी	90	0.240	0.067
48	भगतसींग पिता गजराज सींग	भूमिस्वामी	85	0.370	0.057
49	बैजनाथ पिता नोने	भूमिस्वामी	87/1	1.260	0.120
50	मकुन्दी पिता नब्बू	भूमिस्वामी	87/2	0.410	0.066
51	बल्लू नेता पिता कल्याण, दीदी ना.वा. पिता कलयाण वली. माँ प्रेमरानी बेवा कलयाण, केतकी, बंदना, ना.वा.पु. बलराम ब वली व खुद माँ, सूरजरानी बेवा बलराम	भूमिस्वामी	76/1	1.140	0.050
52	घनश्याम, कैलाश पिता दुर्गा प्रसाद	भूमिस्वामी	77	0.320	0.055
53	परमसिंह पि. तातू क्रांतिबाई पति राजेन्द्रसिंह लोधीसिंह	भूमिस्वामी	78	0.960	0.098
54	खिलान पिता मुल्ली	भूमिस्वामी	71	1.000	0.060
55	रामरानी पति खिलानसींग	भूमिस्वामी	72/1	0.960	0.058
56	जसवंस,कमलेश,रतन,भरत,पिता चित्तरसींग, गुडडीबाई, उमाबाई पुत्री चित्तरसींग, राधारानी बेवा चित्तरसींग	भूमिस्वामी	301	0.420	0.052
57	राजकुमार, रूपनारायण पिस रामप्रसाद	भूमिस्वामी	302	0.640	0.211
58	हनुमत, अवधेश, पिता हीरा मु. प्रेमरानी बेवा हीरा रूपरानी, हरीसींग	भूमिस्वामी	303	1.380	0.128
59	अरविन्द बल्द बृजगोपाल	भूमिस्वामी	305	1.010	0.180
60	भीकम पिता प्रभानसींग	भूमिस्वामी	311	0.620	0.040
61	भगोतीबाई,ताराबाई, हल्कीबाई, अहिल्याबाई, बिपताबाई, उर्मिलाबाई पुत्र राजाराम, मूरत पिता गुलाब लोधी,	भूमिस्वामी	457/1	1.590	0.050
62	दुर्गाबाई बेवा रमाकांत सा.खैजरा उद्देत भूमिस्वामी भगोतीबाई,ताराबाई, हल्कीबाई, अहिल्याबाई, बिपताबाई, उर्मिलाबाई पुत्री राजाराम पता.सा.खैजरा उद्देत भूमिस्वामी मूरत पिता गुलाब लोधी पता देवरी पथरिया	भूमिस्वामी	457/2	0.400	0.030
63	हल्कीबाई पति मोहन बाबू	भूमिस्वामी	457/3	0.600	0.040
64	मुकेश ब. दशरथ कुर्मी	भूमिस्वामी	457/4	0.770	0.040
			457/5	0.630	0.040
	योग-			1.400	0.080
65	हरप्रसाद पिता ज्ञाप्रसाद	भूमिस्वामी	458/2	0.200	0.044
66	शांतिकुमार विजयकुमार पि. दीपचंद	भूमिस्वामी	459	0.160	0.012
67	जानकीसींग बल्द बिन्दे लोधी	भूमिस्वामी	460/1	0.160	0.018
68	ओमकार प्रसाद पिता मोहनलाल	भूमिस्वामी	460/2	0.400	0.018
69	अजबसिंह पिता अर्जुन, पता सा.देह भूमिस्वामी तेजसींग, हरबलसींग, भगवानसींग, देवेन्द्रसींग पिस. थानसींग, कल्लोबाई, नन्हीबाई, रामसखी,सूरजबाई, पु. थानसींग, रामरानी बेवा थानसींग	भूमिस्वामी	461/1	0.750	0.040
70	हेमराज, चोखेलाल, मनीराम पिता भैयालाल	भूमिस्वामी	461/2	0.740	0.040
71	कैलाश पिता बलराम, सूर्यकांत, अभिषेक, अखिलेश पिता कैलाश, रमारानी पति कैलाश	भूमिस्वामी	440	2.890	0.156
72	संतोष कुमार पिता छोटेलाल	भूमिस्वामी	439	0.280	0.060
73	टीकाराम बल्द नन्नूराम	भूमिस्वामी	479	3.520	0.212

74	मयंक बल्द मदनगोपाल	भूमिस्वामी	362/3	0.530	0.046	
75	करिया बखत पिसरान पूरन	भूमिस्वामी	361/1	0.370	0.030	
	योग-			0.900	0.076	
76	तिजई पि.छैकोडी,धन्नी,खुमान पिता दिब्बी, पार्वती पिता बेवा दिब्बी	भूमिस्वामी	363	0.510	0.088	
77	प्रमोद, राजेश, भूपेन्द्र पिसरान कृष्णकुमार, अर्चना पु. कृष्णकुमार सुधारानी बेबा कृष्णकुमार	भूमिस्वामी	361/2	0.030	0.030	
78	महेन्द्रप्रसाद, राधेश्याम पिता मुन्नालाल	भूमिस्वामी	366	2.120	0.096	
79	जगमोहन पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	368	0.390	0.036	
			422	0.460	0.080	
	योग-			0.850	0.116	
80	हीरालाल पिता दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	421	0.290	0.014	
81	हेमराज चोखेलाल मनीराम पिता भैयाराम	भूमिस्वामी	423	0.530	0.106	
82	कमलाबाई पत्नि तखतसिंह	भूमिस्वामी	424	0.650	0.010	
83	कल्याणसीग वल्द दशरथसीग	भूमिस्वामी	425	1.270	0.052	
			418/1	0.900	0.030	
			418/2	0.180	0.030	
	योग-			2.350	0.112	
	कुलयोग:-		कुल83किता	77.870	5.796	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (स्वाठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 88-अ-82-2016-17-1179

मौजा देवरी पथरिया, पट. ह. नं. 106, तह. एवं जिला सागर.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग-जल संसाधन सभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण ग्राम- चौका (दमोह), पड़रिया, देवरी पथरिया, डॉंगीडहर, मगरौन, खैजरा उददेत एवं शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : **भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण**
- (2) भूमि का विवरण-
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम . : पड़रिया
 4. पट.ह.न. : 101
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.395 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

सं. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1.	भयलाल पिता बाबू लुडकाबाई वेवा बाबू	भूमिस्वामी	1526/1	1.650	0.256	
2.	सानू मोना पिता खुब्बा अमाल, रानी वेवा खुब्बा	भूमिस्वामी	1524/1	2.210	0.089	
3.	अमोल रानी वेवा खुब्बा	भूमिस्वामी	1524/2	0.400	0.102	
4.	कलू पिता खुब्बा	भूमिस्वामी	1524/3	0.600	0.04	
5.	अब्दुल पिता रल्ली	भूमिस्वामी	1518	1.000	0.249	
6.	लतीप पिता अकबर, कल्लाबाई उर्फ गुलाब रानी वेवा अकबर	भूमिस्वामी	1515/1	1.19	0.095	
			1514/1	0.15	0.02	
योग-				1.34	0.115	
7.	यहीद शहीद जलील, पिस हल्काई बड़ीबिन्ना, भइली बिन्ना, हल्की बिन्ना पु.हलकाई सावरा पति हल्काई	भूमिस्वामी	1515/2	1.30	0.09	
			1514/2	0.14	0.012	
योग-				1.44	0.102	
8.	चिन्नी दगम पति शखलाल	भूमिस्वामी	1512/2	0.17	0.041	
9.	शखलाल पिता प्रसाद	भूमिस्वामी	1511/1	0.57	0.080	

10.	चिन्नी बेगम पत्नि शेखलाल	भूमिस्वामी	1511/2	0.58	0.102
11.	नजीर गुड़ा बसीर, रहीम, वल्द पुट्टे खाँ, समीना, अमीना पुत्री पुट्टे खाँ	भूमिस्वामी	1511/4	0.58	0.137
12.	अनवर खाँ पिता परसादी	भूमिस्वामी	1511/5	0.58	0.038
13.	महेन्द्र, दयाराम पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1548	1.52	0.044
योग:-			कुल 13किता	12.64	1.395

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी, अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशानुसार कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 94-अ-82-2016-17-1180

मौजा खैजरा उददेत, पट. ह. नं. 105, तह. एवं जिला सागर.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण ग्राम- चौका (दमोह), पड़रिया, देवरी पथरिया, डोंगीडहर, मगरौन, खैजरा उददेत एवं शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

- (1) परियोजना का नाम : **भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण**
- (2) भूमि का विवरण-
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : खैजरा उददेत
 4. पट.ह.नं. : 105
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.762 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मदनगोपाल पिता वृदावन	भूमिस्वामी	14	1.01	0.206	
2	अशाक बाई जोर्जे शालिगराम ब्रह्म.	भूमिस्वामी	18	1.530	0.176	
			20	0.740	0.132	
	योग-			2.270	0.308	
3	श्याम पिता रामचरण	भूमिस्वामी	21	0.720	0.124	
4	जगदीश पिता छोटलाल	भूमिस्वामी	27	1.590	0.282	
			34	0.270	0.054	
	योग-			1.860	0.336	
5	सुरेश गुजारी सुकराम पिता प्यारेलाल, राम दुलैया देवा प्यारेलाल, ललता बाई देवा गरीदे	भूमिस्वामी	37	0.440	0.114	
6	श्री देव जानकी रमण जी मंदिर, मोहल्लामकर गिरजाबाई उर्फ रानी पुत्री स्व.सहोदाबाई सा देह प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर	भूमिस्वामी	47	0.180	0.093	
7	अरवीन्द्र, कुंजेश पिता गोपाल, श्रीबाई मा. सरदाबाई मा.पुत्री वृजगोपाल व खुद मां विमलाबाई देवा भूमिस्वामी वृजगोपाल पिता रामनारायण कलू ब. पूरनलाल सुनीता पु. पूरनलाल, प्रभारानी देवा पूरनलाल भूमिस्वामी अरवीन्द्र व वृजगोपाल नगाइय भूमिस्वामी कुंजेश ब.वृजगोपाल नगाइय	भूमिस्वामी	68	0.270	0.120	
8	टोकाराम, रामलखन रामबाबू, हकमरसिंग, बलराम पिता गुवदी, रामवतीबाई, मन्कोबाई पुत्री गुवदी	भूमिस्वामी	74	0.370	0.060	
			75	0.070	0.060	
	योग-			0.440	0.120	

9	सुखदेव पिता लल्लू उर्फ घनश्याम	भूमिस्वामी	73/1	0.200	0.032
			83/1	0.650	0.081
	योग-			0.850	0.113
10	कनई पिता लल्लू उर्फ घनश्याम	भूमिस्वामी	73/2	0.190	0.040
11	अरविन्द्र, बृजेश पिता गोपाल, श्रीबाई ना. शारदाबाई ना.पुत्री बृजगोपाल व खुद मा विमलाबाई बेबा भूमिस्वामी बृजगोपाल पिस. रामनारायण कलू व. पूरनलाल, सुनीता पु. पूरनलाल, प्रभारानी बेबा पूरनलाल भूमिस्वामी अरविन्द्र ब.बृजगोपाल नगाइच भूमिस्वामी बृजेश ब.बृजगोपाल नगाइच	भूमिस्वामी	143	1.130	0.066
12	परसोत्तम पिता रामरोवक	भूमिस्वामी	142	1.130	0.285
			144	0.570	0.072
	योग-			1.700	0.357
13	देवीसीग, घनश्याम पिता सूरत, चित्रकुमारी पुत्री सूरत, अच्छी बाई देवा सूरत	भूमिस्वामी	146/1	0.380	0.032
14	मलखान, ईश्वर, पिसरान चरण अनीता, शांति, बड़ीबिन्ना चिनपुट्टो पु.चरण,वारीबाई बेबा चरण	भूमिस्वामी	146/2	0.060	0.02
15	मलखान पिता चरण कुर्मी	भूमिस्वामी	146/3	0.150	0.02
16	राम रतन पिता नन्नाई	भूमिस्वामी	149	1.080	0.198
17	मलखान, ईश्वर, पिसरान चरण अनीता, शांति, बड़ीबिन्ना चिनपुट्टो पु.चरण,वारीबाई बेबा चरण	भूमिस्वामी	152	0.400	0.120
18	प्रसन्न कुमार पिता गुलाबचंद जैन	भूमिस्वामी	154	0.300	0.060
19	गुलाबचंद पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	158/1	0.430	0.040
			158/2	0.800	0.034
	योग-			1.230	0.074
20	आनंद कुमार, प्रसन्न कुमार पिता गुलाबचंद,	भूमिस्वामी	159/1	1.56	0.076
21	गुलाबचंद बल्द बाबूलाल	भूमिस्वामी	159/2	0.06	0.060
22	रेखा पति सुदर्शन	भूमिस्वामी	160	1.620	0.105
	कुलयोग -		कुल22 कित्ता	17.90	2.762

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (आठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

सागर, दिनांक 2 फरवरी 2018

प्र.क्र. 65-अ-82-2017-18-1290

मौजा परासरी खुर्द, पटवारी ह. नं. 10, तहसील राहतगढ़

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- (1) परियोजना का नाम :-
 (2) भूमि का विवरण :-
 1. जिला
 2. तहसील
 3. ग्राम
 4. पटवारी हल्का नं.
 5. अर्जित भूमि का हेक्टैयर

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध

सागर
 राहतगढ़
 परासरी खुर्द
 10 दरकोली
 152.650

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.	अर्जित भूमि (रकवा हे. में.)	भूमि का प्रकार
1	ऋषिराज बल्द सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	1.150	1.150	
2	अरविन्द राजेश गजराज पिता मुशीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/1	0.880	0.880	
		भूमि स्वामी	7	0.610	0.610	
		भूमि स्वामी	73	0.030	0.030	
3	रामवावू वल्द हरिशकर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/2	0.110	0.110	
		भूमि स्वामी	5	0.950	0.950	
		भूमि स्वामी	12	0.140	0.140	
		भूमि स्वामी	16/1	1.650	1.650	
		भूमि स्वामी	47	0.360	0.360	
		भूमि स्वामी	68	1.220	1.220	

4	मिहीलाल मुन्ना फूलसीग पिता आलमजयबाई, पुत्री आलम पता सा. गावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1	0.670	0.670	
5	अशोक वल्द रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/2	0.670	0.670	
		भूमि स्वामी	94/4	1.600	1.600	
		भूमि स्वामी	97/2	1.190	1.190	
		भूमि स्वामी	102/2	0.770	0.770	
6	राजेश वल्द जैसीग रामप्यारी मथुराबाई पुत्री जैसीग कुवरबाई बेवा जैसीग कसिया हल्कई नत्थूरामसीग रवीदास बल्द कलू प्रभा पुत्री कलू दसोदावेवा कलू पुतिया वेवा पंचा पता सा. गावरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/3	0.500	0.500	
7	सुमत्राबाई पुत्री रामसीग पता सा. ककरुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/1	0.760	0.760	
8	हरीशंकर पिता अयोध्याप्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/2	0.750	0.750	
		भूमि स्वामी	15/2	1.210	1.210	
		भूमि स्वामी	15/4	2.020	2.020	
		भूमि स्वामी	28/1	2.320	2.320	
		भूमि स्वामी	28/2	2.430	2.430	
		भूमि स्वामी	28/3	0.810	0.810	
		भूमि स्वामी	28/4	2.400	2.400	
		भूमि स्वामी	41	0.200	0.200	
9	श्यामबाबू बल्दहरिशंकर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	15/1	2.230	2.230	
		भूमि स्वामी	15/3	1.820	1.820	
		भूमि स्वामी	16/2	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	24	0.120	0.120	
		भूमि स्वामी	42	0.210	0.210	
10	कडोरी बल्द अमरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17	0.070	0.070	
		भूमि स्वामी	44	0.950	0.950	
		भूमि स्वामी	66	0.030	0.030	
11	प्रकाश पिता सूरतसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	0.940	0.940	
12	यंवरराज नरेन्द नाबा वल्द वली पि.प्रकाश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20	0.940	0.940	
		भूमि स्वामी	21	0.510	0.510	
		भूमि स्वामी	22	2.880	2.880	
		भूमि स्वामी	69/1	0.310	0.310	
		भूमि स्वामी	70/1	0.020	0.020	

13	हल्कई बल्द परम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25	0.020	0.020	
14	काशीराम वल्द श्यामा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/2	0.800	0.800	
15	धीरजसीग वल्द बालचंद पता सा. गवरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40	1.610	1.610	
			89	0.680	0.680	
16	रघुराज प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46	0.340	0.340	
		भूमि स्वामी	50/5	0.060	0.060	
		भूमि स्वामी	91/1	0.010	0.010	
17	रामप्यारी वेवा हरिराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	1.760	1.760	
18	लछमन पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	114/3	0.270	0.270	
19	मलखान पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/2	0.420	0.420	
20	ओमकार पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/3	0.420	0.420	
21	दलीप पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/4	0.420	0.420	
		भूमि स्वामी	91/2	0.010	0.010	
22	सेवक पिता हजारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	51	0.500	0.500	
		भूमि स्वामी	93/1	0.550	0.550	
		भूमि स्वामी	117	0.200	0.200	
23	भगवान सीग ना. बा. बल्दबली पृथ्वी राज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	52	0.520	0.520	
		भूमि स्वामी	53	0.510	0.510	
24	शोभाराम बल्द अमरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54/1	0.740	0.740	
		भूमि स्वामी	76	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	141	2.340	2.340	
		भूमि स्वामी	142/1	0.600	0.600	
		भूमि स्वामी	155	0.300	0.300	
25	अशोक महाराजसीग पन्ना लाल पिस. रामप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54/2	1.140	1.140	
26	थानसीग पिता कुद्दा पता सा. देह सेवा खातेदार	सेवा भूमि	58	1.290	1.290	
		सेवा भूमि	72	0.040	0.040	

27	ऋषिराज बल्द सुखलालरामप्रसाद बल्द मूलचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/1	0.430	0.430	
28	बद्रीप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/2	0.110	0.110	
		भूमि स्वामी	77	0.020	0.020	
		भूमि स्वामी	78	0.020	0.020	
		भूमि स्वामी	79	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	80	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	101/1	0.670	0.670	
		भूमि स्वामी	107/3 & 107/4	5.090	5.090	
29	पृथ्वीसिंह वल्द सूरतसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/2	0.160	0.160	
		भूमि स्वामी	70/3	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	75	0.840	0.840	
		भूमि स्वामी	84/2	0.020	0.020	
		भूमि स्वामी	108	0.520	0.520	
		भूमि स्वामी	109/2	0.970	0.970	
		भूमि स्वामी	136/2	2.700	2.700	
30	महादेव वल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	137/3	3.000	3.000	
		भूमि स्वामी	69/3	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	70/2	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	84/1	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	109/1	0.520	0.520	
		भूमि स्वामी	112	1.780	1.780	
		भूमि स्वामी	135	0.770	0.770	
31	कमलेश भगवानदास पिता बब्बू प्रेमरानी बेवा बब्बू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	136/1	2.710	2.710	
		भूमि स्वामी	81	0.090	0.090	
		भूमि स्वामी	82	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	83	0.070	0.070	
		भूमि स्वामी	86	0.040	0.040	
		भूमि स्वामी	87	1.090	1.090	
		भूमि स्वामी	116	0.160	0.160	
34	छोटेलाल शिवराज ना वा पिता सिरदार वली मा खुद फूलरानी पति शिवराज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	113	1.490	1.490	
35	पवन पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90	0.030	0.030	
		भूमि स्वामी	113	1.490	1.490	

36	मानसीग पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	91/3	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	114/1	0.420	0.420	
37	सूरतसीग पिता मूलचंद सा देह	भूमि स्वामी	92	0.180	0.180	
38	मुलामसीग पिता हजारीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93/2	1.600	1.600	
39	रामप्रसाद पिता मूलचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/1	0.370	0.370	
40	दीपेश अनिकेश वल्द पन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/2	2.000	2.000	
41	सदीप वल्द महाराज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/3	1.600	1.600	
42	भरत कुवरसीग पिता वद्रीप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/1	2.350	2.350	
		भूमि स्वामी	100/2	1.180	1.180	
		भूमि स्वामी	104	0.720	0.720	
43	रोहित वल्द विष्णुप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/2	2.350	2.350	
		भूमि स्वामी	138/2	0.500	0.500	
		भूमि स्वामी	139/1	0.330	0.330	
		भूमि स्वामी	139/2	1.220	1.220	
		भूमि स्वामी	139/4	0.070	0.070	
44	जाह्द अली पिता कुदरतअली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96/1	0.840	0.840	
		भूमि स्वामी	100/1	0.070	0.070	
		भूमि स्वामी	103	0.850	0.850	
45	पन्नालाल वल्द रामप्रसाद पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96/2	1.610	1.610	
		भूमि स्वामी	132	0.610	0.610	
		भूमि स्वामी	133	0.050	0.050	
		भूमि स्वामी	134/1	1.620	1.620	
		भूमि स्वामी	134/2	0.190	0.190	
46	महाराजसिंह वल्द रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	97/1	1.190	1.190	
		भूमि स्वामी	102/1	0.780	0.780	
		भूमि स्वामी	131/3	0.800	0.800	
		भूमि स्वामी	131/4	0.500	0.500	
		भूमि स्वामी	145/2	0.400	0.400	
47	नरसिंह वल्द महादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98	1.180	1.180	

48	राधाबाई बेवा अमरसींग मल्लीबाई पुत्री अमरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99	0.050	0.050	
49	विष्णुप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	106	0.220	0.220	
		भूमि स्वामी	107/1	2.020	2.020	
		भूमि स्वामी	107/2	3.080	3.080	
		भूमि स्वामी	110/1	0.290	0.290	
		भूमि स्वामी	110/2	0.290	0.290	
50	नव्वोबाई वेवा प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/2	0.810	0.810	
51	श्री महावीर स्वामी मौजादेह मु.खूवसींग प्रबंधक कलेक्टर महोदयसागर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118	2.520	2.520	
52	भगवानसींग वल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	120	0.060	0.060	
		भूमि स्वामी	121	0.090	0.090	
		भूमि स्वामी	122/1	0.140	0.140	
		भूमि स्वामी	125	0.600	0.600	
		भूमि स्वामी	137/1	1.210	1.210	
53	महेश बल्द हरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/2	0.300	0.300	
		भूमि स्वामी	123/1	0.300	0.300	
		भूमि स्वामी	123/2	0.300	0.300	
		भूमि स्वामी	137/2	1.210	1.210	
54	राकेश बल्द प्रेमसींग पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	126/1	2.000	2.000	
55	सूरजबाई पति प्रेमसींग पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	126/2	2.000	2.000	
56	प्रेमसींग बल्द तुलसीराम पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	126/3	0.810	0.810	
57	आमिरखान ना बा बल्द व वलि इस्माईल खान पता निवासी ककरूआ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	128/1	0.430	0.430	
		भूमि स्वामी	128/2	0.300	0.300	
58	छोटेखां पिता अमीर खां पता सा. ककरूवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	129	1.600	1.600	
59	हरीसींग पिता पूरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	130	1.350	1.350	
60	मथुरा प्रसाद बल्द हल्के पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	131/1	0.400	0.400	

61	लक्ष्मन बा. रगवर नेतराम नरेश नाबा. पिता शेवप्रसादसुदामाबाई सुहागबाई प्रीतिबाई नाबा पुत्रिया शेवप्रसाद वली व खुद माउषाबाई बेवा शेवप्रसाद पता सा. खेजरा माफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	131/2	0.710	0.710	
62	जीवन बल्द बाबूलाल पता सा. छीरखेडी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	134/3	1.620	1.620	
			134/4	0.850	0.850	
63	महराजसींग बल्द सुन्दरलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	138/1	2.000	2.000	
64	खूवसींग पिता शोभाराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	139/3	0.820	0.820	
		भूमि स्वामी	151/1	0.810	0.810	
65	रमकेश बल्द शोभाराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	140	0.100	0.100	
		भूमि स्वामी	151/2	1.210	1.210	
66	पूनाबाई पुत्री भगोनी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	142/2	1.470	1.470	
67	रामवती पिता भगोनी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	142/3	1.470	1.470	
68	दुर्गा अनंदा पिस.छुट्टी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	143	1.200	1.200	
69	हरीचरन पिता खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	144/1	0.820	0.820	
70	रामशकर वल्द हरिचरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	144/2	1.800	1.800	
71	दामोदर वीरसींगपिस अजुद्दी दिनेश गोलू नाबा वल्द कम्मोद शारदाबाई आरतीबाई देवाबाई नाबा वल्द कम्मोद वली मा प्रेमरानी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	145/1	0.800	0.800	
72	जमना वल्द भगोनी विधाबाई पति जमना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	146/2	0.800	0.800	
73	उधम बल्द बाबूलाल सन्तोष रानी पति उधम पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	146/3	0.800	0.800	
74	आजादरानी पत्नी प्रकाशसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/1	0.180	0.180	
		भूमि स्वामी	147/3	1.140	1.140	
75	रमेश कुमार पिता बाबूलाल पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/2	2.020	2.020	
76	युवराज ना.वा.बल्द वलीप्रकाशसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/4	1.620	1.620	

77	गोविन्द वल्द गौरी पता सा. भबूकावारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150	0.550	0.550	
78	नर्मदा प्रसाद पिता शोभाराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	151/3	1.210	1.210	
79	हैदर अली वल्द हसन अली पता सा. ककरूवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/1	1.950	1.950	
			153	0.030	0.030	
			156/1	0.110	0.110	
80	सयैद अशद अली ना वा सैयद हसन वली श्रीमति बेवी पति सयैद हसन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/2	1.980	1.980	
			156/2	0.100	0.100	
		कुल किता	179	152.650	152.650	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला-सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला-सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग-राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 66-अ-82-2017-18-1291

मौजा गावरी, पट. ह. नं. 10, तहसील राहतगढ़

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| (1) | परियोजना का नाम :- | बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध |
| (2) | भूमि का विवरण :- | |
| | 1. जिला | सागर |
| | 2. तहसील | राहतगढ़ |
| | 3. ग्राम | गावरी |
| | 4. पटवारी हल्का नं. | 10 दरकोली |
| | 5. अर्जित भूमि का हेक्टैयर | 136.860 |

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.	अर्जित भूमि (रकवा हे. में.)	भूमि का प्रकार
1	थोवन बल्द पंचा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	0.840	0.840	
		भूमि स्वामी	56/2	0.060	0.060	
		भूमि स्वामी	85	0.800	0.800	
		भूमि स्वामी	109/2	0.790	0.790	
2	फुस्सा बल्द धुन्धा मुन्नाखेतसींग जयराम रामदास पिस.धरमा मझलीबहू बेवाधरमा भूमि स्वामी ललता शकुन कुसम पुत्रियांधर्मा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/1	0.270	0.270	
		भूमि स्वामी	10/1	1.140	1.140	
3	गुवरा बल्द धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/2	0.130	0.130	
		भूमि स्वामी	10/2	0.570	0.570	
		भूमि स्वामी	10/3	0.570	0.570	
		भूमि स्वामी	10/4	0.570	0.570	

4	खेमाबाई पुत्री धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/3	0.130	0.130	
5	मनवीबाई पुत्री धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/4	0.130	0.130	
6	काशीबाई पुत्री धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/5	0.140	0.140	
		भूमि स्वामी	10/5	0.560	0.560	
7	मथराबाई बेवा बसंता पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/1	0.130	0.130	
		भूमि स्वामी	4/2	0.130	0.130	
		भूमि स्वामी	4/3	0.140	0.140	
8	दामोदर पिता बसंता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/1	0.900	0.900	
9	नंदराम पिता बसंता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/2	0.900	0.900	
10	प्रेमसींग पिता सूरजसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/3	0.900	0.900	
11	धनराजबल्द पल्टू पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1	0.420	0.420	
		भूमि स्वामी	8/1	0.190	0.190	
12	मु.असद वल्द अब्दुल गफफार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/2	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	8/2	0.200	0.200	
13	मुहम्मद असद वल्द अब्दुल गफफार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/1	0.610	0.610	
14	रंधीर बल्द गुवरा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/2	0.800	0.800	
15	बसीर खां बल्द ईसुक खां पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	0.180	0.180	
16	राहुल ना.वा.बल्द ब्रजबिहारी पा.मां रुकमणी बाई पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/1	3.640	3.640	
17	रुकमणी बेवा ब्रजबिहारी राहुल नावा वल्द ब्रजबिहारी सीमा आभा वा. पूजा नावा बल्द ब्रजबिहारी वली मां रुकमणी पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/2	3.640	3.640	

18	सियाबाई बेवा मुलू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	1.460	1.460	
		भूमि स्वामी	119	0.400	0.400	
19	राजेश पिता जैसीग कुवरबाई बेवा जैसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	1.110	1.110	
20	कृपाराम बल्द बसंता पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	0.900	0.900	
		भूमि स्वामी	34/1	0.040	0.040	
21	मुखलील बल्द पीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/1	0.420	0.420	
		भूमि स्वामी	18	1.430	1.430	
22	सहोद्राबाई जोजे वसंत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2	0.400	0.400	
23	वसंत बल्द परम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	0.350	0.350	
24	बाबूलाल पिता बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/1	0.970	0.970	
		भूमि स्वामी	26	0.370	0.370	
25	धीरजसींग पिता बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/2	0.580	0.580	
26	मोहन पिता बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/3	1.000	1.000	
27	रामबाबू बल्दहरिशंकर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/1	4.320	4.320	
		भूमि स्वामी	22/1	0.350	0.350	
		भूमि स्वामी	22/3	0.800	0.800	
		भूमि स्वामी	77	2.160	2.160	
28	सुधाबाई जोजे हरिशंकर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/2	1.050	1.050	
		भूमि स्वामी	22/5	0.350	0.350	
		भूमि स्वामी	22/6	0.350	0.350	
		भूमि स्वामी	22/7	0.340	0.340	
		भूमि स्वामी	30/1	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	30/3	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	30/4	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	30/5	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	30/6	0.140	0.140	
		भूमि स्वामी	39	0.120	0.120	

29	अमीन पिता पीरमुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/3	0.410	0.410	
		भूमि स्वामी	22/2	1.010	1.010	
30	इसरार बल्द पीर मुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/4	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	22/4	1.010	1.010	
31	हरिशंकर बल्द अयोध्याप्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/1	1.010	1.010	
		भूमि स्वामी	73/1	0.450	0.450	
		भूमि स्वामी	73/2	0.450	0.450	
32	परमलाल बल्द परताप पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/2	0.950	0.950	
33	हनीफा बी पत्नि अब्दुल वहीद मु. तकी वल्द अब्दुल वहीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24	0.460	0.460	
		भूमि स्वामी	25/2	0.930	0.930	
		भूमि स्वामी	27/2	0.130	0.130	
		भूमि स्वामी	29/4	0.080	0.080	
34	शिवराज कीरत लक्ष्मन रूपवती राधाबाई पिता बृजलाल कुसमरानी बेवा बृजलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/1	1.720	1.720	
		भूमि स्वामी	26/131/2	0.100	0.100	
		भूमि स्वामी	29/2	0.100	0.100	
35	रफीक वल्द अब्दुल वहीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29/3	0.020	0.020	
36	विष्णु प्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. परासरी खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30/2	2.230	2.230	
37	घासीराम बल्द गिरधारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33	0.110	0.110	
		भूमि स्वामी	64/1, 64/4	0.570	0.570	
38	मानकलाल वल्द बसंत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34/2	0.040	0.040	
		भूमि स्वामी	97	0.410	0.410	
		भूमि स्वामी	98/3	1.060	1.060	
		भूमि स्वामी	111	0.460	0.460	
39	लीलाधर वल्द बसंत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34/3	0.050	0.050	
		भूमि स्वामी	98/1	1.060	1.060	

40	भगवानसिंह वल्द बसंत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34/4	0.060	0.060	
		भूमि स्वामी	98/2	1.060	1.060	
41	शिबू ना.वा.बल्द प्रेमसींग वली मां व खुद शंकरिया बेवा प्रेमसींगमहताब बल्द प्रेमसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35	0.040	0.040	
42	गोविन्द वल्द प्रहलादसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/1	0.540	0.540	
		भूमि स्वामी	67/1	0.810	0.810	
		भूमि स्वामी	76/1	1.200	1.200	
43	सेवक बल्द हजारीलाल पता सा.परासरी खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/2	0.200	0.200	
44	जसवत वल्द प्रहलाद सींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41	0.270	0.270	
		भूमि स्वामी	67/2	0.800	0.800	
		भूमि स्वामी	76/2	1.200	1.200	
45	जालम वल्द प्यारेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी .	भूमि स्वामी	42/1	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	87	1.210	1.210	
		भूमि स्वामी	90/1	1.770	1.770	
		भूमि स्वामी	95/2	1.600	1.600	
46	टुन्डीलाल वल्द प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/2	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	89	0.410	0.410	
		भूमि स्वामी	90/2	0.540	0.540	
		भूमि स्वामी	95/3	3.640	3.640	
47	निर्भय सींग वल्द प्रहलादसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54	0.340	0.340	
		भूमि स्वामी	76/3	1.570	1.570	
		भूमि स्वामी	125/1	0.830	0.830	
48	हल्का बल्द पूरन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55	0.050	0.050	
		भूमि स्वामी	57	0.100	0.100	
49	परसू वल्द पम्मा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56/1	0.060	0.060	
		भूमि स्वामी	109/1	0.780	0.780	
50	दिलीप वल्द मथूरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56/3	0.050	0.050	
		भूमि स्वामी	109/3	0.790	0.790	

51	मिहीलाल मुन्ना फूलसींगपिस.आलम जैबाई पुत्री आलम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी,	58/1	0.190	0.190	
		भूमि स्वामी	64/3, 64/6	0.500	0.500	
52	राजेश पिता जैसींग रामप्यारी मथुराबाई पुत्री जैसींग कुवरबाई बेवा जौसींग कसिया हल्कई नत्थूपिस.रामसींग रवीदास बल्द कलू प्रभा पुत्री कलूशांती बेवा कलू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/2	0.180	0.180	
		भूमि स्वामी	64/2	0.500	0.500	
53	धीरजसींग वल्द बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63	0.390	0.390	
54	मनोज धर्मन्द्र पिता दिनेश आशारानी बेबा दिनेश पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74	2.830	2.830	
55	सुहागरानी बेवा मन्नुलाल नर्मदा प्रसाद बाबूलाल राजू खेतसींग पि. मन्नुलाल कृष्णाबाई विमलाबाई क्रांतिबाई रेखाबाई पुत्रिया मन्नुलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78	1.620	1.620	
56	नेहा रजनी ना वा पुत्री मुन्ना वली व खुद कन्छेदी वलराम पिता लालचंद मालतीबाई पुत्री बालचंद मीराबाई विद्याबाई कुसुमबाई विनोदबाई पुत्री लालचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	79	1.610	1.610	
57	कोमलबाई जोजे खेमलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80	1.370	1.370	
58	तुलसीराम बल्द मिहीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/1	1.010	1.010	
		भूमि स्वामी	120/1	0.210	0.210	
59	हल्कीबाई बेवा मिहीलालतुलसीराम बल्द मिहीलाल सुंदरीबाई रतीबाई पुत्रियां भूमि स्वामी मिहीलाल हीराबाई बेवाउत्तम विनीता सुंदरी ना. वा.पुत्रियां उत्तम वली इन्द्राज बृजेश ना.वा.पिस.उत्तम पा.मां हीराबाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/2	1.340	1.340	
60	हीराबाई बेवा उत्तम विनीतासुंदरी ना.वा.पुत्रियां उत्तम ब्रजेश इन्द्राज ना.वा.पुत्र उत्तम पा.मां हीराबाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/3	1.010	1.010	
		भूमि स्वामी	120/2	0.210	0.210	
61	कबीर वल्द पीरमुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82/1	1.340	1.340	

62	समीम वल्द पीर मोहम्मद पता सा.राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82/2	1.350	1.350	
63	प्यारेलाल बल्द सुखलाल रामचरण प्रताप पिस. फदाली नीमाबाई वेबा फदाली पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	83	0.250	0.250	
		भूमि स्वामी	88	0.250	0.250	
64	भारतसिंह वल्द रामचरण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84/1	0.310	0.310	
		भूमि स्वामी	93/1	0.460	0.460	
		भूमि स्वामी	129/1	0.180	0.180	
65	प्रमोद बल्द प्रताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84/2	0.620	0.620	
		भूमि स्वामी	93/2	0.520	0.520	
66	रामप्रसाद वल्द रामचरण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84/3	0.310	0.310	
		भूमि स्वामी	93/4	0.470	0.470	
		भूमि स्वामी	129/3	0.180	0.180	
67	मुह. सलीम पिता इश्हाक पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86	0.800	0.800	
68	फकीर मुहम्मद बल्द चिरागअली पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/1	0.860	0.860	
		भूमि स्वामी	124	0.540	0.540	
69	कुरेशानी पति फकीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/2	3.200	3.200	
		भूमि स्वामी	94	0.460	0.460	
70	रुस्तम बल्द फकीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/3	1.520	1.520	
71	रहीशाबी पत्नि अब्दुल गफार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93/3	1.210	1.210	
72	प्रतापसींग बल्द फदाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93/5	1.210	1.210	
73	चैनसींग बल्द प्रताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93/6	0.400	0.400	
74	प्यारेलाल वल्द सुखलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/1	1.600	1.600	
75	रूपसींग देवीसींग पिस.दौलतसींग पता सा. खैजरामापी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96	0.080	0.080	
76	साजिद वल्द वाजिद पता सा.राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/1	0.500	0.500	

77	इसरार वल्दयुसुफ खान पता सा. राहत गढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/2	1.200	1.200	
78	मु.युसुफ वल्द नजर मोहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/3	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	101/1	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	101/2	0.400	0.400	
79	मुह.हमीद मुह.जहीद मुह.शिराज मुह.हबीब पिता हाजी मुहम्मद युसूफ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/3	0.550	0.550	
80	भूरेखा अब्दुल राजिकअब्दुल वाजित मुहम्मद अप्सर मुहम्मद मुस्तकीन भूमि स्वामी मुह.वाहिद पिस.हल्कईशकीलाली बेवा हल्कई सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102	0.500	0.500	
		भूमि स्वामी	104	1.600	1.600	
81	अब्दुल गफ्फार बल्दअब्दुल गफूर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103	1.300	1.300	
		भूमि स्वामी	122/6	0.900	0.900	
		भूमि स्वामी	125/6	1.210	1.210	
82	बाबूलाल वल्द मन्नूलाल पता सा. देह सेवा खातेदार	सेवा भूमि	114	4.270	4.270	
83	अनवार पिता जहूर उल हक पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115	0.470	0.470	
		भूमि स्वामी	116	0.790	0.790	
		भूमि स्वामी	122/2	0.470	0.470	
		भूमि स्वामी	128	0.810	0.810	
84	अब्दुल सलाम बल्द अब्दुलरसीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	117	0.850	0.850	
85	वसीम पिता अब्दुल रसीद पता निवासी ग्राम राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118	0.210	0.210	
		भूमि स्वामी	121	0.220	0.220	
86	हरप्रसाद बल्द रामप्रसाद पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/1	1.610	1.610	
87	तुलाराम बल्द हल्का पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/3	0.800	0.800	
88	धनाबाई बेवा हल्कई सुनील महेन्द्र वल्द हल्कई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/4	0.800	0.800	
89	हरिशंकर वा.उमाशंकर ना.वा.पिस.कैलाश पा.व खुद मां राधाबाई बेवा कैलाश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/5	0.800	0.800	
90	डेलनसींग बल्द घन्सू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/7	1.010	1.010	
91	द्रोपतीबाई बेवा सुखलाल पता सा.परासरीखुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125/2/1	1.020	1.020	

92	रोहित पिता ऋषिराज पता निवासी परासरी खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125/2/2	1.000	1.000	
		भूमि स्वामी	125/3/2	1.000	1.000	
93	ऋषिराज बल्द सुखलाल पता सा. परासरी खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125/3/1	1.020	1.020	
94	मु.सगीर बल्द पीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125/4	1.620	1.620	
95	मु.आजम बल्दअब्दुल गफ्फार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125/5	0.800	0.800	
		भूमि स्वामी	125/7	0.800	0.800	
96	चंपाबाई बेवा बाबूलाल भगवानदास बलराम मुन्ना पिस. बाबूलाल नत्थीबाई पुत्रीबाबूलाल पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	127	1.030	1.030	
97	अब्दुल हबीब वल्द अब्दुल रसीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	129/2	0.360	0.360	
		कुल कित्ता	180	136.860	136.860	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला-सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला-सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा दिनांक 30 जनवरी 2018

रा. प्र. क्रमांक 02-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन,

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जनवरी 2018

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत पिपरियागुमानी जलाशय के स्पील चैनल निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पिपरियागुमानी जलाशय के स्पील चैनल निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम— पिपरियागुमानी प0ह0न0-41 ब0न0-168 रा0नि0म0-सिंगोडी	कोमल पिता बालचंद कतिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	222/3	0.135	पिपरियागुमानी जलाशय के स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.135 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्रमांक 05-अ-82-2016-2017

उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार तीसरी रेलवे लाइन तीगांव-चींचोड़ा घाट (16.53 किमी०) निर्माण के लिये ग्राम-चिकनी, प०ह०न०-17, ब०न०-125, रा०नि०म०-पाण्डुर्णा, तहसील-पाण्डुर्णा, रकबा-0.379 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ क्रमांक 4754 में दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत अधिनियम की धारा-19 (2) की घोषणा के अनुसार बारह मास की अवधि के भीतर परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के अभाव में अधिनिर्णय नहीं दिया जा सका है।

उपरोक्त के दृष्टिगत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी तीन माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है, बशर्ते कि, उक्त तीन माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय किया जाना अनिवार्य होगा।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

रा. प्र. क्रमांक 06-अ-82-2016-2017

उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार तीसरी रेलवे लाइन तीगांव-चींचोड़ा घाट (16.53 किमी०) निर्माण के लिये ग्राम-तीगांव, प०ह०न०-17, ब.न.-177, रा.नि.मं.-पाण्डुर्णा, तहसील-पाण्डुर्णा, रकबा-0.517 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ क्रमांक 4753 से 4754 में दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत अधिनियम की धारा-19 (2) की घोषणा के अनुसार बारह मास की अवधि के भीतर परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के अभाव में अधिनिर्णय नहीं दिया जा सका है।

उपरोक्त के दृष्टिगत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी तीन माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है, बशर्ते कि, उक्त तीन माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय किया जाना अनिवार्य होगा।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

क्रमांक 1163-भू-अर्जन-2018

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जनवरी 2018

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:--

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	जुन्नारदेव
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-आकिया, ब.नं-11, प.ह.नं.-13, रा.नि.म.-नवेगाँव
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	04.213 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	15/1	0.380
2	22/4	0.726
3	27/5	0.150
4	88	0.414
5	90/6	0.048
6	91/1	0.451
7	90/4	0.516
8	90/2	0.327
9	91/4	0.182
10	93/1	0.149
11	92	0.534

12	93/3	0.138
13	93/2	0.198
	योग :-	04.213 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :-**खापरकला जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।**
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 16अ-82-16-17-1086

बैतूल, दिनांक 2 फरवरी 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	घोड़ाडोंगरी	धाड़गांव	3.907	बरेठा-घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु ।

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	176 / 1	0.670	0.041	सोमता बेवा हुल्कर, सतीष, संजय, अक्षय व0 हुल्कर, तारा, सरस्वती, रामकली पिता हुल्कर, शंकर, किसन, भगवानदास, सीताराम व0 प्यारेलाल, बतिया बेवा प्यारेलाल जाति गोंड सा0 देह
2	212 / 1	0.684	0.041	बीसू व0 जबरसिंग, मिन्दो पुत्री जबरसिंग, दीनू व0 सुमरसिंग जाति गोंड सा0 देह
3	227 / 2	0.510	0.137	मुकेशसिंग व0 उमेशसिंग जाति राजपूत सा0घोड़ाडोंगरी
4	238	0.567	0.162	भगवतीचरण व0 हज्जू जाति कतिया सा0 देह
5	240	1.655	0.121	ओझा, कुमानसिंग व0 फागू जाति गोंड सा0 देह
6	229 / 3	1.503	0.480	हीरालाल व0 हज्जू जाति कतिया सा0 देह
7	230 / 1	0.446	0.242	जुगलकिशोर व0 चिराजीलाल अग्रवाल सा0 घोड़ाडोंगरी
8	244 / 1	0.942	0.068	कैलाश व0 बुद्धू जाति गोंड सा0 देह
9	244 / 3	0.944	0.068	गुलाब व0 बुद्धू जाति गोंड सा0 देह
10	244 / 4	0.945	0.068	गोपाल व0 बुद्धू जाति गोंड सा0 देह
11	257 / 1	0.500	0.500	सुगरती पुत्री सम्मू जाति गोंड सा0 देह
12	330 / 1	0.785	0.284	कल्लौ जौजे सुन्दर जाति कतिया सा0 देह
13	229 / 1	0.935	0.050	भगवतीचरण व0 हज्जू जाति कतिया सा0 देह
14	333	1.765	0.065	बेनी व0 गरभसिंग, विपत, लिक्खू व0 जुंगी, मुन्नीलाल, छोटू व0 जुंगी, रधिया बेवा जुंगी, बनवारी, रजनी ना बा व0 सुरेश वली आजी मां शाति, शाति बेवा गोरे जाति गोंड सा रातामाटी ।
15	335 / 1	0.520	0.520	जानकी बेवा चिक्कू, फकीरचंद व0 चिक्कू, रामकली पुत्री मंदरू, रामवती बेवा रामसा, रामेश्वर, रामदास व0 रामसा, जसोदा पुत्री रामसा जाति गोंड सा देह
16	337	1.335	0.200	सदल व0 बिरसा, सुन्दरी, सुन्दो, सम्मो पुत्री बिरसा, दसमा पुत्री शोभा, दिनेश ना बा व0 मदरसा, वलीभाई मनोहर, व0 तुलसी नन्दिया बेवा भंगी, ब्रजलाल व0 भंगी, रामसिंग, मुंशी व0 सुखलाल, धरमवती व0 तुलसी, मनोहर, राजू व0 तुलसी मीरा पुत्री तुलसी जाति गोंड सा0 देह

17	338	1.647	0.287	सुशीला पति गिरधारी जाति गोंड सा0 देह
18	339	0.700	0.040	दसन व0 बुद्धो जाति ठाटिया सा0 देह
19	353	1.485	0.200	झाड़ू मांडू व0 पन्नी जाति परधान सा0 रातामाटी
20	354	1.052	0.212	बिसराम, बिसन, किसन, पांडू व0 सुक्की, श्यामवती पिता सुक्की, संतरी बेवा रतन, गिरधारी, सरदार, दरबारी व0 रतन, सुशीला, सविता, पिता रतन, बातू व. मंगू इनको पिता मंगू बुद्धो पिता फुन्दन, जगन, मदन, चंदन, चदरजा, व0 तातू, मांजू व0 चंदरू, भागा, जबरसिंग व0 जौन्दे, कमल, कुमाल, अम्भर व. किशोरी, मालती पिता किशोरी, रामप्यारी बेवा किशोरी, श्यामजी व0 रंजू, रामचरण, सोमता, सेन्तू ना बा व रंजू वली भाई श्यामजी, कलेशिया पिता रंजू शिवराम, इंदर, जीवन, प्रताव व0 देलू, कमला पिता देजू जाति गोंड सा0 देह
21	241 / 1	0.289	0.050	चन्द्रकला पिता चतरू जाति गोंड सा0 देह
	241 / 2	0.290	0.071	
योग			3.907	

(2) चूंकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का पूरक अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 05 अ-82-16-17-1404

बैतूल दिनांक 8 फरवरी 2018

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल(हे0मे)	
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	चिचोली	बलहई माल	21.634	बलाईमाल जलाशय

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	बाबू वल्द बंदगी गौली सा.देह भूमिस्वामी	96/1	0.63	0.63
		88/1	0.143	0.143
2	राधे वल्द बंदगी गौली सा.देह भूमिस्वामी	96/2	0.629	0.629
		88/2	0.144	0.144
3	शिवदीन व०. ढीमरा सा.देह भूमिस्वामी	99/1	1.667	0.61
		92/2	0.582	0.582
		86/1	0.678	0.678
		86/2	0.678	0.678
		62	1.315	0.35
4	शिवदीन व० ढीमरा, गुलाब वल्द ओझा सा. देह भूमिस्वामी	60/2	1.258	0.28
5	गुलाब, मिलाप जिल्लू व० ओझा गोंड सा.देह भूमिस्वामी	99/2	1.668	0.400
		40/2	0.888	0.200
6	उमराव व० बिसराम गोंड सा.देह भूमिस्वामी	98/1	0.836	0.475
		39/2	0.501	0.180
		36/2	0.231	0.040
7	बसंती पुत्री बिहारी गोंड सा.देह भूमिस्वामी	98/2	0.836	0.475
		39/1	0.502	0.090
		36/1	0.231	0.102
8	सोनू व० झबली गोंड सा.देह भूमिस्वामी	89	2.250	2.250
9	बिसन व० चुडी देह भूमिस्वामी	92/1	0.592	0.592
		86/3	0.874	0.874
10	रमेश व० जुगराम सा.देह भूमिस्वामी	92/3	0.639	0.639
11	भैयालाल व० कालू गोंड सा.देह भूमिस्वामी	92/4	0.505	0.505
12	सतु कमल व. माना गोरे बिहारी व. भादू सिबू सम्मल व जुगगी रुनिया पिता जुगगी चिवकू सुन्दिया छमिया व. छननू ओझी चैतराम व. मुंशी संतरा बता पिता मुंशी अमोलीबे मुंशी जामि गोंड पता निवासी ग्राम सा.देह भूमिस्वामी	87	1.189	1.189
13	मिलाप व. ओझा गोंड सा.देह भूमिस्वामी	86/4	0.485	0.485
14	गीता जौ प्रकाश दिपीका जौजे राजेश गाडरी सा.देह भूमिस्वामी	85/1	0.603	0.603
15	रामदयाल, इमरत, सुमरत, गिरधारी, व. प्यारे गौली सा.देह भूमिस्वामी	85/2	0.603	0.603
		107	1.200	0.300
16	कैलाश व. छोटेलाल गौली सा.देह भूमिस्वामी	84/1	0.296	0.296
		108/5	0.274	0.100
17	दिनेश व. छोटेलाल गौली सा.देह भूमिस्वामी	84/2	0.296	0.296
		110/2	0.162	0.162
		108/4	0.274	0.100
18	अर्जुन व. छोटेलाल गौली सा.देह भूमिस्वामी	84/3	0.296	0.296
		108/3	0.275	0.100
19	फूलचंद व. छोटेलाल सा.देह भूमिस्वामी	84/4	0.297	0.297
		110/1	0.162	0.162
		108/6	0.274	0.100
20	नत्थूलाल, सम्भू अजय व० खुडडी, सखवंती श्यामकला, लक्ष्मी, प्रमिला पुत्री खुडडी सा समेदी बेवा परसू सुखदेव सहदेव महादेव जयदेव व० परसू रोशनी पुत्री परसू जाति गोंड सा० किल्लोद	83/1	0.838	0.480

21	जुगराम व कल्याण गोंड सा.देह भूमिस्वामी	79	0.384	0.060
		83/2	0.424	0.424
22	सोमजी व सुक्कन गोंड सा.देह भूमिस्वामी	83/3	0.988	0.050
23	फूलिया बाई पति टूट्टी गुड्डू पिता दिवसा गोंड सा.देह भूमिस्वामी	111	2.411	1.760
24	भैयालाल व. बिरजा गौली सा.देह भूमिस्वामी	80/1(1)	0.271	0.120
25	कन्हैया व. बिरजा गौली सा.देह भूमिस्वामी	80/1(2)	0.252	0.120
26	रामकरण व. बिरजा गौली सा.देह भूमिस्वामी	80/1(3)	0.252	0.120
27	बलिया बेवा रतन गौली सा.देह भूमिस्वामी	80/2(1)	0.910	0.160
28	मिश्री व० बिहारी गौली सा.देह भूमिस्वामी.	80/2(2)	0.447	0.100
		78	0.162	0.040
29	शिखर, सम्मल व. जुगगी रूनिया पिता जुगगी चिवकू सुधिया दसिया व. ठनु गुलाब मिलाप व. जिल्लू ओझा जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	75	1.015	0.360
30	रोहनी बेवा . शिवराम,बंसीराम व० शिवराम गंगासिंह राजू राजेश अखलेख ना बा व० शिवराम मुनिया ना बा व० शिवराम वली मां रोहनी बेवा शिवराम जाति गोंड सा० देह	61/2	0.809	0.160
31	खुड्डकी व. झलकू चिरोजी व. बाबू मूसरू व. धना सुदिया नंदिया पिता धना बिसना व. रेतु सुका तुला व. मलकू सा. दे भूमिस्वामी	61/1	0.810	0.180
32	सुदिया बे. श्यामलाल भूतूलाल झबू व. श्यामलाल फुल्लों पुत्री श्यामलाल सा. देह भूमिस्वामी	35/2	0.199	0.070
33	नन्दू व. सम्मल रामदयाल मन्नु जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	4/2	1.500	0.160
34	कालू व० रामसु गोंड सा.देह भूमिस्वामी	4/4	0.750	0.180
35	रामदयाल व० प्यारे जाति गौली सा.देह भूमिस्वामी	2	1.169	0.240
36	लक्ष्मण व० जुगगी जाति गोंड सा० देह	113	0.514	0.215
योग:-		-	34.449	21.634

(2) चूंकि बलाईमाल जलाशय निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 3 फरवरी 2018

प्रकरण क्रमांक 08-अ-82-2017-18-क्रमांक 363-भू-अर्जन-2017-18

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माण्डवी तालाब, तहसील जावरा जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाता धारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाश दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम माण्डवी, पटवारी हल्का नम्बर 12

क्रं.	कृषक का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	भेरूलाल पिता धारासिंह, सोमाबाई, विनिता पिता रुगनाथ व नंदीबाई बेवा रुगनाथ, जाति डांगी	111/1	0.640	—	0.640	कच्चा कुआ
2	रुघनाथसिंह पिता माधोसिंह, जाति राजपुत	114/1 119/1	1.130 0.470	—	1.130 0.470	1 पक्का कुआ, 4 बास के गोड़, 1 आम, 1 नीम, 6 बांस पौधे, 125 संतरा पौधे, 500 फीट पाईप लाईन
3	बापुसिंह पिता माधोसिंह, जाति राजपुत	114/2 119/2	2.110 0.480	—	2.110 0.480	125 पौधे संतरे, कच्चा मकान, 500 फीट पाईप लाईन
4	नरायणसिंह, हट्टेसिंह, कमलसिंह पिता लालसिंह, जाति राजपुत	114/3/2 119/3	0.660 0.470	—	0.660 0.470	3 पेड़ नीम, 1 बबूल पेड़, यूकेलिप्टीस 4
5	गेंदकुंवर बेवा लालसिंह, जाति राजपुत	114/3/1	0.740	—	0.740	—
6	अमरसिंह पिता बगदीराम, जाति डांगी	120	0.750	—	0.750	1 सेमल पेड़
7	भागीरथ पिता भुवान, जाति डांगी	123, 1161, 1162	0.080 0.100 —	— — 0.960	0.080 0.100 0.960	1 आम पेड़, यूकेलिप्टीस पौधे 10, अड़वा पेड़ 1, बबूल 1
8	रामेश्वर पिता अमृतराम, जाति कुम्हार	1160/3	0.070	—	0.070	2 नीम पेड़, 1 खेजड़ा, 1 सूरजना पेड़
9	गणेशराम पिता भुवान, जाति डांगी	121	—	0.470	0.470	—
10	कालुसिंह पिता रुघनाथ, जाति राजपुत	118	0.470	—	0.470	—
11	कोशलदास, कोशलयाबाई पिता रामदास, जाति बैरागी	1164	—	0.210	0.210	1 बरगद पेड़
योग कुल कित्ता - 11		11	8.170	1.640	9.81	

तन्वी सुंदरियाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 29 जनवरी 2018

प्र. क्र. 515-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील घंसौर रा.नि.म.- कहानी.	मेहता ब.न. 621 प.ह.नं. 28	0.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रं-1 सिवनी, जिला सिवनी.	सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लॉट) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 516-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील घंसौर रा.नि.म.- घंसौर.	तिनसरा ब.न. 301 प.ह.नं. 38	31.53	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रं-1 सिवनी, जिला सिवनी.	सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लॉट) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 517-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील घंसौर रा.नि.म.- कहानी.	सरोरा ब.न. 683 प.ह.नं. 27	2.74	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रं-1 सिवनी, जिला सिवनी.	सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निमार्ण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लाट) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 518-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील घंसौर रा.नि.म.- कहानी.	लिमतरा ब.न. 668 प.ह.नं. 27	28.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रं-1 सिवनी, जिला सिवनी.	सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निमार्ण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लाट) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 519-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील लखनादौन रा.नि.म.- लखनादौन	मलखेडा ब.न. 549 प.ह.नं. 89	36.57	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्र-1 सिवनी, जिला सिवनी.	मुंडा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निमार्ण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लाट) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 8 फरवरी 2018

प्र. क्र. 030-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	रानीपुर	निजी भूमि रकबा 8.713 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 8.625 है. कुल रकबा 17.338 है.	उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खुजराहो (541 किमी.) नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 31-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती

है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	जनकपुर	निजी भूमि रकबा 15.483 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.360 है. <u>कुल रकबा 20.843 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खुजराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 12 फरवरी 2018

प्र. क्र. 32-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	सरकोहा	निजी भूमि रकबा 4.450 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 6.650 है. <u>कुल रकबा 11.100 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खुजराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्र. 1675-भू-अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-खकराचौरई, प.ह.नं. 34, ब.न.-94, रा.नि.मं.-सिंगोड़ी.	रकबा-01.594 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिखारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना पक्का बांध उपसंभाग क्रमांक 3, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1676-भू-अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-सिंगोड़ी, प.ह.नं. 32, ब.न.-280, रा.नि.मं.-सिंगोड़ी.	रकबा-0.837 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा. पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना पक्का बांध उपसंभाग क्रमांक 3, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1677-भू-अर्जन.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली, प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-बान्दराढाना, प.ह.नं. 41, ब.न.-200, रा.नि.मं.-सिंगोड़ी.	रकबा-06.429 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा.	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना पक्का बांध उपसंभाग क्रमांक 3, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.				
(7)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 1678-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सांख्यिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सांख्यिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-बान्द्रा, प.ह.नं. 41, ब.न.-200, रा.नि.मं.-सिंगोड़ी.	रकबा-03.651 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2)				अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3)				अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4)				अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5)				अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6)				अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागी अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना पक्का बांध उपसंभाग क्रमांक 3, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7)				अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 6 फरवरी 2018

क्र. 665-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—घंसौर
(ग) ग्राम—हरई, प.ह.नं.-32
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.69 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
165	0.26
164	0.03
161	0.16
163/2	0.08
163/1	0.24
128	0.03
127	0.27
126/2	0.05
124	0.13
121	0.02
118	0.08
119/1	0.32
126/1	0.02

कुल योग . . 1.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 666-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—घंसौर
(ग) ग्राम—थांवरी, प.ह.नं.-01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.88 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
134/2	0.06
135	0.01
136	0.05
138	0.02
137	0.06
139	0.01
150	0.03
151/1	0.02
151/2	0.02
152/1	0.02
152/2	0.02
160/3	0.26
160/5	0.26
187/3	0.17
188	0.10
189/1	0.04
191/1	0.24
191/2	0.03
192	0.24
193/1	0.06
194	0.02
195/2	0.14

कुल योग . . 1.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 667-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—पनारझिर, प.ह.नं.-02
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.67 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8	0.01
9	0.69
17	0.17
19	0.02
25	0.05
20/2	0.21
23	0.02
64/3	0.18
64/1	0.22
64/4	0.20
66	0.13
68/1	0.12
68/2	0.13
69	0.10
75/2	0.02
73/3	0.02
18	0.38
कुल योग . . 2.67	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है—हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपालचंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 19 फरवरी 2018

क्र. 07-भू-अर्जन-2017-2018-36.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील/तालुका—शहपुरा
(ग) नगर/ग्राम—(1) महरोई रैयत (निजी भूमि)

- (2) खुरसीपार माल (निजी भूमि)

सर्वे नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

(1) महरोई रैयत (निजी भूमि)

1/1	1.120
1/2	0.980
2	0.910
3	0.450
5	0.960
6	1.104
7	1.850
8	1.480
10	0.100
योग . .	8.954

शासकीय भूमि

4	1.240
9	0.080
योग . .	1.320

कुल योग ग्राम महरोई रैयत . . 10.274

(2) खुरसीपार माल (निजी भूमि)

1	1.860
2	0.920
4/1	0.600

(1)	(2)	(2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	अनुसूची	
4/2	0.730		(1) भूमि का वर्णन—	
4/3	1.200		(क) जिला—उमरिया	
10/1	0.320		(ख) तहसील—चंदिया	
10/2	0.260		(ग) ग्राम—अतरिया, पटवारी हल्का क्र. 36	
10/3	0.240		(घ) लगभग क्षेत्रफल—66.874 हेक्टेयर.	
10/4	0.200			
10/5	0.180			
	योग . . . 6.510		खसरा	अर्जित रकबा
			नम्बर	(हेक्टेयर में)
			(1)	(2)
	शासकीय भूमि			
5	0.510		136/1	0.405
6/1	2.000		324	0.240
7	0.050		303	0.840
8	0.240		136/2	0.405
9	0.060		136/3	0.202
11	0.200		126/2	0.360
	योग . . . 3.060		129/473	0.955
कुल योग ग्राम खुरसीपार माल. . .	9.570		136/4	0.220
			236	0.227
	सकल योग . . . 19.844		137/1	0.532
(2) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया (म. प्र.).			332	0.470
(3) मगर जलाशय सिंचाई योजना, जिला उमरिया (म. प्र.).			78/2	0.070
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिंडौरी में देखा जा सकता है.			137/2	0.532
			138/2	0.390
			316	2.501
			234/3	0.385
			204/1/ग	0.050
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.			234/4	0.384
			204/1/घ	0.050
			317	1.890
			198	0.480
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग			129	1.052
			237	0.384
उमरिया, दिनांक 19 फरवरी 2018			241	0.360
			339/1/क	0.034
क्र. भू-अर्जन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम			242/1	0.150
			318/1	0.051
			339/1/ख	0.034
			242/2	0.150
			318/2	0.051
			138/1	0.391
			78/1	0.140
			247	2.460

(1)	(2)	(1)	(2)
		5	0.360
141	0.280	338/1	0.493
304	2.080	77/1	0.150
255/1	0.600	71/1	0.090
206	0.130	338/2	0.900
139/1	0.194	77/2	0.150
139/2	0.194	71/2	0.090
336	0.733	314	3.403
140	0.069	6	0.360
325	0.820	233	0.240
229	1.137	119	0.064
130/1	0.220	143/2	0.100
130/2	0.200	238/1	0.265
344/1	0.608	16/1	0.100
130/3	0.200	238/2	0.265
334/2	0.405	311/1	1.628
130/4	0.120	311/2	1.628
234/1	0.384	311/3	1.628
204/1/क	0.050	310/1	0.240
234/2	0.385	116/1/क	0.030
204/1/ख	0.050	310/2	0.240
9	0.240	169	0.180
339/2	0.405	116/1/ख	0.030
438	1.200	310/3	0.240
330	0.620	116/1/ग	0.030
326	0.250	248/1	0.200
200	1.117	248/2	0.200
143/1	0.200	248/2	0.200
319	0.820	248/2	0.200
339/1/ग	0.034	248/2	0.200
242/3	0.150	250/1	0.360
318/3	0.051	250/2	0.360
339/1/घ	0.034	250/3	0.360
242/4	0.150	113/3/क	0.040
318/4	0.051	250/4	0.360
339/1/ङ	0.034	113/3/ख	0.040
242/5	0.149	250/5	0.360
318/5	0.051	113/3/ग	0.400
347/2	2.594	250/6	0.402
204/2	0.100	230/1	0.800
345	1.100	244/1	1.137
15	0.180	230/2	0.800
227	0.800	244/2	1.137
195	0.300	232	1.635
135	0.340	196	0.480

(1)	(2)	(1)	(2)
16/2	0.100	172	0.100
239	2.124	321	0.240
116/2	0.080	249	0.270
437	0.400	41	0.150
245/1	0.737	309/1	0.060
245/2	0.737	49	0.100
245/3	0.736	48/1	0.060
245/4	0.736	309/2	0.120
304/487	0.275	48/2	0.090
13/3	0.160	308/1	0.100
116/3/क	0.030	43/2	0.210
116/3/ख	0.030	308/2	0.060
116/3/ग	0.030	43/1	0.150
115	0.060	42	0.210
114/1/क	0.020	307/1	0.090
114/1/ख	0.020	256	0.240
114/2	0.040	260/1	0.125
113/1	0.120	260/2	0.125
113/2/क	0.040	258	0.120
113/2/ख	0.040	69	0.150
113/2/ग	0.040	67	0.135
98/1	0.100	67/335	0.100
98/2	0.100	61	0.100
98/3	0.100	58/1	0.072
98/4	0.100	58/2	0.072
79	0.050	59/1	0.048
222	0.180	50	0.080
221	0.120	44/1	0.080
13/1	0.160	36/1	0.080
13/2	0.160	44/2	0.080
		36/2	0.080
		304/1	0.036
		307/2	0.090
		304/2	0.040
		204/2	0.080
	योग . . . 66.874		योग . . . 4.483

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
 (ख) तहसील—चंदिया
 (ग) ग्राम—कासपानी, पटवारी हल्का क्र. 36,
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.483 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
175	0.180
171/1	0.100
171/2/1	0.100
171/2/2	0.100
308/3	0.060

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
 (ख) तहसील—चंदिया
 (ग) ग्राम—जलधरा, पटवारी हल्का क्र. 36,
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.449 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
216	0.300
218	0.120

(1)	(2)	(1)	(2)
220	0.145	71/1/ख	0.045
237	0.090	92/2/क	0.080
217/2	0.117	86/1	0.120
246/2	0.110	85	0.128
92/2/ख	0.080	84/1/क	0.100
236/2	0.120	82/1	0.140
234/1	0.100	84/1/ख	0.100
234/2/1	0.040	82/2	0.140
234/2/2	0.040	101	0.120
234/2/3	0.040	71/2/1	0.040
234/3	0.100	71/2/2	0.040
142/1/क	0.030	71/2/3	0.040
77/1/क	0.020	231/1	0.030
142/1/ख	0.030	231/2	0.030
77/1/ख	0.020	231/3	0.030
142/1/ग	0.030	231/4	0.030
77/1/ग	0.020	239/2	0.060
142/1/घ	0.030	59	0.140
77/1/घ	0.020	56/1	0.036
142/1/ङ	0.030	56/2	0.036
77/1/ङ	0.020	56/3	0.036
142/2	0.090	56/4	0.036
77/2	0.100		योग . . . 4.449
89/1	0.060		
140	0.150		
139/1	0.100		
89/2	0.060		
139/2	0.040		
89/3	0.060		
138	0.100		
86/2	0.120		
92/1/क	0.080		
88/1	0.120		
71/1/क	0.040		
92/1/ख	0.090		
88/2	0.120		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—चंदिया
(ग) ग्राम—मझौलीकला, पटवारी हल्का क्र. 36,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.650 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
233/1	0.030
234/1	0.040
233/2	0.030
234/2	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
233/3	0.030	179/1	0.150
234/3	0.040	112	0.080
232/1	0.040	179/2	0.150
232/2	0.090	177/6	0.150
230/1	0.270	177/2	0.150
230/500	0.120	177/5	0.150
228/1	0.060	177/3	0.150
228/2	0.060	161/2	0.090
228/3	0.060	161/3	0.150
228/4	0.060	163/1	0.090
227/1	0.080	163/2	0.180
43	0.300	164	0.300
41/1	0.105	5/2	0.160
41/2	0.105	4	0.070
40/2	0.090	114/1	0.090
		114/2	0.090
	योग . . . 1.650	78	0.270
		70/240/2	0.100
(1) भूमि का वर्णन—		68/1/ख	0.060
(क) जिला—उमरिया		68/2	0.100
(ख) तहसील—चंदिया		70/2	0.120
(ग) ग्राम—डोंगरगवां, पटवारी हल्का क्र. 36,		68/3	0.060
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.498 हेक्टेयर		70/3/क	0.150
खसरा	अर्जित रकबा	72/1/2	0.090
नम्बर	(हेक्टेयर में)	72/2	0.090
(1)	(2)	70/3/ख	0.100
235	0.240	72/1/1	0.090
196	0.240	70/240/1	0.100
195	0.180	68/1/क	0.100
194/1	0.180	70/1	0.030
194/2	0.060	80	0.120
188	0.360		
185/1/क	0.060		योग . . . 5.498
5/1	0.160		
185/1/ख	0.060		
185/2	0.100		
79	0.168		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अतरिया जलाशय योजना, तहसील चंदिया के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.